

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सं.सं.: २३६००/२०२५

दिनांक : ०३-०४-२०२५

सेवा में

.....
.....
.....

महोदय,

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक ०३.०४.२०२५ के कार्य विवरण की एक प्रति इस पत्र के साथ आपके पास भेजी जा रही है। यदि आवसी दृष्टि में कार्य विवरण के अंकन में कोई त्रुटि हो, जिसका संशोधन अपेक्षित हो, तो संशोधन के लिए अपना इस्तेाद सौंप देवित करने का अनुग्रह करें।

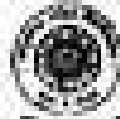
संलग्नक- यथोक्त

भवदीय 
०३/४/२०२५-
(राक्षस कुमार-I.A.S.)
कुलसचिव

प्रतिलिपि- सूचनाई

१. सचिव, कुलपति।
२. अा, कुलसचिव/विाधिवारी।
३. सम्बद्ध विभाग।
४. सम्बद्ध पत्रावली।

/ 
(राक्षस कुमार-I.A.S.)
कुलसचिव



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यवृत्त 2025/1

दिनांक 03.04.2025 की अपराह्न 3:00 बजे, विश्वविद्यालय परिसर स्थित योग साधना केन्द्र में आफ लाईन/ आन लाईन सम्पन्न हुई कार्यपरिषद् की बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

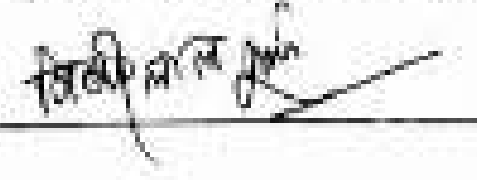
1- प्रो. विजयी लाल शर्मा, कुलपति	-अध्यक्ष
2- मा. न्यायमूर्ति श्री अनिरुद्ध सिंह	-सदस्य
3- प्रो. श्री निवास बाबोखरी	-सदस्य (आन लाईन)
4- डी. पंकज एल. ज्ञानी	-सदस्य (आन लाईन)
5- प्रो. दिनेश कुमार गर्ग	-सदस्य
6- प्रो. रमेश प्रसाद	-सदस्य
7- प्रो. राजनाथ	-सदस्य
8- प्रो. विद्या कुमारी चन्द्रा	-सदस्य
9- प्रो. शैलेश कुमार मिश्र	-सदस्य
10- डॉ. सत्येन्द्र कुमार पाठ्य	-सदस्य
11- डॉ. विजेन्द्र कुमार आर्य	-सदस्य
12- श्री संतोष कुमार शर्मा, वित्त अधिकारी	-सदस्य
13- श्री राकेश कुमार, IAS कृतसचिव	-सचिव

वैदिक मंगलाचरण

श्री. दिनेश कुमार गर्ग

सर्वप्रथम मा. कुलपति महोदय ने मा. न्यायमूर्ति श्री अनिरुद्ध सिंह आन-लाईन माध्यम से बैठक में उपस्थित प्रो. श्रीनिवास बाबोखरी, डी. पंकज एल. ज्ञानी एवं परिषद् में उपस्थित राजनीय सदस्यों का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए, कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यपरिषद् की बैठक आरम्भ की गयी, जिसका आरम्भ निम्नानु-

१.    

विचारणीय बिन्दु-1: कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2024 की कार्यवाही की पुष्टि
निर्णय-1: विचार विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2024 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

विचारणीय बिन्दु-2: कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2024 में लिये गये निर्णयों के क्रियाकलाप की सूचना
निर्णय-2: मा. कार्यपरिषद् ने बैठक दिनांक 25.11.2024 के क्रियाकलापन आगुजा से अवगत हो, वृत्त कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

विचारणीय बिन्दु-3: उत्तर प्रदेश राजस्व के विदेश में आगुजा रीटल समिति की संस्तुति के अमुक्य में विश्वविद्यालय के लिए वित्तीयिक पदों पर विचारन क्रिये जाने की संस्थापित स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय-1: मा. कार्यपरिषद् के वृत्त सम्पूर्णतः संयुक्त विश्वविद्यालय के वित्तीयिक पदों पर आगुजा रीटल के क्रम में वर्तमान में एक पदों के माधेय आगुजा साकार के साक्षात्ता रूखा-1,सी.टी.2019/2-सद/2002/1/4/2019/5, दिनांक 11 अगस्त, 2019 एवं आगुजा-सद/2019/ (29)16-2019-1-सद/9/17 -, दिनांक नोवम्बर 02, के 2019अनुपालन में विश्वविद्यालय चार्जल अधिसूचना क्रमांक कु2024/49/स. दिनांक 23.06.2024 तथा संयुक्त विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 2024/10/स. दिनांक के 02.08.2024 क्रम में निम्नलिखित समिति सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 10.08.2024 एवं 11.08.2024 को मोलिन एवं सम्पूर्णतः संयुक्त विश्वविद्यालय के वित्तीयिक में स्थित आईसी.ए.एम्. (IQAC) तथा में वृत्त विश्वविद्यालय के सूचना क्रमांक कु2024/14/स. मा. दिनांक के माधेय से आगुजा 01.10.2024व पदलके द्वारा बैठक के माधेय से की गयी संस्तुति-

विश्वविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिनिधि के रूप में एक लाइनिंग अधिकारी (Liaison Officer) से सम्पर्क प्राप्त कर विश्वविद्यालय की वेब साइट पर उपलब्ध करने के सुझाव के क्रम में मा. कुलपति महोदय ने प्रो. रमेश प्रसाद, आचार्य-पालि एवं के.बाद को लाइनिंग अधिकारी (Liaison Officer) नामित किया। जिसके अनुपालन में प्रो. रमेश प्रसाद, आचार्य पालि एवं के.बाद ने अपनी अधोनिश्चित आगुजा प्रस्तुत की-

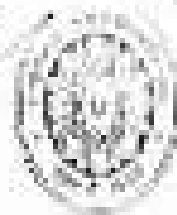
विश्वविद्यालय

श्री. रमेश प्रसाद

सदस्य, राज्य सरकार
आचार्य एवं अध्यक्ष
राज्य पुस्तक सेवा बोर्ड विभाग
राज्य पुस्तक सेवा बोर्ड
आचार्य, राजस्थान
जयपुर-302002

1. श्री. रमेश प्रसाद का पता है कि...

पता: राजस्थान
जयपुर-302002



श्री. रमेश प्रसाद

SHRI. RAMSHI PRASAD

Member, State Government

Chairman & President

Director of Public Information

Director of Public Information

Director, 20000

1. श्री. रमेश प्रसाद का पता है कि...

पत्र/260
सेवा में

राजस्थान सरकार
जयपुर-302002

V.C. 29/08/2019
29/08/2019

21/08/2019

श्री. रमेश प्रसाद
पत्र
21/08/2019

आचार्य एवं अध्यक्ष
राज्य पुस्तक सेवा बोर्ड
जयपुर

विषय: राजस्थान सरकार की संसदीय कार्यवाही के अन्तर्गत राजस्थान के राजस्थान
राज्य की राजस्थान सरकार के अन्तर्गत

संज्ञक

आचार्य एवं अध्यक्ष राजस्थान सरकार की संसदीय कार्यवाही के अन्तर्गत राजस्थान के राजस्थान
राज्य की राजस्थान सरकार के अन्तर्गत

1. राजस्थान सरकार की संसदीय कार्यवाही के अन्तर्गत राजस्थान के राजस्थान
राज्य की राजस्थान सरकार के अन्तर्गत

अन्तर्गत राजस्थान सरकार की संसदीय कार्यवाही के अन्तर्गत राजस्थान के राजस्थान
राज्य की राजस्थान सरकार के अन्तर्गत

2. राजस्थान सरकार की संसदीय कार्यवाही के अन्तर्गत राजस्थान के राजस्थान
राज्य की राजस्थान सरकार के अन्तर्गत

अन्तर्गत राजस्थान सरकार की संसदीय कार्यवाही के अन्तर्गत राजस्थान के राजस्थान
राज्य की राजस्थान सरकार के अन्तर्गत

श्री. रमेश प्रसाद

3. ऑनरेंट प्रोफेसर के लिये पाठ्यक्रम रैटर के लिये नए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में वॉलेंट वॉलेंट एवं पूर्व में हुए विचारों को दृष्टिगत रखते हुए, उच्च न्यायालय की संरचनाओं के परिवर्तन में वॉलेंट के आर्थिक स्थिति में विचारपूर्वक वरत कर हायकोर्ट में एक निष्ठा-विर्ता के अलावा नए अधिकारी हैं। रैटर उच्च न्यायालय की संरचना को, विचारपूर्वक में पूर्व में हुए विचारों एवं नए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में वॉलेंट वॉलेंट को दृष्टिगत रखते हुए, आर्थिक स्थिति के आधार पर विचारों के आधार से वॉलेंट वरत कर हायकोर्ट में एक निष्ठा-विर्ता

अतः ऑनरेंट प्रोफेसर एवं नए उच्च न्यायालय रैटर रैटर की संरचना में उच्च न्यायालय के आधार पर विचारों के आधार से वॉलेंट के उच्च विचारपूर्वक की वरत कर हायकोर्ट में एक निष्ठा-विर्ता वरत कर हायकोर्ट में एक निष्ठा-विर्ता वरत कर हायकोर्ट में एक निष्ठा-विर्ता

4. प्रोफेसर, उच्च न्यायालय, एवं ऑनरेंट प्रोफेसर के लिये उच्च न्यायालय में वॉलेंट वॉलेंट वरत कर हायकोर्ट में एक निष्ठा-विर्ता वरत कर हायकोर्ट में एक निष्ठा-विर्ता वरत कर हायकोर्ट में एक निष्ठा-विर्ता

रैटर रैटर वरत कर हायकोर्ट में एक निष्ठा-विर्ता वरत कर हायकोर्ट में एक निष्ठा-विर्ता वरत कर हायकोर्ट में एक निष्ठा-विर्ता

सारा

पदवी

20/12/24
प्रो. प्रसाद

प्रो. प्रसाद (तलाशिंग अधिकारी) के उच्च न्यायालय के अनुक्रम में पा. कुलकर्णी महोदय के विशेष अनुक्रम में श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा, होशियार उच्च शिक्षा अधिकारी, चारगाही ने सम्बन्धित प्रकरण में पाठ्यक्रम प्राप्त कर अधिलिखित रूप में विचारपूर्वक आधार रैटर को प्रस्तुत किया, जो निम्नवत् है-

4/12/24
वि. लाल गुप्ता



Memorandum of Understanding
Between the Government of Karnataka
and the Government of India

1.	to be the	Government of Karnataka
2.	to be the	Government of India
3.	to be the	Government of India
4.	to be the	Government of India

Sl. No.	Particulars	Amount	Year	Remarks
1.	to be the	1000000000	2018-19	to be the
2.	to be the	1000000000	2019-20	to be the
3.	to be the	1000000000	2020-21	to be the
4.	to be the	1000000000	2021-22	to be the
5.	to be the	1000000000	2022-23	to be the
6.	to be the	1000000000	2023-24	to be the
7.	to be the	1000000000	2024-25	to be the
8.	to be the	1000000000	2025-26	to be the
9.	to be the	1000000000	2026-27	to be the
10.	to be the	1000000000	2027-28	to be the
11.	to be the	1000000000	2028-29	to be the
12.	to be the	1000000000	2029-30	to be the
13.	to be the	1000000000	2030-31	to be the
14.	to be the	1000000000	2031-32	to be the
15.	to be the	1000000000	2032-33	to be the

[Signature]
01.09.25

Union Officer

[Signature]



Sl. No.	Particulars	Amount	Sl. No.	Particulars	Amount	Sl. No.	Particulars	Amount
1	...	...	21	...	...	22	...	...
2	...	...	23	...	...	24	...	...
3	...	...	25	...	...	26	...	...
4	...	...	27	...	...	28	...	...
5	...	...	29	...	...	30	...	...
6	...	...	31	...	...	32	...	...
7	...	...	33	...	...	34	...	...
8	...	...	35	...	...	36	...	...
9	...	...	37	...	...	38	...	...
10	...	...	39	...	...	40	...	...
11	...	...	41	...	...	42	...	...
12	...	...	43	...	...	44	...	...
13	...	...	45	...	...	46	...	...
14	...	...	47	...	...	48	...	...
15	...	...	49	...	...	50	...	...
16	...	...	51	...	...	52	...	...
17	...	...	53	...	...	54	...	...
18	...	...	55	...	...	56	...	...
19	...	...	57	...	...	58	...	...
20	...	...	59	...	...	60	...	...
21	...	...	61	...	...	62	...	...
22	...	...	63	...	...	64	...	...
23	...	...	65	...	...	66	...	...
24	...	...	67	...	...	68	...	...
25	...	...	69	...	...	70	...	...
26	...	...	71	...	...	72	...	...
27	...	...	73	...	...	74	...	...
28	...	...	75	...	...	76	...	...
29	...	...	77	...	...	78	...	...
30	...	...	79	...	...	80	...	...
31	...	...	81	...	...	82	...	...
32	...	...	83	...	...	84	...	...
33	...	...	85	...	...	86	...	...
34	...	...	87	...	...	88	...	...
35	...	...	89	...	...	90	...	...
36	...	...	91	...	...	92	...	...
37	...	...	93	...	...	94	...	...
38	...	...	95	...	...	96	...	...
39	...	...	97	...	...	98	...	...
40	...	...	99	...	...	100	...	...

2

...

...

...

1. The following information is given for the year ended 31st March 2019. The company has a policy of providing for doubtful debts at 5% on the gross amount of trade receivables.

22/3/2020
23/3/2020

Statement of Financial Position (Balance Sheet)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Assets									
Fixed Assets									
Land and Buildings	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Plant and Equipment	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Intangible Assets									
Goodwill									
Current Assets									
Stocks	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Debtors	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Prepaid Expenses	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Cash and Bank Balances	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Liabilities									
Capital	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Reserves									
Profit and Loss Account									
Profit	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dividend									
Provision for Doubtful Debts	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Other Liabilities									
Long Term Debt									
Short Term Debt									
Total	367.5	367.5	367.5	367.5	367.5	367.5	367.5	367.5	367.5



9/10/2020
10/10/2020
11/10/2020

12/10/2020
13/10/2020
14/10/2020



Sl. No.	Particulars	Dr. Particulars	Cr. Particulars	Debit	Credit	Balance
1	Balance b/d					
2	By Cash					
3	To Cash					
4	By Bank					
5	To Bank					
6	By Balance c/d					
7	To Balance c/d					

Total Debit = Total Credit

Sl. No.	Particulars	Dr. Particulars	Cr. Particulars	Debit	Credit	Balance
1	Balance b/d					
2	By Cash					
3	To Cash					
4	By Bank					
5	To Bank					
6	By Balance c/d					
7	To Balance c/d					

Total Debit = Total Credit

Sl. No.	Particulars	Dr. Particulars	Cr. Particulars	Debit	Credit	Balance
1	Balance b/d					
2	By Cash					
3	To Cash					
4	By Bank					
5	To Bank					
6	By Balance c/d					
7	To Balance c/d					

Total Debit = Total Credit

Sl. No.	Particulars	Dr. Particulars	Cr. Particulars	Debit	Credit	Balance
1	Balance b/d					
2	By Cash					
3	To Cash					
4	By Bank					
5	To Bank					
6	By Balance c/d					
7	To Balance c/d					

Total Debit = Total Credit

Signature of the Officer

allowed by a judgement dated 5th March, 2014 and the advertisement no.1/2010 was quashed.

Based on this judgement, the University has now issued a notice directing the petitioners to show cause as to why their services should not be terminated.

The petitioners, being aggrieved, have filed the present writ petition contending that they were not parties to the writ petition nor their appointments contain any stipulation that their services would be subject to the result of that writ petition.

Sri Radha Kant Ojha, the learned Senior Counsel further submitted that a review application has already been filed which is likely to come up before the appropriate Court after summer vacation. On the other hand, it was urged that the University will take appropriate action pursuant to the notice and the petitioners apprehend that their services would be terminated.

Equity demands that the petitioners are entitled to be heard in the review application and, therefore, we direct that for a period of three months from today no action shall be taken by the University pursuant to the notice dated 6th May, 2016 (annexure-5 & 6 to the writ petition).

List this matter in the 3rd week of July, 2016, by which time Sri Ved Byas Mishra, the learned counsel for the University may file a counter affidavit. The learned counsel for the petitioners may intimate the status of the review application."

2. यह कि उपरोक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचीजन रिट एं० नं० 58934 ऑफ 2010 (बी० जालेन्द्र नारायण मिश्रा व एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश हाउसिंग व अन्य) में पदावर नहीं बनाए गये थे जिसकी पुष्टि विद्युत्तिकालय द्वारा साक्षित प्रतिस्मरण-पत्र परत-5 से होती है और माजसीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट-ए नं० 58934 ऑफ 2010 के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.03.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रिट-ए नं० 23439 ऑफ 2016 के याचीजनों को पदावर नहीं बनाया गया था।
3. यह कि माजसीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अथले निर्णय एवं आदेश, 2004(1) SCC 317 (Khetabasi Biswal vs. Ajaya Kumar Baral and others) में विस्तारित विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं :-

"On 17.6.1996 the Orissa Public Service Commission (for short the Commission) issued an advertisement No. 5 of 1996-97, inviting application in the prescribed form for 25 posts of Temporary Musaf (Emergency Recruitment) in Class II of Orissa Judicial Service.

The appellants herein and the respondents along with the others submitted an application before the Commission.

A written examination was held by the Commission and in terms thereof, a list of the successful candidates was prepared. The selectees were later on interviewed by the Commission and in the said proceeding a sitting Judge of the High Court acted as an expert. Thereafter the select list has been prepared on the basis of merit, which contained 39 names. The names of the appellants, admittedly, found place therein. The said list was sent to the State Government for its approval. The State Government, however, on receiving the said list, prepared another list. The name of

Khetrabasi Biswal also found place therein. The names of the appellants, namely, Dipali Chand and Govinda Chandra Parida and another were omitted. Several writ applications were filed by Ajaya Kumar Barai, Pradipta Kishore Bhuyan, Krutina Chandra Jena, Ajaya Kumar Patra and Govinda Chandra Parida and Ann. filed petitions bearing O.J.C. Nos. 14,380 of 1996, 5586, 6040, 6041 and 6088 of 1997 respectively. It is also not in dispute that one of the appellants, namely, Dipali Chand in Civil Appeal Nos. 5986 and 5987 of 1998 also filed a Writ Petition No. 13687 of 1997, which is still pending. By reason of the impugned judgment, the High Court purporting to interpret the service rules prepared the list of the candidates, who should have been selected. Pursuant to and in furtherance of the directions issued by the High Court, offers of appointment were issued by the State Government in terms of the list prepared by the High Court. The appellants herein were not party to the writ applications. The High Court, while preparing its own list, did not think it fit to issue notices to other candidates like the appellants herein, who had suffered prejudice by reason of the directions issued by the High Court. The appellants, therefore, were necessary parties.

The State Government after receiving the list from the Commission, prepared another list out of the list prepared by the Commission. In this list of the State Government, names of certain persons, who were in merit list did not find place. One of such situated person filed a petition under Article 226 of the Constitution of India before the Orissa High Court, challenging the list prepared by the State Government. It is not disputed that the appellants herein were not parties to the writ petition.

It is against the said judgment of the High Court, the appellants are in appeal before us.

The procedural law as well as the substantive law both mandates that in the absence of a necessary party, the order passed is a nullity and does not have a binding effect.

It is true that the successful candidates have not been parties before us, but it appears that the appellants herein proceeded to implead only Ajaya Kumar Baral, who was also a writ petitioner before the High Court. Having regard to the peculiar facts and circumstances of the case, we are of the opinion that in exercise of our jurisdiction under Article 142 of the Constitution of India and with a view to do complete justice to the parties, the matters may be remitted to the High Court for a fresh decision on merits and after giving opportunity to the writ petitioners to implead all the necessary parties therein. The writ petition filed by Dipali Choudhary should be heard along with the other writ petitioners. In our opinion a writ of or in the nature of mandamus could not have been issued, directing the State Government to appoint the selectees in terms of the select list prepared by the High Court. The High Court should have, if such a case was made out, relegated the matters to the Commission. The writ petitioners before the High Court and the other persons, who have been appointed pursuant to or in furtherance of the judgment of the High Court, would continue to hold the post till a final decision is rendered in the matters by the High Court.

In that view of the matter, we set aside the order under challenge and remit the matter to the High Court for decision on merits after giving an opportunity to the writ petitioners to implead all the necessary parties in the writ petition.

The appeals are allowed with the aforementioned directions. There shall be no order as to costs.

Let the records be sent forthwith.

Since the matters relate to the vacancies in the year 1996-97, it requires expeditious hearing. The High Court may dispose of the matters as early as possible."

अतः उपरोक्त विधिक व्यवस्था के अनुसार रिट ए नं० 5893 ऑफ 2010 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.03.2014, रिट ए नं० 23439 ऑफ 2016 के खारीखणी पर खरबू नहीं होता है।

4. यह कि विध्वंसिवालय द्वारा दायित्व प्रतिश्रमक-व्यव के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि विध्वंसन सं० 01/2010 में किसी भी प्रकार की कोई भुटि नहीं थी और प्रतिश्रमक-व्यव के प्रसार-20 में किंव बर विज्ञापनकर्ता से उसकी परिपुष्टि होती है :-

20. That the contents of paragraph no. 9 of the writ petition are not correct as stated and as such are denied. It is incorrect to state that there was any defect in the advertisement whereby one excess post of assistant professor was reserved for S.C. category. Detail and suitable reply has already been given in the previous paragraphs.

5. यह कि खारीखन लम्बे समय से कर्बन्त है और अपनी सेवाओं विध्वंसिवालय को दे रहे है और माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित Review Application को कि रिट ए नं० 58934 ऑफ 2010 में दायित्व है उसका मिलतारन आज तक नहीं हो पाता है।

6. यह कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युतविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-21 की उपधारा-वा में निम्न प्राविधान है :-

"विद्युतविद्यालय की परिषदों, आचारणकों तथा अन्य संस्थाओं को नियुक्त करना, और उनके कार्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना, और उनके पूर्व की परधानी आचारणिक विधियों की शर्तों की व्यवस्था करना;"

7. यह कि विद्युतविद्यालय द्वारा आयोजित कराई गई प्रशस्ति के अवधीकरण से यह प्रतीत हो रहा है कि आदेश दिनांक 05.03.2014 के पश्चात् आज तक न तो कोई विज्ञापन टिंड ए नं० 23439 ऑफ 2016 के बाधीनकी के पक्ष के बाधक किया गया है और न ही कोई कार्रवाई द्वारा टिंड ए नं० 23439 ऑफ 2016 के बाधीनकी की नियुक्ति की प्रतीति दी गयी है और के निम्न 14 वर्षों की लगातार कार्यरत है।
8. यह कि उपरोक्त शर्तों और परिस्थितियों के अवधीकरण से अभीष्टलागरी का निष्कर्ष आचारण है कि टिंड ए नं० 23439 ऑफ 2016 के बाधीनकी के बाधक प्रक्रिया यदि सन्तुष्टिकर अंतर्गत विद्युतविद्यालय के मुख्यतः निम्न कारणों है और अतः कोई संतोषजनक रहा है की सम्पूर्ण प्रक्रिया की कार्य परिषद के अंतर्गत प्रस्तुत करके बाधीनकी की शर्तों पर विधिवतकीकरण किया जा सकता है क्योंकि धारा-21 के उपधारा-वा के अनुसार कार्यपरिषद की सम्पूर्ण शक्ति प्राप्त है।

राज्यपाल,

अधीन

5/11/2016

(अधीन प्रमुख निम्न)

भा. कार्यपरिषद उपर्युक्त विधिगत प्रणाली पर विचार विमर्श के अवसर श्री. किरण शर्मा, महाधक आचारण से यह आचारण यह पर कैबिनेट एक्सीक्यूटिव योजना के अंतर्गत एक्सीक्यूटिव भा. 12 से अंतर्गत भा. 13 के लिए विद्युतविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विधियों के आचारण से निम्नानुसार उचित सम्पत्ति करने पर अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

विद्यार्थीय विषय -5-

डॉ. विवेक कुमार आर्य, महाधक आचार्य - व्याकरण विभाग की पूर्ण सभा सम्मेलन
आलेख, दिल्ली में सहायक आचार्य (तदर्थ) के रूप में की गयी सेवा को विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग के विवरण-2018 के अनुक्रम में कैरिअर एवार्डमेंट रोकना के
अन्तर्गत नियमानुसार सम्मिलित किये जाने के संबंध में। (सूच्यार्थ)

नियम -4-

मा. पीएच. के लाइफ़, विवेक कुमार आर्य, महाधक आचार्य - व्याकरण
विभाग की पूर्ण सभा सम्मेलन आलेख, दिल्ली में सहायक आचार्य (तदर्थ) के रूप में
की गयी सेवा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विवरण-2018 के अनुक्रम में
कैरिअर एवार्डमेंट रोकना के अन्तर्गत नियमानुसार सम्मिलित किये जाने के लिये
विश्वविद्यालय द्वारा स.मा. 31.06.2025, दिनांक 07.03.2025 अधोलिखित रूप में
प्रस्तुत किया गया।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यवाही काय

विश्वविद्यालय अधिनियम एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विवरण-2018 के परिशिष्ट 10.1 में विहित
नियमों के अन्तर्गत डॉ. विवेक कुमार आर्य, महाधक आचार्य (तदर्थ) के लिये सहायक आचार्य (तदर्थ)
के लिये पूर्ण सभा सम्मेलन आलेख, दिल्ली विश्वविद्यालय में तदर्थ महाधक आचार्य के रूप में की गयी
सेवा (तदर्थ, 31.06.2025, दिनांक 07.03.2025) को विश्वविद्यालय की कार्यवाही सेवा में सम्मिलित किये जाने की अनुमति देना की
जाती है।

इस पर अधिलेखित कार्यवाही करती है।

(सहस्र कुमार आर्य)
कुलपति

- स.मा. 31.06.2025, दिनांक 07.03.2025
अधोलिखित कार्यवाही एवं अनुदान कार्यवाही में।
1. अधिलेखित महाधक-कुलपति, मा. कुलपति महोदय के अध्यक्षता में।
 2. महाधक, अधिलेखित कुमार आचार्य आचार्य (तदर्थ)।
 3. महाधक, व्याकरण विभाग।
 4. डॉ. विवेक कुमार आर्य, अधिलेखित (तदर्थ) - व्याकरण विभाग।
 5. अधिलेखित कुलपति/अधिलेखित अधिलेखित।
 6. महाधक कुलपति (तदर्थ)।
 7. अधिलेखित (तदर्थ)।
 8. अधिलेखित (तदर्थ)।
 9. अधिलेखित (तदर्थ)।

(सहस्र कुमार आर्य)
कुलपति

मा. कार्यवाही: डॉ. विवेक कुमार आर्य की पूर्ण सेवाओं को नियमानुसार सम्मिलित किये जाने की
अनुमति कार्यवाही में अंतर्गत है।

अध्यापक

मा. कार्यपरिषद् ने समस्त डॉ. विद्यालक्ष गुप्ता, सहायक आचार्य-शिक्षाशास्त्र की कैरियर एडवाइसमेंट योजना के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु नवन समिति की बैठक दिनांक 24.03.2025 की अधोनिष्ठित मंजूरी प्रस्तुत की रही-



समस्त/सहायक आचार्य शिक्षाशास्त्र, आचार्यशिक्षा

अध्यापक समिति की बैठक का कार्यविवरण

दिनांक - 24.03.2025

समय - 12.30 बजे से

स्थान - कुलपति कार्यालय

विद्यार्थीशिक्षा, मा. विद्यालक्ष गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित अधोनिष्ठित मंजूरीयों की बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्न है। 11 से उपस्थित सदस्यों में से 10 सदस्यों ने 24.03.2025 से 25.03.2025 तक बैठक के दिनांक पर उपस्थित की बैठक का निर्णय 24.03.2025 से आयोजित 12.30 बजे से कुलपति कार्यालय में आयोजित बैठक अधोनिष्ठित की प्रत्येक बैठक में अधोनिष्ठित मंजूरीयों पर निर्णय हुआ-

क्र.सं.	नाम	पद
1.	डॉ. विद्यालक्ष गुप्ता	अध्यक्ष
2.	डॉ. अशोक शर्मा	सदस्य
3.	डॉ. अशोक शर्मा	सदस्य
4.	डॉ. अशोक शर्मा	सदस्य
5.	डॉ. अशोक शर्मा	सदस्य
6.	डॉ. अशोक शर्मा	सदस्य
7.	डॉ. अशोक शर्मा	सदस्य
8.	डॉ. अशोक शर्मा	सदस्य

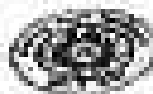
अधोनिष्ठित की प्रत्येक बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्न है। 11 से उपस्थित सदस्यों में से 10 सदस्यों ने 24.03.2025 से 25.03.2025 तक बैठक के दिनांक पर उपस्थित की बैठक का निर्णय 24.03.2025 से आयोजित 12.30 बजे से कुलपति कार्यालय में आयोजित बैठक अधोनिष्ठित की प्रत्येक बैठक में अधोनिष्ठित मंजूरीयों पर निर्णय हुआ-

मा. विद्यालक्ष गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित अधोनिष्ठित मंजूरीयों की बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्न है। 11 से उपस्थित सदस्यों में से 10 सदस्यों ने 24.03.2025 से 25.03.2025 तक बैठक के दिनांक पर उपस्थित की बैठक का निर्णय 24.03.2025 से आयोजित 12.30 बजे से कुलपति कार्यालय में आयोजित बैठक अधोनिष्ठित की प्रत्येक बैठक में अधोनिष्ठित मंजूरीयों पर निर्णय हुआ-

(डॉ. विद्यालक्ष गुप्ता) अध्यक्ष
(डॉ. अशोक शर्मा) सदस्य
(डॉ. अशोक शर्मा) सदस्य
(डॉ. अशोक शर्मा) सदस्य
(डॉ. अशोक शर्मा) सदस्य
(डॉ. अशोक शर्मा) सदस्य
(डॉ. अशोक शर्मा) सदस्य
(डॉ. अशोक शर्मा) सदस्य

मा. कार्यपरिषद् के समस्त डॉ. विद्यालक्ष गुप्ता, सहायक आचार्य-शिक्षाशास्त्र की कैरियर एडवाइसमेंट योजना के अन्तर्गत सहायक आचार्य से सह आचार्य पद (अकादमिक स्तर-1 से अकादमिक स्तर-10) या अनुवीक्षण/चयन समिति (Screening/Selection Committee) की उपर्युक्त मंजूरीयों पर कार्यवाही से अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मा. कार्यपरिषद् के समक्ष डॉ. दुर्गा वड्डक, सहायक आचार्य-न्याय वैज्ञानिक के वैशेष एडवाइसरी बोर्ड के अन्तर्गत गैलरिस्ट रेटू अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 24.03.2025 की अधोलिखित संस्तुति अनुमति की गयी।



सम्पूर्णोत्पन्न संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

संस्कृत अकादेमी की बैठक का कार्यपत्र

दिनांक - 24.03.2025

स्थान - डॉ. दुर्गा वड्डक के

कक्ष - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय के न्याय वैज्ञानिक विभाग के अधिवेशन, संविधान की पूर्णतः सत्यता की वैशेष एडवाइसरी बोर्ड के अन्तर्गत गैलरिस्ट रेटू अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 24.03.2025 को आयोजित की गयी। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या 11 थी। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची निम्नलिखित है-

सं.	नाम	पद	विवरण
1.	डॉ. विजय लाल शर्मा	कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ. प्रेमचन्द मिश्र	विभागीय अधिकारी	
3.	डॉ. रामचन्द्र शुक्ल	सहायक	
4.	डॉ. रामचन्द्र शुक्ल	विभागीय अधिकारी	
5.	डॉ. रामचन्द्र	अनुसंधान अधिकारी के अधिकारी	
6.	डॉ. रामचन्द्र	सहायक के अधिकारी	
7.	डॉ. रामचन्द्र शुक्ल (सहायक, 1. अनुसंधान)	सहायक	

उपरोक्त डॉ. दुर्गा वड्डक के अनुवीक्षण समिति की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची निम्नलिखित है-

डॉ. पूर्णतः सत्यता की वैशेष एडवाइसरी बोर्ड के अधिवेशन, संविधान की पूर्णतः सत्यता की वैशेष एडवाइसरी बोर्ड के अन्तर्गत गैलरिस्ट रेटू अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 24.03.2025 को आयोजित की गयी। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची निम्नलिखित है-

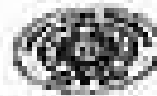
डॉ. विजय लाल शर्मा (कुलपति) अध्यक्ष
 डॉ. प्रेमचन्द मिश्र (विभागीय अधिकारी)
 डॉ. रामचन्द्र शुक्ल (सहायक)
 डॉ. रामचन्द्र शुक्ल (विभागीय अधिकारी)
 डॉ. रामचन्द्र (अनुसंधान अधिकारी के अधिकारी)
 डॉ. रामचन्द्र (सहायक के अधिकारी)
 डॉ. रामचन्द्र शुक्ल (सहायक, 1. अनुसंधान)

मा. कार्यपरिषद् के समक्ष डॉ. दुर्गा वड्डक, सहायक आचार्य-न्याय वैज्ञानिक के वैशेष एडवाइसरी बोर्ड के अन्तर्गत सहायक आचार्य के अधिकारी-न्याय वैज्ञानिक (अध्यक्ष) पर अनुवीक्षण समिति (Screening/Selection Committee) की उपर्युक्त संस्तुति पर सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की।

RE

विश्वविद्यालय

मा. कार्यपालक के समक्ष डॉ. विजेन्द्र कुमार आर्य, सहायक आचार्य-व्याकरण विभाग के कैरिअर एडवाइसेंट योजना के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 24.01.2025 की अधोलिखित प्रस्तुति प्रस्तुत की गयी-



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कक्षाधीन कक्षाधीन की बैठक का कार्यपत्र

दिनांक - 24.01.2025
कक्षा - 03102 कक्षा में
उपस्थित - कुलपति, वाराणसी

विश्वविद्यालय में सहायक विभाग के अध्यापक डॉ. विजेन्द्र कुमार आर्य की कैरिअर एडवाइसेंट योजना के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 24.01.2025 को उपस्थित 03102 कक्षा में कुलपति वाराणसी के अध्यक्ष डॉ. कक्षाधीन कक्षाधीन की बैठक में अधोलिखित प्रस्तुति प्रस्तुत की गयी-

- | | | |
|---|------------------------------------|---------|
| 1. डॉ. विजेन्द्र कुमार आर्य, | कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. गोपबन्धु शर्मा | विभागीय अधिकारी | |
| 3. डॉ. अशोक कुमार शर्मा | विभागीय अधिकारी/सहायक | |
| 4. डॉ. गोपबन्धु | अनुवीक्षण समिति/अध्यक्ष के अधिकारी | |
| 5. डॉ. गोपबन्धु | अध्यक्ष समिति के अधिकारी | |
| 6. डॉ. विजेन्द्र कुमार आर्य (अध्यक्ष), कुलपति | अध्यक्ष | |

कक्षाधीन - डॉ. विजेन्द्र कुमार आर्य के अनुवीक्षण पत्र तथा आचार्य-व्याकरण विभाग के कैरिअर एडवाइसेंट योजना के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 24.01.2025 को उपस्थित 03102 कक्षा में कुलपति वाराणसी के अध्यक्ष डॉ. कक्षाधीन कक्षाधीन की बैठक में अधोलिखित प्रस्तुति प्रस्तुत की गयी-

डॉ. विजेन्द्र कुमार आर्य की अध्यापक पदोन्नति के अन्तर्गत पदोन्नति (Stage-II) अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 24.01.2025 को अनुवीक्षण समिति की बैठक में अधोलिखित प्रस्तुति प्रस्तुत की गयी-

विजेन्द्र कुमार आर्य
(डॉ. विजेन्द्र कुमार आर्य)
कुलपति, वाराणसी

गोपबन्धु शर्मा
(डॉ. गोपबन्धु शर्मा)
विभागीय अधिकारी

अशोक कुमार शर्मा
(डॉ. अशोक कुमार शर्मा)
विभागीय अधिकारी/सहायक

गोपबन्धु शर्मा
(डॉ. गोपबन्धु शर्मा)
अनुवीक्षण समिति/अध्यक्ष के अधिकारी

गोपबन्धु शर्मा
(डॉ. गोपबन्धु शर्मा)
अध्यक्ष समिति के अधिकारी

गोपबन्धु शर्मा
(गोपबन्धु शर्मा)
कुलपति, वाराणसी

मा. कार्यपालक के समक्ष डॉ. विजेन्द्र कुमार आर्य, सहायक आचार्य-व्याकरण विभाग के कैरिअर एडवाइसेंट योजना के अन्तर्गत सहायक आचार्य के वरिष्ठ वेतनमान पद (आकादमिक स्तर-1) पर अनुवीक्षण समिति (Screening/Selection Committee) की उपर्युक्त प्रस्तुति पर सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की।

विजेन्द्र कुमार आर्य

डा. आर्यभट्ट के समक्ष डी.सत्येन्द्र कुमार पांडव, सहायक आचार्य-वेद विभाग के वैदिक एडुकाटोवर योजना के अन्तर्गत परीक्षा हेतु अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 24.03.2025 की अवैधता की संज्ञा दी गयी।



सम्पूर्णतः संस्कृत विश्वविद्यालय, आराधनी

प्रतिनिधि समिति की बैठक का कार्यवाही

दिनांक - 24.03.2025
समय - 09.30 बजे से
स्थान - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में वेद विभाग के आचार्य-वेद विभाग की, सहायक कुलपति कार्यालय की वैदिक एडुकाटोवर योजना के अन्तर्गत परीक्षा हेतु अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 24.03.2025 को अवैधता की संज्ञा दी गयी।

- | | | | |
|--|---|----------------------------|---------|
| 1. डॉ. विद्याजी लाल शर्मा | - | कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. गोवर्धन शर्मा | - | विभाग प्रमुख | |
| 3. डॉ. श्रीराम कुमार शर्मा | - | सहायक कुलपति | |
| 4. डॉ. योगेश्वर शर्मा | - | विभाग प्रमुख | |
| 5. डॉ. रामशर्मा | - | अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष | |
| 6. डॉ. राजेश शर्मा | - | आयुक्त शिवालय के अध्यक्ष | |
| 7. डॉ. सत्येन्द्र कुमार (अध्यक्ष, अनुवीक्षण समिति) | - | अध्यक्ष | |

समिति ने डॉ. आर्यभट्ट कुमार पांडव के अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति दी।

डॉ. सत्येन्द्र कुमार पांडव को अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति दी।

(डॉ. विद्याजी लाल शर्मा)
कुलपति, अध्यक्ष

(डॉ. गोवर्धन शर्मा)
विभाग प्रमुख

(डॉ. श्रीराम कुमार शर्मा)
सहायक कुलपति

(डॉ. योगेश्वर शर्मा)
विभाग प्रमुख

(डॉ. रामशर्मा)
अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष

(डॉ. राजेश शर्मा)
आयुक्त शिवालय के अध्यक्ष

(डॉ. सत्येन्द्र कुमार)
अध्यक्ष, अनुवीक्षण समिति

मा. आर्यभट्ट के समक्ष डी.सत्येन्द्र कुमार पांडव, सहायक आचार्य-वेद विभाग के वैदिक एडुकाटोवर योजना के अन्तर्गत सहायक आचार्य के वैदिक एडुकाटोवर योजना पर (अकादमिक स्तर II) पर अनुवीक्षण समिति (Screening/Selection Committee) की उपर्युक्त संज्ञा पर सर्वसम्मति से अगली स्वीकृति प्रदान की।

(Handwritten signatures)

दिनांक 6.3

वा. कार्यसिंहद के समक्ष डॉ. कुन्ना श्री गुन किल्लेन, सहायक आचार्य-व्याकरण विभाग के कैबिनेट एक्जामिनेट बोर्ड के अन्तर्गत परीक्षित हेतु अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 29.03.2023 की अपोलीखित संसृति प्रस्तुत की गयी-



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, बाराणसी

कॉलेजियल कमेटी की बैठक का कार्यपत्र

दिनांक - 29.03.2023

समय - 09:30 बजे को

स्थान - कुन्ना श्री गुन किल्लेन

विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के अधीनस्थ विभाग डॉ. कुन्ना श्री गुन किल्लेन की कैबिनेट एक्जामिनेट विभागकी वरिष्ठ केनमन (Senior) में अकादमिक (Acad.) 068, 069-070, 071, 072-073 अनुक्रम करने हेतु अधीनस्थ विभाग की बैठक आज दिनांक 29.03.2023 को आयोजित 09:30 बजे से कुन्ना श्री गुन किल्लेन में प्रारम्भ हुई। कॉलेजियल कमेटी की इस बैठक में एक्जामिनेट परामर्शक उपस्थित हुए -

- | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|-------|
| 1. डॉ. विद्याजी अग्रवाल | - | कुन्ना श्री गुन किल्लेन | - | आयोजक |
| 2. डॉ. मोहनलाल मिश्र | - | विभाग विदेश | - | |
| 3. डॉ. अशोक कुमार शुक्ल | - | विभाग-व्याकरण | - | |
| 4. डॉ. अमर अग्रवाल | - | उप विभाग डॉ. के. अशोक | - | |
| 5. डॉ. अशोक शुक्ल (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग) | - | वरिष्ठ | - | |

प्रीति में डॉ. कुन्ना श्री गुन किल्लेन के उपस्थितता पर एक आशीर्वाद मुद्राका प्रकाशन प्रकाश की (अकादमिक, 07, 08, 09, 10) प्रकाश के अधीनस्थ परामर्शक विभाग की कमेटी पर प्रकाश करने में विभाग की एक एक्जामिनेट परामर्शक संसृति की जारी की-

डॉ. कुन्ना श्री गुन किल्लेन की अधीनस्थ विभाग का वरिष्ठ केनमन (Senior) अनुक्रम करने हेतु अधीनस्थ विभाग (अकादमिक, 068, 069, 070, 071, 072-073) पर एक्जामिनेट परामर्शक (Acad.) में विभाग की कैबिनेट (068, 069, 070, 071, 072-073) पर एक्जामिनेट परामर्शक की अधीनस्थ वरिष्ठ केनमन (Senior) में वरिष्ठ अधीनस्थ विभाग के अधीनस्थ की-

विद्याजी अग्रवाल
(डॉ. विद्याजी अग्रवाल अध्यक्ष)
कुन्ना श्री गुन किल्लेन

मोहनलाल मिश्र
(डॉ. मोहनलाल मिश्र)
विभाग विदेश

अशोक कुमार शुक्ल
(डॉ. अशोक कुमार शुक्ल)
विभाग-व्याकरण

अमर अग्रवाल
(डॉ. अमर अग्रवाल)
उप विभाग डॉ. के. अशोक

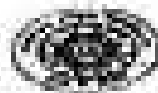
अशोक शुक्ल
(डॉ. अशोक शुक्ल)
कुन्ना श्री गुन किल्लेन

वा. कार्यसिंहद के समक्ष डॉ. कुन्ना श्री गुन किल्लेन, सहायक आचार्य-व्याकरण विभाग के कैबिनेट एक्जामिनेट बोर्ड के अन्तर्गत सहायक आचार्य के वरिष्ठ केनमन पर (अकादमिक 068-073) पर अनुवीक्षण समिति (Screening/Selection Committee) की उपर्युक्त संसृति पर कार्यसिंहद से अपनी स्वीकृति प्रदान की।

विद्याजी अग्रवाल

विद्याजी अग्रवाल

वा. कार्यपालक के समक्ष हों, दिव्यचेतन ब्रह्मचारी, सहायक आचार्य-व्याख्या विभाग के केन्द्रीय एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत खीनरे हेतु अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 29.03.2025 की अपीललिखित संशुति प्रस्तुत की गयी-



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, आराधपासी

खीनरे/अपील की बैठक का कार्यवाही

दिनांक - 29.03.2025
 समय - 04:00 बजे से
 स्थान - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में आचार्य विभाग के अधिवेशन केन्द्र पर डॉ. दिव्यचेतन ब्रह्मचारी की केन्द्रीय एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत खीनरे हेतु अनुवीक्षण समिति की बैठक का कार्यवाही दिनांक 29.03.2025 की अपील 04:00 बजे से कुलपति कार्यालय में आयोजित हुई। खीनरे/अपील की बैठक में अपीललिखित संशुति प्रस्तुत हुई-

- | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---------|
| 1. डॉ. विद्याजी लाल शर्मा, | - | कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. गोवर्धन मिश्र | - | विभाग प्रमुख | |
| 3. डॉ. अरवि कुमार शुक्ल | - | विभाग प्रमुख, सहायक विभाग | |
| 4. डॉ. योगेश शर्मा | - | अध्यक्ष, समिति की बैठक | |
| 5. डॉ. रमेश कुमार (अध्यक्ष, कुलपति) | - | अध्यक्ष | |

खीनरे के डॉ. दिव्यचेतन ब्रह्मचारी के अनुवीक्षण केन्द्र पर डॉ. अरवि कुमार शुक्ल के अध्यक्षता में बैठक की (अपील, अपील, अपील)। बैठक का अध्यक्षता डॉ. अरवि कुमार शुक्ल के अध्यक्षता में बैठक करने के उपरान्त अपीललिखित संशुति की जाती है-

डॉ. दिव्यचेतन ब्रह्मचारी की अपीललिखित केन्द्र पर डॉ. अरवि कुमार शुक्ल (Aap-11) अनुवीक्षण करने हेतु खीनरे दिनांक 29.03.2025 के संशुति की जाती है। अनुवीक्षण केन्द्र पर डॉ. अरवि कुमार शुक्ल के अध्यक्षता में बैठक करने के उपरान्त अपीललिखित संशुति की जाती है।

(डॉ. विद्याजी लाल शर्मा)
 कुलपति, अध्यक्ष

(डॉ. गोवर्धन मिश्र)
 विभाग प्रमुख

(डॉ. अरवि कुमार शुक्ल)
 विभाग प्रमुख, सहायक विभाग

(डॉ. योगेश शर्मा)
 अध्यक्ष, समिति की बैठक

(डॉ. रमेश कुमार शुक्ल)
 कुलपति, अध्यक्ष

वा. कार्यपालक के समक्ष हों, दिव्यचेतन ब्रह्मचारी, सहायक आचार्य-व्याख्या विभाग के केन्द्रीय एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत सहायक आचार्य के वरिष्ठ वेतनमान पर (अकादमिक स्तर-11) पर अनुवीक्षण समिति (Screening/Selection Committee) की उपर्युक्त संशुति पर सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की।

2(क). प्रचारवेदक के कल्याणपुर, ब्राचर्य पर अनुमति सम्बन्धी नव निषेधदेश से विरोधवादी के मनोबलन पर दिनांक 09.08.2024 द्वारा महाविद्यालय को सूचित किया गया था, इससे पूर्व किसी भी समय से महाविद्यालय को अवगत नहीं करता था कि ब्राचर्य पर हेतु विनिर्दिष्ट सेवा अथवा प्रशिक्षण के खर्च से सम्बन्धित अभावक के खर्च से पुनर्गठन का विवरण होने पर ही अनुभव प्राप्त होगा। ब्राचर्य पर वह सम्बन्धित विवरण वर्ष 2018 में हुआ था। प्रत्यक्ष यह न्यायालय में प्रस्तुत होने के बादवर्क प्रथम सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करने में मिलन हुआ है। प्रथम प्रविष्टि में उक्त न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय से वर्ष 2018-19 से अवगत आयादिष्ट है एवं विज्ञान अधिनियम एवं परिनिर्देश के अनुसार किया गया है इसलिए यह प्रविष्टि विश्वविद्यालय द्वारा करने गई नव-निर्देश के अन्तर्गत नहीं आती है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विज्ञापन में अधिनियम की धारा 2(1) तथा 51(2)(ग) और परिनिर्देश खण्ड 11.14 के अन्तर्गत संस्कृत महाविद्यालयों के ब्राचर्य की अर्थात् निर्धारित है जिसके अनुसार महाविद्यालय में चयन समिति द्वारा चयनित प्रथम एवं द्वितीय दोनों उम्मीदवारों को अर्थात् पूर्ण करते हैं।

2(ख). कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15.12.2022 एवं दिनांक 28.2.2023 में लिए गये निर्णय में यह चर्चित नहीं है कि विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले ब्राचर्य पर पर उक्त विषय लागू होगा अथवा परिनिर्देशवली, 1978 में परिवर्तित कर परिषद में होने वाली सभी नियुक्तियों पर लागू किया जायेगा। परिनिर्देशवली में अद्यतन न हो कोई संशोधन किया गया है, न ही इसके संदर्भ में किसी भी तरह की कोई आधिकारिक सूचना दी प्रेषित की गयी है। परिनिर्देशवली में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 2018 में विज्ञापित रिक पदों पर नव न्यायालयवेदक या शासनादेशों के द्वारा से चयन समिति की समस्तुति के अनुसार चयन किया गया है। इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा परिनिर्देशवली में जब तक नियमानुसार संशोधन नहीं किया जाता है उक्त तक नियमों में संशोधन कर चयन करना नव न्यायालय की अवमानना होगी।







2(ग). डॉ. गणेश गिरि द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 12.03.2013 से दिनांक 12.07.2018 तक बाबू जयन प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय, धनिरपुर, हजारी बाजार, नारायणी में निशुल्क शिक्षण कार्य किया गया है। इसलिए खाते में मानदेय भुगतान के प्राथमिक साक्ष्य सलग्न नहीं किए गए हैं। डॉ. गिरि दिनांक 22.07.2018 से अद्यतन विश्वविद्यालय द्वारा नियत अनुमोदन के क्रम में श्री सदगुरु भाम संस्कृत महाविद्यालय, बादनी, जालीन में स्थाई नियुक्त हैं तथा 50900 राज्यानुदान से वेतन प्राप्त करते हैं। जिससे विश्वविद्यालय भत्ते-भारी अवगत है। विश्वविद्यालय द्वारा यह आरोपित करना कि प्राचार्य पद के अभ्यर्थी के अनुभव से सम्बन्धित प्रामाणिक साक्ष्य वेतन/मानदेय बैंक खाते से प्रविष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्राचार्य पद के अभ्यर्थी का अनुमोदन विचारणीय नहीं है, निराधार एवं नियम विरुद्ध है।

2(घ). महाविद्यालय प्रबंधक के पत्र दिनांक 23.03.2018 द्वारा डॉ. गणेश गिरि के सम्बन्धीकरण से पूर्व प्रबंधक, श्री सदगुरु भाम संस्कृत महाविद्यालय, बादनी, जालीन से राहगले प्राप्त कर तत्कालीन कुलपति से अवेतार सम्बन्धी दिशानिर्देश हेतु निवेदन किया गया था जिसके क्रम में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर श्री गिरि का नाम उल्लिखित किया गया है एवं श्री गणेश गिरि द्वारा संस्कृत विद्या में अपने दायित्वों का सकुशल निर्वहन किया जा रहा है। कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15.12.2022 एवं 28.02.2023 में लिए गए निर्णय को यदि एक क्षण के लिए सही मान भी लिया जाये तो उक्त निर्णय कार्यपरिषद के चार वर्ष पूर्व अर्थात्, 2018 में विज्ञापित विज्ञापन पर "Rules of the game can not be changed during the game." के अनुसार लागू नहीं किया जा सकता है। नियमानुसार कोई भी नियम पारित किये जाने की तिथि से लागू होता है जबकि यह चयन प्रक्रिया रिक्र पदों की परिपुष्टि प्राप्ति की श्रेष्ठि से ही प्रारम्भ हो चुकी है, इस कारण कार्यपरिषद का यह निर्णय इस चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता है। डॉ. गणेश गिरि दिनांक 21.04.2018 से अद्यतन

विश्वविद्यालय ने प्राचार्य पद के दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये नव-नियम निर्देश से विश्वविद्यालय अनभिज्ञ था। विद्वता समूह दिनांक 09.08.2024 तारीख दिनांक से लागू हो सकती है तो संसुत व तुरन्त दिनांक 09.08.2024 तक प्राचार्य पद के दायित्व निर्वाह दिनांक 21.08.2024 से 09.08.2024 तक (लगभग 8 महीने) को ध्यान में रखते हुए एन.आर.विद्यालय के सम्बन्ध में डॉ. गणेश गिरि का अनुमोदन किया जाने अनिवार्य होगा। अतः दिनांक 21.08.2024 से कुलपति के नव-नियम निर्देश दिनांक 09.08.2024 तक कार्यवाहक प्राचार्य के अनुमति से दृष्टिकोण रखते हुए प्राचार्य पद पर डॉ. गणेश गिरि के चयन का अनुमोदन करने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाने का अनुरोध किया गया है।

3(क). विश्वविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अध्ययन के कथनों का पूर्णतः सफल करते हुए आस्था में उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा चयन समिति द्वारा विश्वविद्यालय ने प्राचार्य पद पर डॉ. गणेश गिरि का चयन किया गया है, चयन समिति की संसुति की प्रकृति में नियमानुसार विश्वविद्यालय की स्वयं समिति द्वारा संसुति प्रदान की गयी है। चयन समिति एवं प्रचार समिति द्वारा चयन/संसुति को नजरवाज करते हुए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा बनाए गए नव नियम (प्राचार्य पद हेतु नियमित सेवा अवकाश प्रदाता के द्वारा से सम्बन्धित अध्यापक के द्वारा में भुगतान का विवरण देने पर ही अनुमति मान्य होगा) दिनांक 15.12.2024 एवं 25.02.2024 के आलेख में डॉ. गणेश गिरि का प्राचार्य पद का अनुमोदन निरस्त किया गया है जबकि एक विधायी भी गिरि पर लागू हो नहीं होता है क्योंकि जिस विज्ञापन को राष्ट्रीय श्री विवेक का चयन किया गया है वह विज्ञापन वर्ष 2018 का है, उस समय ऐसी कोई बातचीत लागू नहीं थी, न ही उक्त विधायी विज्ञापित था (अतः मध्य न्यायालय एवं उच्च सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने एवं वर्ष 2023-24 में निर्णय होने के फलस्वरूप चयन में विलंब हुआ है)। कार्यपरिषद द्वारा बनाए गए एक नव

नियम दिनांक 15.12.2022 एवं 28.02.2023 की विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है, न ही आराखीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, न अधिसूचना जारी की गयी है, न ही कुलपति से अनुमोदन/संज्ञान में लाया गया है, न ही समस्त महाविद्यालयों को प्रेषित है एवं न ही विश्वविद्यालय की परिनिष्ठावली में सम्मिलित किया गया है।

अंश) श्री गिरि के प्रथम अनुभव दिनांक 03.08.2018 में वर्णित है कि उन्होंने महाविद्यालय के सहित्य विभाग में आचार्य/प्रथम वर्ष के छात्रों का दिनांक 12.03.2013 से दिनांक 12.07.2018 (कुल अवधि 3 वर्ष 4 माह) तक नियुक्त आकाशिक शिक्षण कार्य किया है। द्वितीय अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 30.08.2018 में वर्णित है कि श्री गिरि महाविद्यालय में सहायक अध्यापक (आख्यिक विषय हिन्दी) पद पर स्वर्द्ध नियुक्त है और उनके द्वारा दिनांक 21.07.2018 से दिनांक 30.06.2018 तक (कुल अवधि 02 वर्ष 01 माह) हिन्दी विषय तथा सहित्याचार्य के छात्रों का अध्यापन कार्य किया गया है। तृतीय अनुभव पत्र दिनांक 18.07.2024 के अनुसार श्री गिरि द्वारा महाविद्यालय में दिनांक 21.04.2018 से अधिसूचना (कुल अवधि 06 वर्ष 04 माह) प्रचार्य पद के दायित्वों का समुचित निर्वहन किया गया है अतएव श्री गिरि की प्रार्थना पूर्ण है।

अंश) क्या परिषद की बैठक दिनांक 15.12.2022 एवं दिनांक 28.02.2023 में लिए गये निर्णय में यह वर्णित नहीं है कि महाविद्यालय के आचार्य पद के चयन पर यह नियम लागू होगा अथवा परिनिष्ठावली, 1978 में परिवर्तित कर परिषद में होने वाली सभी नियुक्तियों पर लागू किया जायेगा। विश्वविद्यालय, परिनिष्ठावली में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत भयल समिति कर गठन किया गया है जिसके अंग में प्रथम समिति द्वारा कुलपति से विषय विशेषज्ञ छात्र इन सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण कर कुलपति से अनुमोदन प्राप्त करने तक सम्पूर्ण अधिकार तथा समिति के पास मुख्या है, जिसके अंग में वर्ष 2018 में विज्ञापित रिक्त पदों के संबंध

घरान समिति की संतुष्टि के अभाव में घरायश की स्वीकृति लेकर श्री गिरि को घरेलू किया गया है। जिससे श्री गिरि के घरान को, वसतिगृहपति को लक्ष्यदायक कर कार्यपरिषद के लिए गए निर्णय दिनांक 15.12.2022 व दिनांक 29.02.2023 के अंतर्गत में निशुल्क का संशोधन कर घरेलू प्रमाणिक प्रमाणित करने का न्यायिक की व्यवस्था का संशोधन का अन्तर्गत आती है।

अध) श्री गणेश गिरि द्वारा संस्था से दिनांक 12.03.2013 से दिनांक 12.07.2016 तक बाढ़, जलन प्रत्यक्ष संस्कृत महाविद्यालय, हरिहरपुर, लखी जिला, उत्तर प्रदेश में निशुल्क शिक्षण कार्य किया गया है। इसलिए आने में कमरेय भूखाना के प्रमाणित साक्ष्य संलग्न नहीं किए गए हैं एवं यह दिनांक 22.07.2016 से अद्यतन महाविद्यालय द्वारा निर्गत अनुमोदन के क्रम में, श्री लक्ष्मण राम संस्कृत महाविद्यालय, बाढ़नी, जिला उत्तर प्रदेश में स्थाई निशुल्क है तथा उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत अनुमोदन से प्रमाण प्राप्त कर रहे हैं। निशुल्क अध्ययन कार्य नहीं किया जाने का नोटिफिकेशन दिनांक 12.07.2016 से अद्यतन प्रमाणित नहीं किया गया है, न ही राज्यपाल द्वारा अतिरिक्त अध्ययन के लिए किसी भी तरह के मन्त्रों की व्यवस्था की गयी है। महाविद्यालय जिला के पत्र दिनांक 23.03.2018 द्वारा डॉ. गणेश गिरि से लक्ष्मण राम से पूर्व संस्था, श्री लक्ष्मण राम संस्कृत महाविद्यालय, बाढ़नी, जिला उत्तर प्रदेश प्राप्त कर लक्ष्मण राम संस्कृत से अद्यतन कार्यवाही दिनांक-निर्देश संस्कृत शिक्षण कार्य का जिला के क्रम में दिनांक 12.07.2016 से जिला के क्रम में श्री गिरि का नाम अतिरिक्त किया गया है। श्री गणेश गिरि द्वारा संस्कृत शिक्षण में अपने सहित श्री लक्ष्मण राम शिक्षण किया जा रहा है जिसे जमान में रखते हुए अनुमोदन किया जा सकता है।

अध) कार्य परिषद की बैठक दिनांक 15.12.2022 एवं 29.02.2023 में लिया गया निर्णय चार वर्ष पूर्व अगस्त, 2018 में विद्यार्थी शिक्षण पर मार्क्स ऑफ़ द इन्सट्रक्शन का नोट के अंतर्गत दिनांक के अनुसार जारी की गयी, तदनुसार श्री गिरि द्वारा कुछ शिक्षण एवं विद्यार्थी अध्ययन कार्य व अद्यतन पत्र

पर दायित्वों के निर्वहन कार्य को जोड़ते हुए अनुमोदन दिया जाना आवश्यक होगा। कोई भी निम्न (यदि उसमें यह उल्लेख नहीं है कि वह कब से प्रभावी होगा), नियमानुसार पारित होने की तिथि से लागू होता है। जबकि महाविद्यालय में चयन प्रक्रिया रिक्त पदों की परिपूरित प्रतीति की तिथि वर्ष 2017-18 से ही प्रारंभ हो चुकी है जिससे कार्य परिवर्तन का यह निर्णय इस चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है।

3(घ). महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये नव नियम निर्देश से अनिवार्य या विद्यता की सूचना दिनांक 09.06.2024 को प्राप्त होने की तिथि से लागू हो सकती है, जो संसूचित व संस्था विध में श्री गिरि के प्राचार्य पद के लगभग 06 वर्ष के दायित्व निर्वहन को ध्यान में रखते हुए एवं महाविद्यालय के अध्यक्ष हेतु 080 गणेश गिरि का अनुमोदन किया जाना स्वीकृत होगा। प्रबंध समिति द्वारा कुलपति से विषय विशेषज्ञ प्राप्त कर तद्विषय चयन समिति की संरचना के उपरान्त प्रबंध समिति की सहभागितापूर्णता प्राप्त कर प्राचार्य पद पर श्री गिरि का चयन किया गया है। अतएव श्री गणेश गिरि द्वारा दिनांक 21.04.2018 से कुलपति के नव-नियम निर्देश दिनांक 09.06.2024 तक अर्थात् 06 वर्ष तक प्राचार्य पद के दायित्व निर्वहन अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए प्राचार्य पद का अनुमोदन प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय को निर्दिष्ट किया जाये।

4(क). विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण में प्रेषित आक्षेप में उल्लेख है कि प्राचार्य पद की चयन अर्हता में कोई संश्लेषण नहीं किया गया है। मात्र पौन्य वर्ष के अध्यापन अनुभव की पूर्ति हेतु छात्रों में भुक्तान के साक्ष्य का प्राप्ति किया गया है। प्राचार्य पद पर अध्यापन अनुभव 06 वर्ष का ही है। प्राचार्य पद पर वर्तमान दोनों ही अभ्यर्थियों द्वारा अध्यापन अनुभव अर्थात् 06 वर्ष के साक्ष्य के रूप में भुक्तान प्राप्त होने का साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य पद पर चयन का अनुमोदन नहीं किया गया है। प्राचार्य पद के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये पौन्य वर्ष के अनुभव प्रमाण-पत्र की पूर्ति हेतु को-ऑपरेटिव

परिवर्धित के भुगतान के प्रमाण की जांच का रखा गया प्रत्यक्ष सभी महविद्यार्थी पर लगान कम से कम है, जिसका उल्लेख विनियमितता द्वारा दिनांक 09/06/2024 द्वारा निर्धारित विवरण दिनांक के पत्र में भी किया गया है, जिससे निर्णय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

4(ख) श्री गणेश गिरि का आयु वर्ष 2014 में पूर्ण हुआ है, जबकि प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार उन्हें दिनांक 12.03.2013 से ही अध्ययन करने का अधिकार है। आयु पूर्ण होने से पूर्व ही अध्ययन कार्य दिखाया गया है। दिनांक 12.03.2013 से 12.07.2018 तक के अध्ययन अनुभव साक्ष्य के रूप में केतन/मनदेव का साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुभव प्रमाण-पत्र के अनुसार दिनांक 22.07.2016 से श्री गणेश गिरि की नियुक्ति की संपूर्ण घण्टा संरक्षित महविद्यार्थी, जहाँ, जहाँ में सहायक अध्यक्ष (अध्यक्ष विषय हिन्दी) पद पर हुई है। अध्यक्ष विषय के अलावा के सहित विषय के अध्ययन अनुभव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पद का आवेदन करने की तिथि को 05 वर्ष का अध्ययन अनुभव पूर्ण होना चाहिए जो कि श्री गणेश गिरि द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के अनुसार पूर्ण नहीं है।

4(ग) प्रार्थना पद पर चयन हेतु 05 वर्ष के अध्ययन अनुभव का निवर्ण नया नहीं है अपितु पूर्ण निर्धारित नियम की पुष्टि हेतु ही अध्ययन अर्हता के केतन/परिवर्धित/मानदेव के भुगतान के प्रमाण की अर्हतायें किया गया है। प्रार्थना पद के चयन की अर्हता पूर्ण है। प्रार्थना पद का आवेदन करने की तिथि को 05 वर्ष का अध्ययन अनुभव पूर्ण होना चाहिए जो कि श्री गणेश गिरि द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के अनुसार पूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में श्री गणेश गिरि के प्रार्थना पद पर आवेदन करने के उपरान्त अर्जित अध्ययन अनुभव के आधार पर प्रार्थना पद पर चयन नियमानुसार नहीं है।

5(क) सहायक द्वारा प्रकरण में प्रेषित प्रस्तुत में सहायक ने बताया कि कानून की पुनर्जांच करने हुए उल्लेख किया गया है कि प्रार्थना पद हेतु निर्धारित

निर्णयित यह है कि अधिवेशन की धारा 3(1) तथा 3(2)(iv) और परिशिष्ट
तब 11.14 के अन्तर्गत संसूक्त महाविद्यालयों के छात्रों की छात्रों में खत
ले छात्रों में भुक्तान कर करने नहीं है।

5(ख) वर्ष 2013 में उक्त पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन एवं प्रकरण पर व्यवस्थापक ग
नियमित होने के बादवर्ष 2013 में हुए विज्ञापन के तहत, प्रचार के पद
अनुसूक्त छात्रों पर निर्णयित की विधियों के अन्तर्गत पर दिनांक
08.06.2024 द्वारा महाविद्यालय को सूचित किया गया है। इसी पूर्व 11.14 की
व्यवस्था से महाविद्यालय को ज्ञात नहीं कराया गया है। अनुसूक्त के पद
दिनांक 28.2.2024 में उल्लेख है कि छात्रों से भुक्तान का नियम अन्य प्रत्यक्ष की
वैदिक दिनांक 16.12.2022 एवं दिनांक 28.2.2022 में लिए गये निर्णय के क्रम में
ज्ञात किया गया है। इसलिए प्रचार के पद हेतु अर्हता के अर्थ में निर्णय नहीं
किया गया है, स्वीकृत किया जाने योग्य नहीं है।

5(ग) डॉ. गणेश गिरी आचार्य प्रथम, वर्ष 2013 में अनुसूक्त 417531 से छात्रों है
एवं आचार्य द्वितीय वर्ष 2014 में इसी महाविद्यालय से हुए किया है। इसके
अनुसूक्त प्रमाण पर से स्पष्ट है कि उन्होंने सेवा से दिनांक 12.03.2013 से
दिनांक 12.07.2015 तक आचार्य प्रथम के छात्रों की नियुक्त पदवा है। श्री
गिरी कुलजी के अनुमोदनोपरान्त श्री सदस्य प्राय संसूक्त महाविद्यालय,
जातीय में स्थाई नियुक्त है तथा दिनांक 22.07.2016 से अध्यापन कार्य कर रहे
हैं। नियुक्ति तिथि से पूर्व श्री गिरी सहित आचार्य की डिग्री प्राप्त है जिसके क्रम
में महाविद्यालय अभ्युद्योग हेतु नियुक्त (प्रमाण) के अर्हता अनुसूक्त छात्रों के
अनुसार श्री गिरी द्वारा सहित आचार्य के छात्रों का अध्यापन कार्य किया गया है
जिसके क्रम में नियुक्त द्वारा अनुमति पर निर्णय किया गया है और नियमनुसार
नियोजक/अध्यक्ष द्वारा निर्णय अनुमति पर ही कार्य किया जाता है। इससे यह
कहना कि सहायक प्राध्यापक, आधुनिक विभाग से अध्यापक के लक्षित विषय
के अध्यापन अनुभव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनुमति पर तब

अथ आवश्यक ज्ञान होता है, हम अपनी क्षमताओं का समुचित आकलन और नियोजन अनुभव कर के ही कर सकते हैं। श्री गिरि हिंदी पद पर नियुक्त थे किन्तु साहित्याचार्य विषय में अर्हताप्राप्ति होने के क्रम में निबंधना के निर्देशानुपालन में साहित्य विभाग के छात्रों का अध्यापन कार्य किया गया है जो नियमानुसार नग्न है।

5(घ) श्री गिरि के प्रथम अनुभव पत्र के अनुसार दिनांक 12.03.2013 से दिनांक 12.07.2016 (कुल अवधि-3 वर्ष 4 माह) एवं दिनांक 22.07.2016 से दिनांक 30.06.2018 तक (कुल अवधि-02 वर्ष 01 माह) के अनुसार 05 वर्ष का अनुभव पूर्ण है, इसलिए 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण न होने स्वीकार्य नहीं है। महाविद्यालय में दिनांक 21.04.2018 से अद्यावत् डॉ० गणेश गिरि द्वारा प्राचार्य के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है जिसका अलग से गिरी श्री गिरि का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है किन्तु श्री गिरि द्वारा संस्था हित में दिनांक 21.04.2018 से सकुशल दायित्वों का निर्वहन किया जाता रहा है। कुलवर्गों के पत्र दिनांक 09.06.2024 से स्पष्ट है कि छात्रों से भुगतान का नियम वर्ष परिसर की बैठक दिनांक 15.12.2022 एवं दिनांक 28.2.2023 के क्रम में लागू है तथा इसी से क्रम में प्राचार्य पद का अनुमोदन अवस्यक्त किया गया है जो स्वीकार्य किये जाने योग्य नहीं है। छात्रों से भुगतान सम्बन्धी नया नियम जिससे महाविद्यालय अननिक्रिड था, निष्कात की दिनांक 09.06.2024 से लागू हो सकता है तो संस्कृत व संस्थाहित में श्री गिरि के प्रचार्य पद के दायित्व निर्वहन दिनांक 21.04.2018 से 09.06.2024 (लगभग 6 वर्ष) को ध्यान में रखते हुए संस्था हित में श्री गिरि का अनुमोदन निर्वत करके जाने की मागना की गयी है।

6. प्रकरण में अध्यापकी की नियुक्ति के अनुमोदन सम्बन्धी विश्वविद्यालय द्वारा निर्वत प्रशस्ति आदेश दिनांक 12.06.2024 अवलोकनीय है, जो निम्नप्रकार है -

"आपकी नियुक्ति अनुमोदन अवस्यक्त पत्र दिनांक 22.07.2024 एवं 09.08.2024 के तर्जों में यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपकी संस्थाहित के निमित्त निम्नलिखित दिनांक के अनुसार दायित्व अध्यापकी का अनुमोदन परिसरियत दिनांक 12.06.2024 अधिनियम की धारा 31 से अंतर्गत कुलवर्गों द्वारा दिनांक 11.08.2024 को प्रदान

[illegible]

क्र.सं.	नियुक्त अधिकारी का नाम	जारी/संख्या	रत आ. दिनांक	आवधिकारी	आवधिकारी	प्रतिफल	प्रत्येकित आवधिकारी का नाम
1	श्री. जयदेव सिंह पुत्र श्री. अशोक सिंह	आवधिकारी	10/10/1984	आवधिकारी	10/10/1984	11.20	श्री. अशोक सिंह
2	श्री. विजयदेव जयदेव पुत्र श्री. सुधीरदेव जयदेव	आवधिकारी	10/10/1984	आवधिकारी-आवधिकारी	10/10/1984	11.20	श्री. अशोक सिंह
3	श्री. अशोक कुमार पुत्र श्री. राजदेव कुमार	आवधिकारी	10/10/1984	आवधिकारी-आवधिकारी	10/10/1984	11.20	श्री. अशोक सिंह
4	श्री. अशोक कुमार पुत्र श्री. राजदेव कुमार	आवधिकारी	10/10/1984	आवधिकारी-आवधिकारी	10/10/1984	11.20	श्री. अशोक सिंह

नोट : 1. उम्मीदवार को प्रवेशपत्र में उल्लिखित सभी नियमों का पालन करना होगा।
2. उम्मीदवार को प्रवेशपत्र में उल्लिखित सभी नियमों का पालन करना होगा।
3. उम्मीदवार को प्रवेशपत्र में उल्लिखित सभी नियमों का पालन करना होगा।

2. **परिचय** में यदि प्रमुख अधिकारी ने किसी प्रकार की भूमि/सिंचित/अवधारित जमीन का जवाब है तो निम्नलिखित/अवधारित जमीन, सिंचित जमीन का जवाब व किसी भी प्रकार के अवधारित जमीन के जवाब के अंतर्गत होने की स्थिति में ही उन्हें संबंधित अवधारित जमीन के अंतर्गत में शामिल करेंगे।

3. कार्यार्थ एवं संस्थाओं के अनुभव संबंधी प्राथमिक सार
संग्रह/समर्पण के तहत प्राप्त संस्थाओं के सार संग्रहीत व विवरण के तहत
कार्यार्थ एवं संस्थाओं के अनुभवों के विवरण दर्शाए गए हैं।

7. प्रकरण में विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 अधिनियम व अध्यादेश के तुरन्त प्रारब्धन अवलोकनीय हैं जो निम्नान्त हैं :

प्रश्न 20(1) : इस अधिनियम में उपबन्धों में आये हुए शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है—
 (क) 'अधिनियम' का अर्थ उपर्युक्त अधिनियम का अर्थ है—
 (ख) 'अधिनियम' का अर्थ उपर्युक्त अधिनियम का अर्थ है—
 (ग) 'अधिनियम' का अर्थ उपर्युक्त अधिनियम का अर्थ है—
 (घ) 'अधिनियम' का अर्थ उपर्युक्त अधिनियम का अर्थ है—
 (ङ) 'अधिनियम' का अर्थ उपर्युक्त अधिनियम का अर्थ है—

हैं जहाँ की गरीब विद्युति न हो। प्रत्येक एक वर्ष के लिए परीक्षा पर होने
जिस एक वर्ष में अतीरक अर्थी के लिए बहाल जा सकेगा
धारा 81(2)(b) : अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम का प्रयोग करने में आये।
सम्बन्धित होने की अवधारणा द्वारा किने जाये।

नियम 18.14 : सम्बन्धित महाविद्यालयों में अन्तर्गत विभिन्न छात्रों की संयोजित है।
की अर्हताएं पूरी होनी, जैसी अवधारणा में निर्धारित की जाये।

सम्बन्धित महाविद्यालयों के अन्तर्गत/प्राचार्यों की अर्हता सम्बन्धी अवधारणा

1. छात्री या छात्रों का एक सम्बन्धित महाविद्यालयों के छात्रों पर की अर्हता
निम्नलिखित होगी :

क. महाविद्यालय में दिन 'क' तक विद्यार्थी व अध्यापन-अवस्था की अवस्था हो
जहाँ से किसी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर छात्री

ख. अन्तर्गत अनुसूच 5 वर्षों का दिन से कम स्नातकोत्तर छात्री

ग. परम्परागत उपाधि को धारिता

घ. न्यूनतम आयु 35 वर्ष विशेष स्थिति में क्या लैंगी की तालुकी एक कुलपति की
स्वीकृति में 5 वर्ष को पूरा हो जा सकती है।

8(अ) प्रकरण के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय द्वारा
महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर चयनित अर्थी का अनुमोदन उसके अनुसूच
सम्बन्धी प्रावधानों साध, वेतन/मानदेय बैंक खाते से जति के माह प्रस्तुत
न किये जाने के कारण विचारणीय नहीं पाते हुए स्वयं पद पर चयनित अर्थी
को अनुमोदित नहीं किया गया है। वर्ष 2018 में विज्ञापित प्राचार्य - एक पद
हेतु (क) तक विद्यार्थी अवस्था अवस्था विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अर्थी
(स्नातकोत्तर छात्री), (ख) न्यूनतम आयु 35 वर्ष (ग) अध्यापन अनुसूच 5 वर्ष से कम
वर्षों का स्नातकोत्तर छात्री (घ) परम्परागत उपाधि अर्थी तालुकी को स्वीकृति
योग्यता निर्धारित थी। प्रकरण न्यायकालाधीन होने एवं वर्ष 2023-24 में निर्धारित
होने के फलस्वरूप चयन प्रक्रिया सम्पन्न करने में विलम्ब हुआ है। कार्यभार
द्वारा बनाई गये नियमादेश से, महाविद्यालय को विशेषज्ञों के मनेमन पर
दिनांक 09.08.2024 से पूर्व सूचित नहीं किया गया। प्राचार्य पद हेतु नियमित
सेवा अर्थी प्रख्यात के खाते से सम्बन्धित अवस्था के खाते में न्यूनतम का
निर्धारण होने पर ही अनुसूच मान्य होने की कोई शर्त विज्ञापन में नहीं थी। वर्ष
परिषद की बैठक दिनांक 15.12.2022 एवं 28.02.2023 में लिये गये निर्णय की
न तो अधिसूचना जारी की गयी है, न ही परिचालित अर्थी गयी है और न ही

उसके परिनिष्पन्नवली में समाहित किया गया है। परिनिष्पन्न सम्पद ११.५४ में संयुक्त विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों की निर्धारित जड़ता में छात्रों की भागीदारी में युक्तमान की भागीदारी का उल्लेख न होने पर भी विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य पद पर वर्धित अन्यथा के समान को अनुमोदित नहीं किया गया है अतएव, प्रभावशाली द्वारा प्राचार्य पद पर वर्धित अन्यथा के समान को अनुमोदित करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

8(न). विश्वविद्यालय द्वारा वर्धित समिति द्वारा विश्वविद्यालय के प्राचार्य पद पर डॉ० गणेश गिरि का चयन किया गया है। वर्धित समिति के मतान पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रस्तावित नहीं लगाया गया है जिसके कारण, वर्धित चयन को प्रबंध समिति द्वारा संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्णतः को अनुमोदनार्थ प्रस्तावित प्रेषित की गई है। प्राचार्य पद से युक्त निर्वाचित सेवा अथवा प्रभावशाली के छात्रों से सम्बन्धित अध्ययन के छात्रों में युक्तमान का निर्धारण होने पर ही अनुमोदित मान्य होने सम्बन्धी नियम वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि जिस विज्ञान के साधक श्री गिरि का चयन किया गया है वह विज्ञान वर्ष 2018 का है, उस समय ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं थी, न ही वर्धित नियम विज्ञापित था, उस के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कार्रवाई में कोई सम्पन्न/प्रतिवाद नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में 100 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णय विधियों (i) लेक्टरी, एबी चरित्रक सविन कवीरन बनाम डी. स्वप्ना व अन्य, (2005) 4 एचसीसी 154, (ii) महाराष्ट्र एरवारटीसी बनाम राजेन्द्र भीमराव भाण्डवे, (2001) 10 एचसीसी 51, (iii) के. मंजू की बनाम स्टेट ऑफ़ एबी, (2000) 3 एचसीसी 512 एवं (iv) रमेश कुमार बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एआईआर 2010 एससी 3714 अवलोकनीय है जिसमें मातृ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि लक्ष्य ऑफ़ व के अवलोकन के मातृपक्ष द्वारा वे वा वर्धित प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद बदले नहीं जा सकते हैं, जिसके अलावा वे विश्वविद्यालय द्वारा परिवाद की वेतक

दिनांक 15.12.2022 एवं दिनांक 28.02.2023 में किए गये निर्णय को नवीमान प्रकरण में इन्हीं मानकों के अनुसार निम्नानुसृत प्रतीत नहीं होता है।

9. यह भी स्पष्ट है कि सम्बन्धित चयन समिति का गठन प्रतिनिधिमूलकों के निर्देशानुसार के अनुसार किया गया है जिसके अंग में प्रवेश समिति द्वारा वर्ष 2018 में विज्ञापित पद के सम्बंध में प्रवेशी से विषय विशेषज्ञता पर कर ज्ञान प्रक्रिया सम्बन्धित कर चयन समिति की संसुति पर प्रवेश समिति की स्वीकृति लेकर ही निर्णय का चयन किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा इस तथ्य का सम्बन्धित प्रतीक नहीं किया गया है जो विश्वविद्यालय द्वारा इसे स्वीकार किया जाने का प्रमाण प्रस्तुत है। इस सम्बन्ध में यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णय विधियों (i) जी.एन. नाइक बनाम गोवा विश्वविद्यालय व अन्य, (2012) 2 एससीसी 712 एवं (ii) दलपत अंबालादेव सोलुंके बनाम डॉ० बी.एन. महाजन, एजडाईआर 1993 एससी 434 में यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की विद्युत्त संघर्षी विचारधारा करने में चयन समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि विश्वविद्यालय प्रतिनिधिम व अज्यादेश में निर्धारित की गयी है एवं चयन समिति द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यापक/प्रोफेसरों के चयन के सम्बन्ध में निर्देशों के अंतर्गत निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए, के अलावा वे भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही सही प्रतीत नहीं होती है।

10. वर्ष 2018 में विद्यार्थी विद्यार्थी व प्रतिनिधिम वरुड 11.14 के अज्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय प्राध्यापक की अहर्ता में अध्यापन अनुपात 5 वर्षों का (जो वे कम स्नातकोत्तर स्तर का) जितने निर्धारित अथवा अंतरावर्ती अध्यापन का उत्तरदायी नहीं था, निर्धारित होने के आधार पर विश्वविद्यालय से विषय विशेषज्ञता प्राप्त कर चयन समिति की संसुति एवं तदनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के सम्बन्ध में यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णय विधियों (i) दलपत अंबालादेव सोलुंके बनाम डॉ० बी.एन. महाजन, एजडाईआर 1993 एससी 434, (ii) नाथन बनाम डॉ०

विज्ञान-दा कार व अन्य, (1994) 1 एचसीसी 169 एवं (11) भूखन चलाय लले बनाय डीन, बी.जे. मेडिकल कॉलेज व अन्य, (1992) 2 एचसीसी 220 (11) डॉ० इंदर कुमार शिवारी बनाय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय व अन्य, 2016(3) ईएससी 1637 (इलाहाबाद) (सिवीजन बेंच) अखत्यक्तनीय है किन्तु मा० सी० न्यायालय द्वारा चयन समिति की संरचनाओं के गठन के संबंध में यह माना गया है कि चयन समितियों में निर्णय पर अपील सुनना और सम्बन्धिता की जाँच करना न्यायालय का कार्य नहीं है। कोई जम्हीदार किसी बंद विशेष के लिए उत्पद्युक्त है या नहीं, जो निर्णय विविधता प्रतिष्ठान समिति द्वारा किया जाता है जिसके पास विषय विशेषज्ञता है। चयन समिति के निर्णय में केवल सीमित आधारे पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है जैसे चयन समिति के गठन में अक्षमता या पोटेंट संघर्ष की अन्विष्टिता या इसकी भ्रष्ट प्रक्रिया अथवा चयन को प्रभावित करने वाली दुर्व्यवस्था। चयन समिति के समितियों विरोधियों द्वारा सभी प्रचलित सम्बन्धों का अध्ययन करने के बाद अग्रणी का चयन किया गया है, जिसके आलेख में विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय इत्यादि आदेश के नोट क्रमिक 5 पर किया गया निर्णय विधि की दृष्टि से सीकर किया जाने योग्य नहीं है।

11. प्रकरण में, मा० इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय पर विवेक सीनर सान्नी बनाय 2009 राज्य, एआईआर 2017 इलाहाबाद 118 (पूर्ण पीठ) अखत्यक्तनीय है किन्तु मा० न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि निशोका को नियुक्ति की उन सभी मात्रा/योग्यताओं को नियुक्ति सम्बन्धी विज्ञापन में उल्लेख करना चाहिए था। वर्ष 2018 में विज्ञापित अवधि: विज्ञापन में संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा अग्रणी का निर्धारित अमान्य सर्व एन खाली में भुगतान का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। विज्ञापन में अन्तिमिक 03 वर्ष का अध्ययन अनुभव होने के इच्छित ही श्री ललित शर्मा द्वारा सम्बन्धित विज्ञापन के विश्व आदेश पर प्रस्तुत किया गया। उन्नी सन्तान में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णय विधि जारपी जेटी बनाय

इण्टरनेशनल एग्रीपॉर्ट अथॉरिटी, (1979) 3 एससीसी 489 की उपनियम-111 है जिसमें यह स्पष्टाकरा हुआ यह अवधारित किया गया है कि निर्यात में निर्धारित पावता के मानकों को नमाने हुए ही हटाया जायक जतना निर्यात नहीं किया जा सकता है।

12(अ) अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचन एवं विधि-नियमों के आलोक में, प्रत्यवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन स्वीकार किया जाता है एवं प्रथमता आदेश दिनांक 12.08.2024 से क्रमांक 3 पर अंतिम नोट नबे निरस्त करने हुए, जयन समिति की संस्तुतियों पर पुनर्विचार करते हुए, सकारण आदेश द्वारा आठ सप्ताह की अवधि में, प्रकरण का विधिकार्य निवारण किये जाने हेतु विश्वविद्यालय कार्य-विषय को निर्देशित किया जाता है। यह आदेश, यह उच्च न्यायालय द्वारा उक्त में पालि किये जाने वाले किसी आदेश के प्रतीन होना।

12(ब) प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन उपरीक्षणानुगत निरस्तित किया जायक है।

हस्ताक्षर—

(आनंदीबेन पटेल)
कुलपिणी

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा -

1. प्रत्यवेदक, आदेश की संस्तुत जयन महाविद्यालय, कुलींद जालीन।
2. प्रत्यवेदक, आदेश की संस्तुत शरन महाविद्यालय, कुलींद जालीन।
3. कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (220001)।

(डॉ० सुधीर कुमार मोहंते)
कुलपिणी के आगत सूचना समिति

श्री. जयन समिति के प्रत्यावेदन के तम में उक्त प्रवेश गणक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-68 पर सम्बन्धित कुलपिणी के पत्रंक-ई-363/जी.एल., दिनांक 22.08.2024 के परीक्षण में प्राप्त विधिकार्यमार्ग।

सार्वजनिक सेवाओं में कार्य करने वाले लोगों के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग करना
 राज्य सरकार द्वारा जारी की गई न्यायिक प्रणाली का उपयोग करना
 जो कि निम्नलिखित है :

The judgment of the Hon'ble Supreme Court starts from the opening sentence *"The ideal in recruitment is to do away with unfairness"* and in paragraph-42 of the same following principles have been laid down:

- (1) Recruitment process commences from the issuance of the advertisement calling for applications and ends with filling up of vacancies;
- (2) Eligibility criteria for being placed in the Select List, notified at the commencement of the recruitment process, cannot be changed midway through the recruitment process unless the extant Rules so permit, or the advertisement, which is not contrary to the extant Rules, so permit. Even if such change is permissible under the extant Rules or the advertisement, the change would have to meet the requirement of Article 14 of the Constitution and satisfy the test of non-arbitrariness;
- (3) The decision in *K. Manjusree (supra)* lays down good law and is not in conflict with the decision in *Subash Chander Marwaha (supra)*. *Subash Chander Marwaha (supra)* deals with the right to be appointed from the Select List whereas *K. Manjusree (supra)* deals with the right to be placed in the Select List. The two cases therefore deal with altogether different issues;
- (4) Recruiting bodies, subject to the extant Rules, may devise appropriate procedure for bringing the recruitment process to its logical end provided the procedure so adopted is

सचिव

मे

विश्वनाथ

transparent, non-discriminatory/ non-arbitrary and has a rational nexus to the object sought to be achieved.

(5) Extant Rules having statutory force are binding on the recruiting body both in terms of procedure and eligibility. However, where the Rules are non-existent, or silent, administrative instructions may fill in the gaps.

(6) Placement in the select list gives no indefeasible right to appointment. The State or its instrumentality for bona fide reasons may choose not to fill up the vacancies.

However, if vacancies exist, the State or its instrumentality cannot arbitrarily deny appointment to a person within the zone of consideration in the select list.

(3) यह कि विद्युतविभाग के अनुसार भी सबसे शिफ्ट से आचार्य द्वितीय श्रेणी की परीक्षा वर्ष 2014 में उत्तीर्ण की है जबकि प्रस्तुत अनुभव प्रमाण-पत्र से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि जब भी शिफ्ट वर्ष, 2014 में आचार्य द्वितीय श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण कर दी है तो उस समय वह कैबिनेट स्तर किया जाए कि वे बाबू जमान प्रसाद के अनुसार अनुभव विद्युतविभाग हरिद्वारपुरानी बालाट कारखाने के प्रबंध मुख्य दिनांक 03.08.2018 द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 12.03.2013 से दिनांक 12.07.2016 तक का है, वह सभी से कहता है अथवा इसे विधिक दृष्टिकोण से स्थापित माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रभावशी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि बीच सबसे शिफ्ट की लंबी किंगुनित हिंदी से अभावक के पर पर होने के साथ अनुविभागाध्यक्ष प्रमुख द्वारा साहित्यकार का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि हिंदी कक्षाओं का संघर्षन केवल शास्त्री टावर तक ही है।

(4) यह कि कोशिका सम्बन्धित अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ तथ्यों के निरीक्षणों के होते हुए मजदूर इस बात की बराबरता कर दिया कि भी शिफ्ट को उस दौरान शास्त्रीय दालकोम से कोई सुधारण नहीं होने से उसकी पात्रता पर कोई अक्षेप

जड़ी-बूटी का किण्वु जब उसके अनुमत प्रमाण-पत्र की विश्वसति देती है कि वह योग्यता की आवश्यक शर्तों की भी पूरी पूर्ण करती है तो उसके द्वारा प्रस्तुत अनुमत प्रमाण-पत्र किसी भी देश में कृषिकार जड़ी-बूटी किण्वु जा सकते, क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से उचित जड़ी-बूटी खराद जा सकते।

- (5) यह कि तत्कालीन भारतीय कृषि विभाग द्वारा कृषि विभाग की अनुमति-5 के अंतर्गत में विधि बाध उत्तर की कि अत्यंत-गंभीर दिखाने के दिनांक है वह पूर्णतः विधिक रूप से सही है और जहाँ परिवर्तन बहाली अपने निर्णय करते समय विचार कर सकती है :

उत्तर- डॉ. जयेश किरी का आदेश वर्ष 2014 में पूर्ण हुआ है जबकि प्रस्तुत अनुमत प्रमाण-पत्र को अनुमति दिनांक 12-03-2013 में ही अद्यतनित कर दिया गया है। आदेश पूर्ण होने की पूर्व ही अद्यतनित कर दिया गया है।

अनुमत प्रमाण-पत्र की अनुमति दिनांक 22-07-2016 से भी जयेश किरी की नियुक्ति अनुमति प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी, काशी में अद्यतन अद्यतन आधुनिक विभाग-विधि पर पर हुआ है। आधुनिक विभाग की अद्यतनित की स्थिति विभाग की अद्यतनित अनुमति की स्थिति में नहीं किया जा सकता है।

डॉ. जयेश किरी द्वारा प्रस्तुत अनुमत प्रमाण-पत्र में जो बुनियादी दोष (Basic Defects) है, भारतीय कृषि विभाग द्वारा निर्णय की कि विभाग के शर्तों के अनुसार है। उससे भी डॉ. जयेश किरी के अनुमत प्रमाण-पत्रों में सुधार करने की आवश्यकता (Cure) नहीं हो सकता है।

आतः अद्यतनित करी अनुमति प्राप्त अनुमति विभाग द्वारा विधि बाध निर्णय की पूर्णतः सही है और उसमें किसी प्रकार की विधिक दोष नहीं है।

2016-17

(अधीनस्थ प्रमाण-पत्र)
एकवीक

भा. कार्यपरिषद् ने उपर्युक्त संपूर्ण तथ्यों का अनुशीलन किया एवं परिषद् के वा.सदस्य डॉ. चक्रा एन. ज्ञानी के परामर्शानुसार प्रकरण के समय बड़े निष्ठावान् हेतु सगति गठित करने के लिए भा. कृषि विभाग को अधिकृत किया।

प्रेम,

संज्ञक,

संपूर्ण सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निर्देशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।

2. कुलसचिव, सम्पूर्णनंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बाराबंकी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

तारीख दिनांक 25 नवम्बर, 2022

विषय: सम्पूर्णनंद संस्कृत विश्वविद्यालय बाराबंकी से सम्बन्धित महाविद्यालयों में स्थानान्तरण नीति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री रवि निरंजन कुमार, भा० संसद, लोक सभा 84, गोरखपुर (उ०प्र०) के पत्र संख्या-4647/जन समस्यतासद गोरखपुर/अनूपम, दिनांक 05-10-2022 के साथ संलग्न की निर्देश कुमार मिश्र के दिनांकदिन वर (प्रशासित गतमान) का कृपया हस्तक्षेप करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संस्कृत विश्वविद्यालय में भी स्थानान्तरण नीति हेतु आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि परन्तुल पत्राण में दिखानुसार सुसंगत आदेश सतत पर उपलब्ध करने का कष्ट करें।

संलग्नक-अपीकत

भवदीय,

(संज्ञक)
संपूर्ण सचिव

तुम्हारा एवं दिनांक अद्वैत

प्रतिनिधि श्री रवि निरंजन कुमार, भा० संसद, लोक सभा 84, गोरखपुर (उ०प्र०) को उनके पत्र संख्या-4647/जन समस्यतासद गोरखपुर/अनूपम, दिनांक 05-10-2022 के क्रम में सुपानार्थ प्रेषित।

श्री राजकुमार
5-11-22

आगत में,

(अनूपम मिश्र)
अनु सचिव

...

...

...

उपरा

शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा)
शिक्षा विभाग (आई-६) अजमेर
(आप), अजमेर।

Registrar
04/01/23

सेवा में

कुलसचिव,
समपूर्णतः संयुक्त विश्वविद्यालय,
वागमरी।

पत्रांक: शिक्षा-आई-५

4825

2022-23

दिनांक 27/12/2022

विषय: समपूर्णतः संयुक्त विश्वविद्यालय, वागमरी से संबद्ध महाविद्यालयों में छात्रावास नीति के संबंध में।

महोदय,

अपेक्षा विषयक आदेश के पत्र संख्या-140-82/आवा-1-2022 दिनांक 23.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कह कर, जिससे द्वारा श्री राजी विष्णु दूला, मा. संसद, लोक संघ 64, गोलपुर (उ.प्र.) के पत्र संख्या-2647/अन. सामान्य/संसद गोलपुर/अन. संसद, दिनांक 05.10.2022 के साथ संलग्न श्री विनोद कुमार मिश्र (प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संयुक्त शिक्षा संघ) के दिनांक 27.12.22 [अलगपत्र संलग्न] पर बंधन प्राप्त करने का कह कर, जिसके आदेश से संयुक्त महाविद्यालय में भी छात्रावास नीति हेतु आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।

अतः कहना है कि आदेश (संयुक्त महाविद्यालय) माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बंधित होने तथा आदेश विभाग के आदेश कार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग (आ.प्र.) के द्वारा किए जाने के कारण छात्रावास नीति की माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जानी चाहिए।

आ. आदेश के पत्र दिनांक 23.11.2022 की समस्त संश्लेषणें सहित सत्यापन कर आपसे इस आदेश से संबंधित है कि उक्त प्रकरण में अधिकतम नियमित रूप से अथवा आदेश प्राप्त की जायत करने द्वारा अपेक्षाकारी को अग्रतः आदेश सुनिश्चित करें।

संलग्नक प्रेषित।

प्रतिलिपि

श्री. राजी विष्णु दूला

उप. संसद संघ

संयुक्त शिक्षा (उ.प्र.)
विभाग प्रदेश, अजमेर।

प्रमाण संख्या शिक्षा-आई-५

2022-23 वि. वि.

प्रतिनिधि: संयुक्त संघ, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश संसद, अजमेर।

श्री. राजी विष्णु दूला
5.1.23

श्री. राजी विष्णु दूला
संयुक्त शिक्षा (उ.प्र.)
आ.प्र. अजमेर।

श्री. राजी विष्णु दूला

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

शिक्षा निर्देशक, उच्च शिक्षा, प्रधानमंत्री के कार्यालय-डिप्टी ऑर्डर-1/4825/2022-23 दिनांक 22.12.2022 से परिसंकेत में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्थानान्तरण नीति लागू करने हेतु दिनांक 27.01.2024 को अपराह्न 3.03 बजे प्राचार्यमहाशय का कार्यलय बस में बैठक अट्ठाई गई थी। जिसमें समिति के सम्प्रभित सदस्यगण उपस्थित हुए -

- | | |
|---|--|
| 1. प्रो० हरिहर प्रसाद | - अध्यक्ष  |
| 2. प्रो० सुभाकर मिश्र | - सदस्य  |
| 3. प्रो० प्रीतेश कुमार मिश्र | - सदस्य  |
| 4. प्रो० ललितप्रकाश पाण्डेय | - सदस्य  |
| 5. शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी | - सदस्य |
| 6. श्री विभूवन मिश्र, अधीक्षक सम्प्रदाय | - सचिव  |

कार्यवृत्त

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों के अध्यापक/सहायकों की स्थानान्तरण नियमावली 2024 -

एह नीति -

1. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों (उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुदानित) के स्थायी रूप से कार्यरत अध्यापकों, स्थानाचार्यों पर लागू होगी।
2. परामर्शों के ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालयों के स्थानान्तरण हेतु एक ऑन लाईन पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसका अध्यापक पोर्टल के माध्यम से अपरेटन करेंगे।
3. ऐसे महाविद्यालयों द्वारा जहाँ स्थानान्तरण नीति लागू होगी, उस महाविद्यालय में शिक्षा पदों के संबंध जिसकी अधिष्ठापन न प्रेषित किया गया हो, की सूचना स्थानान्तरण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

4. महाविद्यालयों द्वारा बिना पढी की शुद्ध कुलसचिव कार्यालय को अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु प्राचार्य द्वारा एवं प्राचार्य के सम्बन्ध में प्रबन्धक/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रेषित करे जायेगी।
5. स्थानान्तरण के इच्छुक अध्यापक उक्त पोर्टल पर रिक्त ज्यों के ताले आवेदन कर सकते।
6. ऐसी आवेदन-पत्र-अध्यापकों के सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा एवं प्राचार्य के सम्बन्ध में प्रबन्धक/ जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अवसरपरिचित किया जाना आवश्यक होगा।
7. स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनपत्रों का कुलसचिव द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त ससचिव माननीय कुलसचिव महोदय के अनुमोदनार्थ सन्दर्भित की जायेगी।
8. विद्यमान पढी की रिक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अभिलेखित होगी।
9. माननीय कुलसचिव महोदय की स्वीकृति के बाद कुलसचिव द्वारा स्थानान्तरण आदेश सम्बन्धित विद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्धक को प्रेषित होगा। जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला के जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
10. स्थानान्तरण आदेश विश्वविद्यालय से मई/जून माह में निर्गमित किया जायेगा। विशेष परिस्थिति (जमीर रोग अथवा खिल बकलियों में मात कुलसचिव महोदय ऐसा करना आवश्यक समझे)।
11. अध्यापक/प्राचार्य से सम्बन्धित समस्त जग देखकर शासन के नियमानुसार अनुपस्थित होगा।
12. स्थानान्तरित आदेश निर्गमित होने के उपरान्त प्राचार्य एवं प्रबन्धक/ जिला विद्यालय निरीक्षक को सम्बन्धित अध्यापक/प्राचार्य को मुक्त करना अनिवार्य होगा।
13. स्थानान्तरित आदेश निर्गमित होने के उपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालय एवं प्राचार्य/प्रबन्धक/ जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राचार्य/अध्यापक को सर्वशर रहस्य बनाकर अनिवार्य होगा।
14. वार्षिक स्थानान्तरण (Mutual) दोनों महाविद्यालय/प्राचार्य/अध्यापक की स्थिति में इच्छुक दोनों अध्यापक/प्राचार्य अपने-अपने प्रबन्धक की सहमति से कुलसचिव सम्पूर्णतः ससचिव विश्वविद्यालय, बातागरी को स्थानान्तरण आवेदनपत्र देंगे।
15. कुलसचिव उक्त आवेदन का परीक्षणोपरान्त माननीय कुलसचिव महोदय की सहमति से स्थानान्तरण आदेश निर्गमित होगा।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

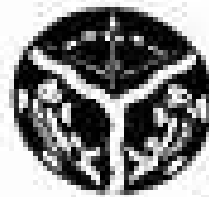
शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज के पत्रांक-डिप्टी अर्थ-1/4025/2022-23 दिनांक 27.12.2022 के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्थानान्तरण नीति लागू करने हेतु दिनांक 27.01.2024 को समिती द्वारा जिन एवं निर्णय के सम्बन्ध में कुलसचिव जी की पृष्ठा 20.05.2024 के निम्नलिखित हेतु आज दिनांक 22.06.2024 को अपराह्न 3.00 बजे छात्रवृत्तपरिसर कार्यालय इस में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें समिती के सम्मानित सदस्यगण उपस्थित हुए -

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1. प्रो० हरिहर प्रसाद | - अध्यक्ष |  |
| 2. प्रो० सुधाकर मिश्र | - सदस्य |  |
| 3. प्रो० रीतेज कुमार मिश्र | - सदस्य |  |
| 4. डॉ० नरेश्वर प्रसाद | - सदस्य |  |
| 5. शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी | - सदस्य | |
| 6. श्री त्रिभुवन मिश्र, अध्यक्ष सम्बद्धता | - सचिव |  |

कार्यवृत्त

समिती ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पूर्व कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 08 एवं 14 के स्थान पर निम्न पड़ा जाए - प्राचार्य एवं अध्यापकों के ऐसे स्थानान्तरण आवेदन-पत्र सम्बन्धित (कार्यवृत्त एवं योगदान) दोनों महाविद्यालयों के प्रमुखों द्वारा, जालातीत प्रख्यातता की दशा में शिक्षा विद्यालय निरीक्षक द्वारा कुलसचिव सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को सहस्रमूर्ति पूर्वक अप्रसरित किया जाना आवश्यक होगा।


सचिव



ENCLOSURE

8-27-2018

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विद्यार्थी परिशिष्ट

भाग-4, सुप्ल (क)

सिद्धान्तः प्रमाणितः नैव

संज्ञासूचक, गुणवत्ता, 20 दिसम्बर, 2024

अप्रैल २३, १९५० ई. स. स. स. स.

अथवा अथवा अथवा

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812

4/25/21 12:17 / 11775-3-2024-0426-0003

2019-2020

अभिलेख

Abstract

संख्या:सी०-३३
राज्य स्तरीय शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, २०१६ [उक्त सेवा अधिनियम कक्षा १६ एवं २०२५] की प्रावधानों के अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकारियों का प्रयोग करने संबंधित नियमावली बनायी है। अतः—

प्रकाश प्रदीप सहायता प्राप्त महविद्यालय अजयपुर सतनामहरण निम्नपरी, 2024

(—) कइ विद्यार्थी पला प्रीत नदधरा प्रन प्रामिनाहय जससि विधि नम
जससि विद्यार्थी सन करी जमेरी।

2) ಈ ಗುರುತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ

२) तब तक विषय का संसार में कोई बड़ा प्रयोग न हो। इस विषयवली में-

(क) "अभिनिवम" का तात्पर्य ज्ञान प्रौढ विद्या सेवा समन आयोग
अभिनिवम, 2023 (ज्ञान प्रौढ अभिनिवम सूचना-18 मार्च 2023) से है,

(જા) "સાવર" ના કાચી વાવ વૃક્ષ મરણ થઈ છે.

(५) किसी मध्यमिष्ठान्त का तत्त्वार्थ है 'अज्ञानात्' का अर्थार्थ ऐसी प्रत्यक्ष समिति है या मध्यमिष्ठान्त के कर्तव्य का प्रत्यक्ष रूप अज्ञानता करने की प्रवृत्ति से मूल्य किसी व्यक्ति का प्रवृत्तिवर्ती से है।

(ii) 'अवसर' का तात्पर्य किसी व्यक्तिगत या संगठित समूह के द्वारा अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी निजी भावना, विचार, मत या धर्म के प्रति प्रकट करने के लिए है।

अध्यापक की
अवकाश सेवा
की

1. (1) (1) (1) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।
(2) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(3) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(4) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(5) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(6) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(7) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(8) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(9) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(10) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(11) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(12) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(13) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(14) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(15) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(16) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(17) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(18) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(19) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

(20) अध्यापक को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।

अध्यापक
रजिस्ट्रार
पञ्जाब

भा. कार्यवाही में सम्बन्धित प्रकरण पर गठित समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही दिनांक 27.01.2024
व दिनांक 22.06.2024 एवं अख्य में प्रसारित कामकाज दिनांक 20.12.2024, उत्तर प्रदेश महापालिका
महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली-2024 पर विचार-विमर्श के अन्तर्गत शासन के पत्र
दिनांक 28 नवम्बर, 2022 के माफेक समिति की अख्य से अज्ञान करने हुए उत्तर प्रदेश शासन की
नियमावली अर्थात् कार्यवाही के लिए सम्बन्धित करने की स्वीकृति प्रदान की।

Handwritten signature and text at the bottom of the page.

विचारणीय विषय -9- मा. उच्च न्यायालय, प्रयागराज में खेडित वचिका सं. 6206/2018 की मांग बख्त आदमी संसुक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनारस उच्च प्रवेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.11.2020 एवं अख्यतना मसिनका संख्या 1605/2024 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2024 के तम में विद्यकुमार की संसुक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनारस, बनारस के समान श्री मंगल बाबा आदमी संसुक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खेडुंगी नीलम की मान्यता पर विचार।

निर्णय -9-

मा. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2024 में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश जी. 8976/2024, दिनांक 21.12.2024 के द्वारा सविधि गठित कर दी गयी थी। मा. परिषद् ने समिति को क्या उचित प्रक्रिया के संबंध में अपनी आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्दिष्ट किया।

विचारणीय विषय -10- महाविद्यालयों में रिक पदों का विज्ञापन समाचार पत्रों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर दिये जाने पर विचार।

निर्णय -10-

मा. कार्यपरिषद् द्वारा महाविद्यालयों में रिक पदों का नियमानुसार विज्ञापन समाचार पत्रों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर लिखे जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

विचारणीय विषय -11- महाविद्यालयों में रिक पदों के सम्बंध सम्पादित होने वाली पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए आडियो, विडियो रेकर्डिंग के साथ कराये जाने पर विचार।

निर्णय -11-

मा. कार्यपरिषद् द्वारा महाविद्यालयों में रिक पदों के सम्बंध सम्पादित होने वाली व्यवस्था समिति / साक्षात्कार की पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए आडियो, विडियो रेकर्डिंग के साथ कराये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

विचारणीय विषय -12- विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा सं.स.3266/2025, दिनांक 21.03.2025 द्वारा श्री. जेता प्रसाद, आचार्य बालि एवं जेताद को समय दिया संबंध का संकायाध्यक्ष नियुक्ति एवं कार्यालय द्वारा सं.स.3301/2025, दिनांक 25.03.2025 द्वारा श्री. जितेन्द्र कुमार, आचार्य-विज्ञान, प्रो.जितेश कुमार मिश्र आचार्य, सामाजिक विज्ञान को विभागाध्यक्ष नियुक्ति करने के संबंध में। (सूचनाएं)

निर्णय -12-

मा. कार्यपरिषद् उपर्युक्त विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा सं.स.3266/2025, दिनांक 21.03.2025 द्वारा श्री. जेता प्रसाद, आचार्य बालि एवं जेताद को समय दिया संबंध का संकायाध्यक्ष नियुक्ति एवं कार्यालय द्वारा सं.स.3301/2025, दिनांक 25.03.2025 द्वारा श्री. जितेन्द्र कुमार, आचार्य-विज्ञान, प्रो.जितेश कुमार मिश्र आचार्य, सामाजिक विज्ञान को विभागाध्यक्ष नियुक्ति की सूचना से अवगत हुई।

श्री. जितेश कुमार

विद्यार्थीय विषय - 13- मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुक्रम में विद्यविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में विषय विशेषज्ञ दिने जाने के संबंध में। (सूचनाएं)

नियम - 13

मा. कार्यपरिषद् उपर्युक्त मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योगित याचिकाओं में वर्गीत अध्यापना आदेश के अनुक्रम में विद्यविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के संबंध में दाखिल अध्यापना प्रकरणों पर विषय विशेषज्ञ योगित याचिका के निर्णय के अधीन दिने जाने की सूचना से अवगत होते हुए उक्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रकरण से उक्त प्रदेश शासन को अवगत कराये जाने का निर्देश प्रदान किया।

विद्यार्थीय विषय - 14- विद्यविद्यालय परिनिष्ठावली को अद्यतन करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का विचार के संबंध में।

नियम - 14

कुलसचिव महोदय ने मा. परिषद् के समक्ष विद्यविद्यालय परिनिष्ठावली में 2005 के पश्चात् आवश्यक संशोधनों के समाहित न होने विषय को परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया एवं परिनिष्ठावली में सभी संशोधनों को समाहित करते हुए अद्यतन करने अनुरोध किया।

जिस पर मा. परिषद् द्वारा विद्यविद्यालय के अनन्तर विद्यविद्यालय स्तर पर परिनिष्ठावली को अद्यतन करने के लिए अयोगित सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्देश प्रदान किया-

- 1- श्री. राजकिशोर त्रिपाठी
- 2- श्री. राजनीश कुमार शुक्ल
- 3- श्री. रमेश कुमार
- 4- श्री. लक्ष्मीकांत प्रताप सिंह, विद्यविद्यालय अधिकारी
- 5- महाधक कुलसचिव (प्रशा.)

विद्यार्थीय विषय - 15- उत्तर प्रदेश के राज्य मान्यता सम्बद्धता दिने जाने के संबंध में सम्बन्धित प्रदेश के अन्तर्गति प्रभाव पर पर विचार।

नियम - 15

मा. परिषद् के समक्ष कुलसचिव महोदय ने संस्कृत एवं संस्कृति के अनुक्रम में अध्यापकों द्वारा दाखिल विद्यविद्यालय अधिनियम की धारा-5.2 में उल्लेखित व्यवस्था के अन्तर्गत (जिसमें अपूर्ण गतता साथ-साथ उच्च देशों में भी) मान्यता सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धित अधिकार के अन्तर्गत उक्त प्रदेश के उक्त मान्यता सम्बद्धता दिने जाने के संबंध में सम्बन्धित प्रदेश के अन्तर्गति प्रभाव पर के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया-

(Handwritten signatures and marks)

है जो मातापुत्री विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत स्थापित काशीविद्यापीठ नामक मातापुत्री द्वारा स्थापित और प्रशासित है, जिसके सम्बन्ध में उक्त मातापुत्री की विधिवत् राय न दी गई। १९७२ की यह अनुमति करने हुए एक संवत्सरी सत्रिक के माध्यम से उक्त संस्था की सम्पूर्ण जगह और स्थावर सम्पत्ति को ग्रहण कर ले और उसे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में परिचालित कर दे।

मातापुत्री का राज्य
कोश में प्रवेश

५. (१) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय (सम्पूर्णतः संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी-विद्यापीठ से भिन्न) प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रदत्त सत्तियों का प्रयोग अनुसूची में उसके अधीन तत्सम्य विनिर्दिष्ट सेवा के सम्बन्ध में किया जा सकेगा।

(२) सम्पूर्णतः संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को सम्बद्ध प्रदान कर सकेगा तथा वहाँ के अध्यापकों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुमति दे सकेगा।

परन्तु विश्वविद्यालय सम्बद्ध सरकार की सिफारिश के बिना—

(क) उक्त प्रदेश के अन्तर्गत् किसी संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित तथा संलग्न प्रांत अनुसूचित किसी संस्थान में नियोजित किसी अध्यापक को सम्बद्धता नहीं प्रदान करेगा।

(३) विश्वविद्यालयों की सम्बद्धता अथवा सम्बद्धता से सम्बद्ध इस अधिनियम की कोई बात काशी विद्यापीठ पर लागू न होगी।

(४) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी अथवाति शाही महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की आपूर्वीतिक तथा युतनी शिक्षण संस्थाओं से शिक्षण देने तथा अनुसन्धान कार्य करने और

या, सर्वोच्चतम ने सर्वोच्च प्रस्ताव पर विचार विमर्श के अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९५७ की धारा ५.१ के अन्तर्गत में ही कार्यवाही सम्पादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

निर्देश 16 मा. कार्यशील के माध्यम बुलाविसि, सम्पूर्णित संस्कृत विश्वविद्यालय, गुरुगामी रावभवन लखनऊ के पत्रांक-ई/71/2025, दिनांक 03.02.2025 को पत्रार्थ जतिम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, राजहलीब, काशीपुर, जतिम का जवाब प्राप्त किया गया।

सचिव
राष्ट्रिय जनक विद्यापीठ, काठमाडौं

CANCELLOR
NATIONAL JANKI UNIVERSITY, KATHMANDU



संख्या: एन.जे.यू. / १११ / २०७५

दिनांक: १२/०५/२०७५

प्रति सम्बन्धित

०१०-३२९९७३

११/०५/२०७५

आदेश

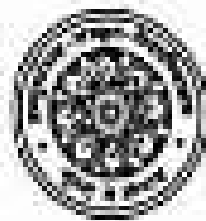
[illegible]

1(क). उपर्युक्तिका द्वारा यह इच्छावान् राज्य न्यायालय में प्रेषित कि वह न्यायालय द्वारा 2024 में यह न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2024 को किया जायेगा कि वह न्यायालय है किन्तु न्यायालय में उपर्युक्त का निराकरण किया जा रहा है।

Considering the facts and circumstances, this Court is of the view that no *per se* purpose would be served in keeping the petition pending rather such of notice can be met by directing the respondent No. 2 to consider and decide the statutory reference after affording opportunity of hearing to the petitioner and pass appropriate orders regarding the same within a period of six weeks from the date of the order to be issued before the authority concerned.

It is made clear that the Court has not expressed the cure of the petitioner on merits and the majority shall decide the case strictly in accordance with law. With the exception, the petition is dismissed of."

2(क). सकारात्मक का अर्थ है कि जम्मुूँला विद्यालय को विश्वविद्यालय को यह दिनांक 01.08.2000 द्वारा उत्तरन गजराफ परीक्षा सफलता प्राप्त की गयी है। विद्यालय द्वारा सफलता प्राप्त दिनांक 01.08.2000 परीक्षा सफलता प्राप्त की गयी है।

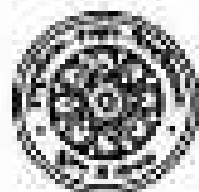


अधिकारी के पत्र में जो भी आवे ७५ बैंक ड्राफ्ट सं० ११४८१३, दिनांक ३०.११.१९९२
प्रेषित कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा नोटरी रूप में २९.११.१९९२
की महेन्द्र प्रसाद मिश्र दृष्टांश, सिविल कोर्ट बनारसों द्वारा जारी किया गया है।
विशालय की मान्यता हेतु तहसीलदार बंदाईह द्वारा पूरी प्रमाण-पत्र दिनांक
१३.०१.१९९२ को जारी किया गया है तथा विश्वविद्यालय के जो दिनांक
३१.१०.१९९० द्वारा निम्न के अंतिम सम्बद्धा स्थान करने हेतु विशालय के
निर्देशनाम निर्देशन नमूने का गठन किया गया है।

३(ख). प्रदेश में ७५०० म० एक संघीय विशालयों हेतु ७५०० म० संस्कृत शिक्षा
परिषद् अध्यादेश, २००० द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम,
२०००) द्वारा संस्कृत बोर्ड का गठन किया गया जो वर्ष २००१-०२ से क्रियार्थक
है। इसके गठन के अवसर विश्वविद्यालय द्वारा सचिव, ७५०००० संस्कृत शिक्षा
परिषद्, लखनऊ को मान्यता प्राप्त विशालयों की सूची प्रेषित की गयी, जिसके
क्रम में सचिव, ७५०० म० संस्कृत शिक्षा परिषद्, लखनऊ द्वारा एक विशालयों की
परिचालकों का संख्याता संवादन किया जा रहा है। सचिव, ७५०० म० संस्कृत
शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदेशीय संवादन कर रहे मान्यता प्राप्त विशालयों की जारी
सूची में विशालय का नाम ७५०० म० संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा संवादन कर रहे
सचिव, ७५०० म० संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा जारी दिनांक १५.०२.२०२३ द्वारा
विश्व निर्देशन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रमुख सचिव, संस्कृत शिक्षा
अनुदान, ७५०० म० के पत्र दिनांक ११.०८.२०१५ द्वारा अनामकीय/संस्कृत
प्राचीन मान्यता प्राप्त संस्कृत विशालयों का परीक्षण करने के अनामक विशालय
अनुदान सूची में लिखा गया है जिसमें विशालय का नाम क्रम संख्या ६९ पर
उल्लिखित है।

३(ग). विशालय में कार्यरत अध्यापकों/अध्यापिकाओं द्वारा वेतन पुर्णता हेतु म० उच्च
न्यायालय में सचिव सं०-४४६६/२०१३ पंजीत की गयी जिस पर म० उच्च
न्यायालय द्वारा दिनांक २६.०६.२०१९ को प्रतीपदी सं०-४ पत्र विशालय निर्देशन,

[Handwritten signatures and marks]



बतिया को केंद्र पुनर्गठन करने हेतु निर्दिष्ट किया गया, जिसमें अनुपालन में तत्कालीन शिक्षा विभाग निरीक्षक, बतिया द्वारा परीक्षणोपहत्या के मामले हुए दिनांक 18.02.2023 को केंद्र पुनर्गठन करने हेतु शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ०म० को सहमति हेतु पत्र भेजित किया गया, तत्पश्चात् केंद्र पुनर्गठन न होने से कुछ अवधानियों/कर्मचारियों द्वारा पुनः मा० उच्च विद्यालय में धमिका संख्या 088/2004 भेजित की गयी जिसमें मा० विद्यालय द्वारा पत्रित आदेश दिनांक 28.01.2004 के अनुपालन हेतु तत्कालीन शिक्षा विभाग निरीक्षक, बतिया द्वारा पत्र दिनांक 08.02.2004 द्वारा सर्वोच्च कुमर बाबू, उ०म० राजकीय उ०म० विद्यालय, बड़तरी, बतिया को जीव अधिकारी नियुक्त का प्रस्ताव संख्या का त्वरित निर्दिष्टन कर एक दिवस में ही जीव आस्था प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किये जाने पर जीव अधिकारी द्वारा दिनांक 09.02.2004 को उक्त विद्यालय का त्वरित निर्दिष्टन कर अपने जीवनिर्दिष्टन संख्या शिक्षा विभाग निरीक्षक, बतिया को भेजित की गयी है।

2(ब). तत्कालीन शिक्षा विभाग निरीक्षक, बतिया द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.02.2004 द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उ०म०, प्रभुनगर को विद्यालय क्रियाशील होने व कारगर अध्यापकों व कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु अनुपालन आस्था प्रेषित की गयी। विद्यालय द्वारा लगातार परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। अचानक छात्रों की उक्त विस्त संधि, उ०म० मा० संस्कृत शिक्षा परिषद, जलपाई द्वारा निर्गत की गयी है अतएव इत्यादिनांक द्वारा न्यायलमार्ग, साक्षात्कार, विनामय आदेश व जीव आस्था तथा अचानक अवधानता छात्रों की साक्षरता का अवलोकन करने हुए संख्या, कर्मचारी व छात्रों में अधिविषय, 1873 की धारा 48 के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त विद्यालय की मान्यता सत्यापित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

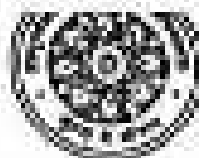
3(क). विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण में भेजित आस्था में उल्लेख है कि विद्यालय को मान्यता सम्बन्धी पत्र दिनांक 01.08.2000 सम्बद्धता अनुमान के अधिलेख इस

विद्यालय की सम्पद्धता/गन्तव्यता का आवेदनपत्र तारीख 31.03.2020
 बैंक ड्राफ्ट्सम, विद्यालय की सम्पद्धता/गन्तव्यता हेतु आवेदित दिनांक तारीख अवैध
 पत्र, विद्यालय के निरीक्षण तारीख 31.03.2020, विद्यालय संसाधनों की
 दिनांक 29.11.2023 से बीच वर्ष की अवधि हेतु निर्मित नवीनीकरण प्रमाण-पत्र
 दिनांक 31.12.2023 संवत्करण तारीखी, 0090 संवत्सिक संख्या शिक्षा परिषद,
 संस्कृत भवन, ताड़पेड़ा रोड, लखनऊ के पत्र दिनांक 08.08.2021, 0090
 माध्यमिक संस्कृत विद्या परिषद द्वारा वाणिज्य कुल गंगा संस्कृत माध्यमिक
 विद्यालयों/ महाविद्यालयों की सुबे, विद्यार्थी प्रत्येक एक विद्यालय कक्षा 88
 विद्यालय कोड 29 पर स्थित है, विद्यालय की विद्यार्थी के अक्षर पर विद्यार्थी
 विद्यालय की स्वीकृति प्रदान किये जाने तकनीकी सचिव, 0090 माध्यमिक संस्कृत
 शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र दिनांक 14.08.2023, 17 विद्यालयों को अनुदान
 सुबे पर लिखे जाने तकनीकी संस्कृत शिक्षा अनुदान, 0090 सामान्य के तदनुसार
 दिनांक 15.08.2015, विद्यार्थी प्रत्येक एक विद्यालय का नाम कमरे 88 पर स्थित
 है, शिक्षा विद्यालय निर्देशक, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.10.2023, 08.02.2024
 राष्ट्रीय निर्देशन अक्षर दिनांक 07.02.2024 जारी की प्रतीति गतमान कक्षा 88
 उनके अक्षर पर विद्यालय की संख्या प्रमाणित करने जाने की योजना की नवी
 है।

5. विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के कक्षा सभासद संस्थाओं निर्मित प्रारणत आरंभ
विनांक 24/08/2024 अवलोकनीय है जो निम्नप्रकार है :

[illegible]

श्रीमान् विवेकानन्द (संस्कृतविद) ज्ञानमन्त्रालय, श्रीमान् मन्त्रालय (२) श्रीमान् मन्त्रालय, जलमन्त्रालय के प्रधान - मन्त्रालय (३) श्रीमान्/१९९/१९९४-९५ श्रीमान् १९ अक्टूबर १९९४ में



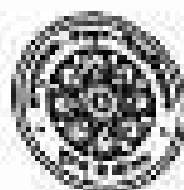
॥३॥ ऐसे सभी कार्य करना जो इस अभियान द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। इस अभियान के अंतर्गत सभी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक है कि सभी कार्यकर्ता अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक है।

अथ 10. परिषद के अधिकार : (1) परिषद को इस अधिनियम के अन्तर्गत तथा तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए वे सब अधिकार होंगे जो इस अधिनियम या तत्सम अधीन बनाये गये नियमों या विधियों के अधीन उत्तम कृत्यों के निर्वहन तथा कार्यवाही के पक्ष में अधीन प्राप्त कृत्यों के निर्वहन और उत्तमों के पक्ष में निहित अधिकार हों।

धारा 83 : किसी नये विधायक से या उसके बच्चा से किए किसी संसद को सम्मान : धारा 83 के अन्तर्गत (क) में किसी बात को छोड़ें हुए भी, अतिसर, राज्य सरकारों को पूर्ण अनुमति है कि किसी नये विधायक या किसी से करें में या किसी जगह जगह से किए किसी संसद को सम्मान प्रदान कर सकती है।

[illegible][illegible]

7. प्रत्यक्ष के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक ज्ञात विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत छात्रों दिनांक 24.08.2024 को चुनौती देते हुए उसके विद्यालय की मान्यता का सत्यापन कराई जाने की मांग की गयी है, जिसकी माध्यम विश्वविद्यालय का मुख्यालय यह कहता है कि उक्त विद्यालय की प्रामाण्यी सत्यता न होने के कारण विश्वविद्यालय की मान्यता का सत्यापन किया जाना संभव नहीं है। प्रत्येक ज्ञात अपने प्रमुखता से निर्मित प्रयोगों की प्रामाण्यीयों के लिए अपने द्वारा सत्यापन किया गया है कि 2024 प्रदेश माध्यमिक संस्कृत विद्या परिषद की बैठक में प्रदेश में कुल 1151 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय/विश्वविद्यालय संयोजित हैं जिनमें से कम से कम 250 व विद्यालय कोट संख्या 25 पर की संश्लेषण संस्कृत भाषा, संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत का नाम उचित है।



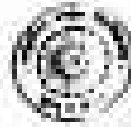
- [illegible]

[illegible]

युवागण विपदा/साधनहीन व अल्प शिक्षा-विहीन जति के कारण वे, कुलीनता कटौती हुए सामान्य आर्थिक प्राय: वे, अल्पज्ञ, वे अल्प व, पारंपरिक एवं विविधमान शिक्षासमय शिक्षा प्राप्त हुए विपदाविलक्षण अल्प परिवार एवं विहीन शिक्षा प्राप्त वे, वेद अज्ञान, वेद अल्प पाठ्यक्रम के अल्प अज्ञान व अल्प शिक्षा प्राप्त वे अल्प अज्ञान के अल्प अल्प ।

प्रतिष्ठित विम्वरविरोधता को सुनकर ही यह आश्चर्यजनक घटनाएँ हो रही हैं।

- (डा. सुनील सुन्दर बोस)
अध्यक्ष, डॉ. अमर नाथ शर्मा



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक-जी०-१२७१/२०२५

दिनांक- २१/१/२०२५

विषय :-

- 1-डी० डिनेश कुमार, विद्यान विभाग, संस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी।
- 2-डी० निवेन्द्र झा, व्याकरण विभाग, संस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी।
- 3-डी० विनयकान्त दुबे, महापत्रक कुलाधिपति, संस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी।

विषय-डी० पदवीय बतिका सांस्कृतिक माध्यमिक विद्यालय, बरहथडी, काजीपुर, बलिया के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

उपरोक्त विद्यालय प्रशासन के सम्बन्ध में अज्ञात कारण है कि महा कुलाधिपति, संस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी के पत्रांक-ई-११७/उपपत्रक दिनांक ०३.०३.२०२५ के निर्दिष्ट आदेश के अन्तर्गत महा कुलाधिपति महोदय के निर्देश दिनांक ०३.०३.२०२५ के अनुसरण में डी० पदवीय बतिका सांस्कृतिक माध्यमिक विद्यालय, बरहथडी, काजीपुर, बलिया के उत्तर मध्यम वर्गीय छात्री माध्यमिक विद्यालय के सम्बन्ध में प्रथम प्रपत्रों के सम्बन्ध में निर्दिष्टित प्रक्रियाओं की प्रक्रिया का पटन किया गया है।

आज्ञा पत्रक बतिका के अन्तर्गत डी० पदवीय के निर्देशानुसार १५ कार्यदिनों के अन्तर्गत प्रथम प्रपत्र एवं महा कुलाधिपति, संस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी के दिनांक ०३.०३.२०२५ के निर्दिष्ट आदेश को पालन करते हुए प्रत्येक वर्ष निर्देश/आदेश का अनुसरण के अन्तर्गत जो उपलब्ध करने का कार्य है। विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष निर्देशानुसार कार्यवाही की जाये।

[Signature]
२१/१/२०२५

(सिद्धेश कुमार)

कुलाधिपति

संविधान-विभाग/विभाग जो कुलाधिपति एवं उपपत्रक कार्यवाही के लिए है:-

- 1-निजी व्यक्ति कुलाधिपति, महा कुलाधिपति महोदय की निर्देश दिनांक ०३.०३.२०२५ के परिशेष में उपलब्ध।
- 2-आचार्य, कुलाधिपति।
- 3-महापत्रक कुलाधिपति(सहायक)।
- 4-अधीन (सामान्य)।
- 5-अधीन, डी० पदवीय बतिका सांस्कृतिक माध्यमिक विद्यालय, बरहथडी, काजीपुर, बलिया।
- 6-उपपत्रक कार्यवाही।

(सिद्धेश कुमार)

कुलाधिपति

आ. कार्यपरिषद् ने श्री बरहथडी बालिका संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, बरहथडी, काजीपुर, बलिया के उपर्युक्त प्रकरण पर महामहिम कुलाधिपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तत्पश्चात् लखनऊ के पत्रांक-ई.११७/जी.एन., दिनांक ०३.०३.२०२५ के आदेशों में निर्दिष्ट प्रक्रिया में समयसीमा के अन्तर्गत स्पष्ट कारणों के साथ सुसंगत आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट किया।

[Signature]
सिद्धेश कुमार

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

विद्यापीठ नियम - 18 विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.04.2025 पर विज्ञापन

मा.

कार्यवाही के माध्यम विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.04.2025 की संस्तुति का प्रस्ताव की गयी-

कार्यवृत्त 2025/1

दिनांक 03.04.2025 की पूर्वार्द्ध 11:30 बजे, विश्वविद्यालय परिसर स्थित योग साधना केन्द्र में 'आफ लाईन' आन लाईन सम्पन्न हुई विद्यापरिषद् की बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. प्रो. बिहारी लाल शर्मा, कुलपति	-सदस्य
2. प्रो. अमित कुमार शुक्ल, संकायाध्यक्ष- वेद वेदांग संकाय	-सदस्य
3. प्रो. दिलेश कुमार शर्मा, संकायाध्यक्ष- प्राकृतिक संस्तुति संकाय	-सदस्य
4. प्रो. रामश्याम शुक्ल, संकायाध्यक्ष- छान संकाय	-सदस्य
5. प्रो. एमेश प्रसाद, संकायाध्यक्ष- छान विज्ञान संकाय	-सदस्य
6. प्रो. जितु द्विवेदी, संकायाध्यक्ष- आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	-सदस्य
7. प्रो. मोहन पाण्डेय, विभागाध्यक्ष- वेद	-सदस्य
8. प्रो. विजय कुमार पाण्डेय, विभागाध्यक्ष- साहित्य	-सदस्य
9. प्रो. रामचंद्र पाण्डेय, विभागाध्यक्ष- न्याय वैशेषिक	-सदस्य
10. प्रो. सुभाष मिश्र विभागाध्यक्ष- वेदान्त	-सदस्य
11. प्रो. रीतिश कुमार मिश्र विभागाध्यक्ष- महाभारत विज्ञान	-सदस्य
12. प्रो. मोहन कुमार विभागाध्यक्ष- विज्ञान	-सदस्य
13. प्रो. हीरक कान्ति चक्रवर्ती विभागाध्यक्ष- प्रचलित एवं सूचना विज्ञान	-सदस्य
14. प्रो. विद्या कुमारी चन्दा, विभागाध्यक्ष- आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान	-सदस्य
14. प्रो. प्रमोद विभागाध्यक्ष- आचार्य, प्रागैतिक विज्ञान	-सदस्य
15. प्रो. विद्याशु शुक्ल, महाधक आचार्य	-सदस्य
16. प्रो. विश्वेश्वर पाण्डेय, महाधक आचार्य	-सदस्य
17. प्रो. विजय कुमार शर्मा, महाधक आचार्य	-सदस्य
18. प्रो. दिव्यवेल्लु कल्याणी महाधक आचार्य	-सदस्य
19. प्रो. एमेश कुमार, कुलसचिव	-सचिव

महाराष्ट्र

प्रो. विजय कुमार शर्मा

सर्वप्रथम गा. कुलाहि महोदय ने विद्या पालिदु में उपस्थित माधवीय बच्चों का स्वागत एवं अभिनन्दन करते

तापमान अत्यन्त घटने की अनुपस्थिति में विद्युत्पात की रोक लगाने की गयी, जिसका कार्यपत्र निम्न है-

विभागाध्यक्ष विषय :- विद्युत्वाहिक उपरि लब्धदेत-2024 या विषय

मा. विद्यार्थीक के समस्त विश्वविद्यालय अग्रगत भाषा के विदेश के अनुक्रम में विश्वविद्यालयीय समिति द्वारा निर्मित विद्यार्थीक अपरि अग्रगत-2024 विद्यार्थीक अग्रगत किया गया-

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ

1. संस्कृत भाषा - 100 अक्षरों में लिखिए - 100
 2. संस्कृत भाषा - 100 अक्षरों में लिखिए - 100
 3. संस्कृत भाषा - 100 अक्षरों में लिखिए - 100
 4. संस्कृत भाषा - 100 अक्षरों में लिखिए - 100
 5. संस्कृत भाषा - 100 अक्षरों में लिखिए - 100
 6. संस्कृत भाषा - 100 अक्षरों में लिखिए - 100
 7. संस्कृत भाषा - 100 अक्षरों में लिखिए - 100
 8. संस्कृत भाषा - 100 अक्षरों में लिखिए - 100
 9. संस्कृत भाषा - 100 अक्षरों में लिखिए - 100
 10. संस्कृत भाषा - 100 अक्षरों में लिखिए - 100
 11. संस्कृत भाषा - 100 अक्षरों में लिखिए - 100

सम्पूर्णतन्त्र संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
विश्वविद्यालयी पुस्तकालय, काशी-221005

[illegible]

१.० सत्य निर्देशक अनुप्रयोग एवं प्रदर्शन

३.१ १५ दिवसों के समुचित संरक्षित निवासस्थान, पानी (पीने के लिए) और अन्य आवश्यक और जीवन-विकास, २०२६ तक जारी।

१.२. विचारविमलता की कोशिका का नाम 'विचारविमलता (विचार.सी.)' होगा। इस कोशिका की स्थापना के लिये विचारविमलता द्वारा निर्धारित प्रश्नों में निर्धारित स्थिति को कब तक प्रत्यक्ष में सम्मिलित किया जायेगा। (Journal of Philosophy) नाम होगा। प्रश्नों में शामिल होने और विचार में उत्तरीय विचार होगा। प्रश्नों में यह भी शामिल होगा कि विचारविमलता की कोशिका विचारविमलता अनुसंधान समिति (विचार.सी.) द्वारा प्रश्न करने हेतु मुख्य प्रश्नों और कोशिका विचार. 2022 में प्रश्नों में सम्मिलित करने की जायेगी।

1.3 के निर्माण सत्र 2024-25 के प्रथम सत्र में।

[illegible]

[५] इस विवेकशील ने जब तक कि सारी से अपना जेठका न हो -

(न) "अधिनियम" का अर्थ विधायिकात्मक संसुधान् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) है।

विश्व 'अनुसंधान संस्थान' का अर्थ है एक वैज्ञानिक या व्यवसायिक संगठन, जहाँ पूर्णकालिक संशोधन करता है, जो एक उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा चलाये के लिए नियुक्त किया गया है।

(4) "जबकि वेब साइट 'सिटीज' का उद्देश्य हमें सेक्टर में एक साथ के साथ जॉइंट प्रयास का प्रोत्साहन है। सिटीज का उद्देश्य है कि जॉइंट प्रयासों में एक साथ काम जॉइंट बल सेक्टर को बढ़ावा दे।"

1. 1.1.2015 29.12.15
 2. 29.12.15 29.12.15
 3. 29.12.15 29.12.15
 4. 29.12.15 29.12.15
 5. 29.12.15 29.12.15
 6. 29.12.15 29.12.15
 7. 29.12.15 29.12.15
 8. 29.12.15 29.12.15
 9. 29.12.15 29.12.15
 10. 29.12.15 29.12.15
 11. 29.12.15 29.12.15
 12. 29.12.15 29.12.15
 13. 29.12.15 29.12.15
 14. 29.12.15 29.12.15
 15. 29.12.15 29.12.15
 16. 29.12.15 29.12.15
 17. 29.12.15 29.12.15
 18. 29.12.15 29.12.15
 19. 29.12.15 29.12.15
 20. 29.12.15 29.12.15
 21. 29.12.15 29.12.15
 22. 29.12.15 29.12.15
 23. 29.12.15 29.12.15
 24. 29.12.15 29.12.15
 25. 29.12.15 29.12.15
 26. 29.12.15 29.12.15
 27. 29.12.15 29.12.15
 28. 29.12.15 29.12.15
 29. 29.12.15 29.12.15
 30. 29.12.15 29.12.15
 31. 29.12.15 29.12.15
 32. 29.12.15 29.12.15
 33. 29.12.15 29.12.15
 34. 29.12.15 29.12.15
 35. 29.12.15 29.12.15
 36. 29.12.15 29.12.15
 37. 29.12.15 29.12.15
 38. 29.12.15 29.12.15
 39. 29.12.15 29.12.15
 40. 29.12.15 29.12.15
 41. 29.12.15 29.12.15
 42. 29.12.15 29.12.15
 43. 29.12.15 29.12.15
 44. 29.12.15 29.12.15
 45. 29.12.15 29.12.15
 46. 29.12.15 29.12.15
 47. 29.12.15 29.12.15
 48. 29.12.15 29.12.15
 49. 29.12.15 29.12.15
 50. 29.12.15 29.12.15
 51. 29.12.15 29.12.15
 52. 29.12.15 29.12.15
 53. 29.12.15 29.12.15
 54. 29.12.15 29.12.15
 55. 29.12.15 29.12.15
 56. 29.12.15 29.12.15
 57. 29.12.15 29.12.15
 58. 29.12.15 29.12.15
 59. 29.12.15 29.12.15
 60. 29.12.15 29.12.15
 61. 29.12.15 29.12.15
 62. 29.12.15 29.12.15
 63. 29.12.15 29.12.15
 64. 29.12.15 29.12.15
 65. 29.12.15 29.12.15
 66. 29.12.15 29.12.15
 67. 29.12.15 29.12.15
 68. 29.12.15 29.12.15
 69. 29.12.15 29.12.15
 70. 29.12.15 29.12.15
 71. 29.12.15 29.12.15
 72. 29.12.15 29.12.15
 73. 29.12.15 29.12.15
 74. 29.12.15 29.12.15
 75. 29.12.15 29.12.15
 76. 29.12.15 29.12.15
 77. 29.12.15 29.12.15
 78. 29.12.15 29.12.15
 79. 29.12.15 29.12.15
 80. 29.12.15 29.12.15
 81. 29.12.15 29.12.15
 82. 29.12.15 29.12.15
 83. 29.12.15 29.12.15
 84. 29.12.15 29.12.15
 85. 29.12.15 29.12.15
 86. 29.12.15 29.12.15
 87. 29.12.15 29.12.15
 88. 29.12.15 29.12.15
 89. 29.12.15 29.12.15
 90. 29.12.15 29.12.15
 91. 29.12.15 29.12.15
 92. 29.12.15 29.12.15
 93. 29.12.15 29.12.15
 94. 29.12.15 29.12.15
 95. 29.12.15 29.12.15
 96. 29.12.15 29.12.15
 97. 29.12.15 29.12.15
 98. 29.12.15 29.12.15
 99. 29.12.15 29.12.15
 100. 29.12.15 29.12.15
 101. 29.12.15 29.12.15
 102. 29.12.15 29.12.15
 103. 29.12.15 29.12.15
 104. 29.12.15 29.12.15
 105. 29.12.15 29.12.15
 106. 29.12.15 29.12.15
 107. 29.12.15 29.12.15
 108. 29.12.15 29.12.15
 109. 29.12.15 29.12.15
 110. 29.12.15 29.12.15
 111. 29.12.15 29.12.15
 112. 29.12.15 29.12.15
 113. 29.12.15 29.12.15
 114. 29.12.15

- | | |
|---|---------|
| 1- विभागध्यक्ष | उपस्थित |
| 2- सम्बन्धित विभाग के कुलपति द्वारा नियुक्त दो वरिष्ठ अधिकारी | उपस्थित |
| 3- उपसुपरीintendent, शिक्षा | उपस्थित |

29.2 विभागीय क्षेत्र समिति (DRC) का कार्य निर्धारित प्रकार से किया जाएगा।

- | | |
|---|---------|
| 1- विभागध्यक्ष- | उपस्थित |
| 2- सहायक विभागीय अध्यक्ष- | उपस्थित |
| 3- एक विभागीय अधिकारी (वीरगढ़ जल से 1 वर्ष के लिए पदभारण द्वारा)- | उपस्थित |
| 4- एक विभागीय उपसुपरीintendent-अधीन (वीरगढ़ जल से 1 वर्ष के लिए पदभारण द्वारा)- | उपस्थित |
| 5- सर्वनिरीक्षक तथा सह-सर्वनिरीक्षक (यदि कोई हो)- | उपस्थित |

30.1 क्षेत्र सहायक समिति (SAC) का कार्य निर्धारित प्रकार से किया जाएगा।

- | | |
|--|---------|
| 1- निदेशक, उपसुपरीintendent - | उपस्थित |
| 2- सम्बन्धित विभागध्यक्ष- | उपस्थित |
| 3- सहायक विभागीय अध्यक्ष- | उपस्थित |
| 4- कुलपति द्वारा नियुक्त सम्बन्धित विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी- | उपस्थित |
| 5- सर्वनिरीक्षक तथा सह-सर्वनिरीक्षक (यदि कोई हो)- | उपस्थित |

नियम- किसी भी परिस्थिति में किसी भी विभाग की आवश्यकता की स्थिति में निर्धारित समय की नियमित रूप से उपसुपरीintendent के कार्यालय में उपस्थित/प्रीजेंट न होने पर उनके निर्धारित कार्य मुख्य निरीक्षक/अधीन के कार्यालय में किया गया न करता है। सर्वनिरीक्षक द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया होगा।

(सहसुपरीintendent)
29.2.23

निर्देशक
29/2/23

सहायक निदेशक
29.2.23

SR
29.2.23

सहायक निदेशक
29/2/23

SR
29.2.23

12

(d) "gross firm assets" as set forth in the schedule of assets and liabilities of the firm submitted to the court in the summary of assets and liabilities;

(5) अतिरिक्त सूचना २० की अंश (ग) में सूची की प्रकृति एवं दायित्व संबंधी सूचना एवं अतिरिक्त सूचना संबंधी विवरण, २०२० के अधीनस्थ है।

(1) "संविधान सभा" का अर्थ है किसी भी राज्य या विभाग को अपने के कुछ कार्य के सा में प्रशासित करने।

(द) "कार्यलय" का अर्थ अधिनियम की धारा २२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कार्यलय किन्हीं व्यक्तियों के लिए अलग-अलग अपने-अपने कार्यालय स्थित कार्यलय है।

14] "विद्या-सुखा" का अर्थ है बोधों की प्रशंसा, यहाँ का शब्द में ही का अर्थ, जहाँ विद्या संस्कार और पाठशाला में संकीर्ण संस्कारालय का अर्थ है। जहाँ विद्या संस्कारों में अंतर्गत के अर्थों में विद्या और वास्तविक ज्ञान का अर्थ है। जहाँ विद्या संस्कारों का अर्थ है।

(iv) "संश्लेषण" का अर्थ एक ऐसी अभिक्रिया, एक पदार्थ अभिक्रिय, या एक ऐसा अभिक्रिया द्वारा या द्वारा तथा स्वयं या निर्देशक एक उत्पन्न किया जा सकता है, जोर इसे अभिक्रिया से प्राप्त : के उत्पन्न निर्देशक अभिक्रिया के मा से बना उसे बना उत्पन्न किया जा सकता अभिक्रिया।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, तैयार विनियमों में परिभाषित और इन विनियमों में प्रयुक्त नहीं हैं, उनका यह अर्थ इस विनियम में दिए गए अर्थ में होगा।

नोट: श्री. कर्माकर ने प्रश्न के लिए कक्षा सहायक-निर्वाह समिती कायदा की शर्तों में जहाँ प्रावधान है।

1. 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018
 2. 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018
 3. 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018
 4. 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018
 5. 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018
 6. 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018
 7. 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018
 8. 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018
 9. 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018
 10. 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018

हमारे विचारों में हमारे पाठकों को कुछ बेहतर की चीज का अनुभव है। इसे वास्तव में ही हमारे पास
अच्छा है।

(६.) 'मच्छिपिप्लव' का अर्थ है उच्छ्वस विह्वल और/या झुकाव से लयम आ गया, बिड़े या तो बिड़ी। मच्छिपिप्लव आता हुआ पल्लव, फूलों के तल से लपटित होना कहा है या फूलों में लपट है।

(ख) 'संयोग' का जहाँ मुद्रणशाला अक्टूबर 1959 की पृष्ठ 3 के द्वारा भाषित विधिविधान अनुसार कार्यरत है।

(ग) "पञ्चदश" या अग्रे के किसी हज़ारों के हैं एक है जो स्वयं के एक सदस्य से नहीं बनता है।

(2) "श्रीशंकर" का अर्थ है गुरु/गुरुकुल/श्री का संज्ञा। जहाँ से श्री श्रीगुरु गुरुजी के अर्थों में श्री गुरुजी का अर्थ है।

(2) "राज्य" का अर्थ है उत्तराखण्ड की राज धर (2) के अधिनियम के अनुसार किसी राज्य का राज्य राज राज की यह राज्य।

(iv) "राज्य परिवार" का अर्थ है एक वैवाहिक/आवृत्ति प्राप्त परिवार जो दोषपूर्ण प्रजनन करने में सक्षम है, जिसका विचार राज्य ने निर्धारित नहीं है, जो पेट, गर्भाशय, गर्भाशय में निर्यात या प्रसव करने में सक्षम है।

(2) 'राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग' का अधिनियम (i) का हिस्सा में निम्नलिखित भागों में विभाजित होकर संलग्न है।
 (ii) जो हिस्सा में निम्नलिखित भागों में विभाजित होकर संलग्न है और (iii) जो
 संशोधित सुधारों के अन्तर्गत जो हिस्सा में निम्नलिखित भागों में विभाजित होकर संलग्न है।

[3] "जब बाहर" का अर्थ है 30-मिनट के भीतर, अर्थात् जहाँ से भी बाहर निकलना हो।

(15) "छद्म-सोम परिवहन" का अर्थ है प्रत्यक्ष विमान परिवहन द्वारा वास्तव में एक निम्नलिखित/निम्नलिखित को निर्यात, आयात और/याई सोम की निर्यात की।

292929

1984

$\frac{29}{29} \mid \frac{3}{3} \mid \frac{5}{5}$
 29

2005-05

26
430

✓

Forster 1870

(3) विद्यार्थियों और कर्मियों को नियुक्ति, सर्वजनिक करने के बाद है, वे
L. यहाँ से हेतु नीचे की संख्या, उत्तर नीचे का विना/विना-का संयोजन, यहाँ से का समर्थन, यहाँ से
की प्रवेश और अर्थव्यवस्था के लिए अन्य सभी संलग्न समझती है निर्धार करने हुए
संख्या की संसाधन या एक विद्यार्थी-प्रतिष्ठान को करने के है मुक्ति करने,
II. राष्ट्रीय/अन्य राष्ट्रीय आकाश नीचे का कर्मिकी अनुकूलन है।

(4) अपना विधान संमेलन कीचड़.डी. पब्लिशिंग को एक सूची का माह-माह (पब्लिशिंग का नाम, अपना पता, नाम और विधान/सूच/लेख निर्दिष्ट करने हुए), कीचड़.डी. के लिए भेजें। सूची के दिनांक के साथ (कीचड़ कीचड़.डी. का नाम, उनके लोग का विधान और अधिकारी की सूची का उत्तर देने वाले हुए) अपने केसबुक पर अत्यंत धीरे और इस केसबुक को वे इस सूची को अद्यतन करें।
५. जी। पब्लिशिंग का निर्दिष्ट-लेख पब्लिशिंग, का-पब्लिशिंग करने हेतु माह-माह, जी पब्लिशिंग के लिए अनुमति कीचड़.डी. निर्दिष्ट को भेजें।

[illegible]

1. 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018
 2. 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018
 3. 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018
 4. 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018
 5. 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018
 6. 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018
 7. 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018
 8. 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018
 9. 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018
 10. 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018

and by the fact that the $\mathcal{H}^1$ -norm of $\mathbf{u}$ is bounded by the $\mathcal{H}^1$ -norm of $\mathbf{u}_0$.

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	दिनांक	हस्ताक्षर
---------	-------	--------	--------	-----------

क्र.सं.	नाम	पदविवरण	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग
---------	-----	---------	------	------	------	------

આ પણ જાણવા માટે અમારું યોગાદેશી સંપર્કો પર જાવ અથવા અમારું યોગાદેશી સંપર્કો પર જાવ

19. संविधान के अन्तर्गत भारत के राजपूतों के अधिकारों का विवरण निम्न है-

10. उत्तर : (क) सही है, क्योंकि यह प्रमाणित करता है कि यह व्यक्ति एक व्यक्ति है।

구분	구	시	군	면	동	읍	면	읍	면	구분
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

11. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

111. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$ $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$

(2) ३०६ विधायक व एक लाख विद्यार्थी सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत १९९०-९१ में १०० करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

સા.કા.કે.સી.ના નિયમો અનુસાર સરકારી સ્કોલરશીપના અર્જીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. સરકારી સ્કોલરશીપના અર્જીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવશે.

[3] यदि α एक अदिश है, तो $\alpha \cdot \mathbf{v}$ को $\alpha \mathbf{v}$ लिखा जाता है।

नाम : _____ पता : _____

11. एकीकृत न्याय कानून के लिए सुझावों को स्वीकार करने के लिए संसद ने 1950

[1] <http://www.chem.mcgill.ca/~david/chem220/chem220.htm>

अनु. १११ का प्रयोग के. वि. वि. अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत किया गया है।

काले _____

[2] <http://www.ijerph.com/article.php?id=ijerph201601001>

STEWART, J. 1982. The effects of temperature and salinity on the growth of the bay anchovy, *Anchoa hepsetus*, in the Chesapeake Bay. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 61:111-124.

४१. संस्कृत-भाषा-प्रयोग-परीक्षा के लिये निर्धारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(1) **संशोधन प्रस्ताव** : प्रस्तावित कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों, बजट, समय-सारणी, जोखिम आदि का विवरण प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज।

संकेत: १. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

— १११ —

44-38861-116

2011年12月15日 星期三 15:51:38

2) $B = A^T$ - if

1891

Figure 1. The effect of the number of subjects on the number of subjects who are required to complete the study.

Source: <http://www.fishbase.org>

10/10/10

0 2 2

100

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

(2) कि संसद का एक सभाया इस प्रकार से व्यवस्थित हो सके जिसमें किसी भी सभा के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक न हो, बल्कि कि उन्हें पचास

[illegible]

[Faint handwritten notes at the bottom of page 7]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

97 | Page

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

क्र.	अवधारणा	विषय	प्राप्ति	से	समय	से	केंद्र, शि.
------	---------	------	----------	----	-----	----	-------------

(2) सार्वजनिक उपयोग के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में निर्माण के लिए आवेदन के माध्यम से या संशोधन

ये कथा अविनाशी हस्त लिखी एक "अनमोली कला कला" का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है।

विशेष: यह प्रमाणित करता है कि उपरोक्त व्यक्ति का नाम निम्नलिखित सूची में शामिल है।

१. उनके आध्यात्मिक सर्वस्व उन्हें ही दे दिए गए हैं।

11. की आध्यात्मिक दुःख को दूर करने का एक मात्र उपाय है कि हम अपनी ही भूलों का विश्लेषण करें।

(3) प्रत्येक के समूह के सदस्यों को अपने अपने समूह के अध्यक्ष होने के लिए चुना गया।

क्र.	उत्पन्न	विभाग	सिक्का	या कोड	प्रकार	व	अर्थ	उत्पन्न	वा अर्थ	मूल्य	\$100
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are written in Devanagari script, and the addresses are written in English. The list is as follows:

नाम	पता
1. श्री. वि. वि. वि.	1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are written in Devanagari script, and the addresses are written in English. The list is as follows:

14. 91.10.1. 2003 40 00000-00000 | 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000

५५. लक्ष्मिदेव प्रमाणवाक्य जहाँ प्रमाण-प्रतीति से प्रमाण के प्रमाण करने से वह लक्ष्मि प्रमाण करने वाला

ક્ર.સં.	વિધિનામું	કે.	કાનૂની	કે.	અનુસૂચી	અન્ય	કે.	ત્રી.
---------	-----------	-----	--------	-----	---------	------	-----	-------

79. 10 विधानों की अभिवृत्त में पूर्ण विपरीत, जबकि 12वां कानून-19 विधानों में अभिवृत्त है।

एक १५० से अधिक वर्षों के इतिहास के बाद, यह विभाग की नींव पर आधारित है।

अपनी ही सेवा में, भगवान् ने इसे 15 अंशों, जोड़ के एक ही शरीर में, 15 अंशों में

अभिप्रेत है कि यदि यह सच है तो यह एक बड़ा संकेत है कि भारत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है।

अति गहन और कठोरता के साथ, यह एक महान विचार है।

एकसाथ और अधिक विचारों का प्रसार के साधनों द्वारा साधित हो। इन विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यम से

[illegible]

आपका यह प्रश्न सही है, इसी से इसका उत्तर भी सही है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो आप इसे नहीं जानते हैं।

अथवा यदि α और β के मानों को $\alpha = \frac{1}{2}(\pi + \theta)$ और $\beta = \frac{1}{2}(\pi - \theta)$ माना जाय तो

29/03/15

— 100 —

1000

10/10/10

↓

34 | 1. Name des Gegenstandes: Handgezeichnete Skizze

- 4- विभागध्यक्ष- समस्त
- 5- सम्बन्धित विभाग में कुलपति द्वारा नियुक्त दो सदस्य विशेष- समस्त
- 6- अध्यक्ष, शैक्षणिक- सम्बन्ध

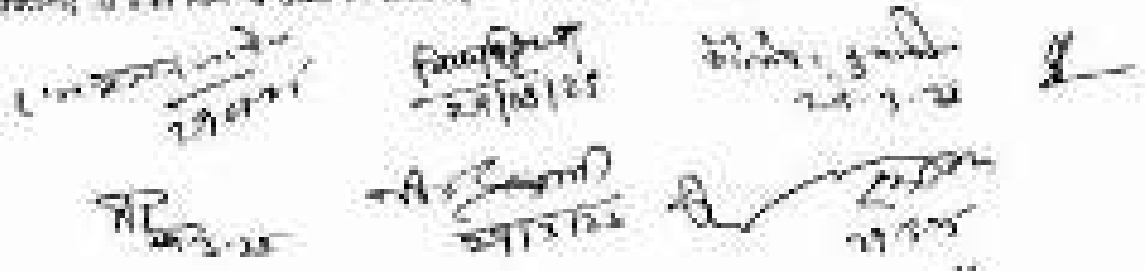
35.2 विभागीय शैक्षणिक समिति (SAC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा।

- 1- विभागध्यक्ष- अध्यक्ष
- 2- समस्त विभागीय अध्यक्ष- समस्त
- 3- एक विभागीय महा-अध्यक्ष (सभी प्रकार के 1 वर्षों के लिए अनुसूचित होंगे)- समस्त
- 4- एक विभागीय महा-अध्यक्ष (सभी प्रकार के 1 वर्षों के लिए अनुसूचित होंगे)- समस्त
- 5- कार्यनिदेशक तथा महा-कार्यनिदेशक (कोई कोई होंगे)- समस्त

35.3 शैक्षणिक समिति (SAC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा।

- 1- अध्यक्ष, अनुसूचित- समस्त
- 2- सम्बन्धित विभागध्यक्ष- समस्त
- 3- समस्त विभागीय अध्यक्ष- समस्त
- 4- कुलपति द्वारा शैक्षणिक सम्बन्धित विभाग में एक सदस्य विशेष- समस्त
- 5- कार्यनिदेशक तथा महा-कार्यनिदेशक (कोई कोई होंगे)- समस्त

नोट: यदि कोई भी सदस्य नहीं मिलता है तो अध्यक्ष को समिति में कार्यनिदेशक को नियुक्त करने का अधिकार होगा। यदि कोई भी सदस्य नहीं मिलता है तो अध्यक्ष को समिति में कार्यनिदेशक को नियुक्त करने का अधिकार होगा।



नियम 1.1 वा. विश्वविद्यालय की स्थापना की, विश्वासा श्रुति में उल्लेखित विश्वविद्यालयी उपाधि अध्यादेश-2024, दिनांक 11.5 के अन्तर्गत स्थापना की, इस विश्वविद्यालय की प्रकृति के अनुसार विश्वविद्यालय में जटिलता या परिणत में विश्वविद्यालयी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विश्वविद्यालय-2022 के अंशों भाषा में प्रस्तावित विभाग के अनुसार कार्यनिदेशक करते हुए अंशों कार्यनिदेशक, कार्यनिदेशक में स्वीकृति प्रदान की।



Ability Enhancement Course (AEC) क्षमता सम्बर्धक पाठ्यक्रम)– (षष्ठ पत्र) अर्जिताश 02 (क्रेडिट) 50 अंकों का पूर्णक होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा होगी।	सांख्यिकीय संस्कृत, फ्रेन्च, जर्मन चीनी, रूसियन, अंग्रेजी, तिब्बती प्राचीनभाषाएँ, व्यावहारिक-हिन्दी फर्नाड, तमिल, तेलगु, बलवात्मक भाषा।	सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को सत्र 1-2 के रूप में उपलब्ध होगा सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। जिसमें अक्षरों का प्रयोग से प्रारंभ आवश्यकता पूर्ण होगा होगा। विश्वविद्यालय परीक्षार्थी सत्र सत्र-1 में लिखे गये विषयों में से किसी एक विषय का चयन कर सत्र 2 के रूप में करेगा।
Skill Enhancement Course (SEC) (वैशाल विकास पाठ्यक्रम)– अष्टम पत्र अर्जिताश 03 (क्रेडिट) 50 अंकों का पूर्णक होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा होगी।	योग, संगमक अनुप्रयोग, संगीत (गायन, वादनी-बादन, सितारवादन), वर्तमानक, ज्योतिष, वास्तु।	सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को सत्र 1-2 के रूप में उपलब्ध होगा सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, जिसमें अक्षरों का प्रयोग से प्रारंभ आवश्यकता पूर्ण होगा होगा। विश्वविद्यालय परीक्षार्थी सत्र सत्र-1 में लिखे गये विषयों में से किसी एक विषय का चयन कर सत्र 2 के रूप में करेगा।
Value Added Course (मूल्य संवर्धक पाठ्यक्रम)– अष्टम पत्र अर्जिताश 01 (क्रेडिट) 50 अंकों का पूर्णक होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा होगी।	व्यवसायिक के विषय का, जैसा कि सम्बन्धित। वैश्वीकरण के विषय प्रारंभिक विषयों का सम्बन्ध। पूर्णकविषय के विषय लिखित परीक्षा का होगा। बहुविधता के विषय का सत्र 1-2 के रूप में उपलब्ध होगा। सम्बन्धित के विषय विद्यार्थी सत्र 1-2 के रूप में उपलब्ध होगा। सम्बन्धित के विषय सत्र 1-2 के रूप में उपलब्ध होगा।	विश्वविद्यालय परिसर एवं सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को सत्र 1-2 के विषयों में से प्रत्येक सेमेस्टर के विषय अलग-अलग निर्धारित मूल्य सम्बर्धक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित विषय का चयन अर्जिताश पत्र के रूप में करना आवश्यकता होगी।
कार्यशाला की कैडक दिनांक–	अर्जिताश का पाठ्यक्रम– प्रथम सेमेस्टर के विषय–	प्रथम अर्जिताश का विषय/विषय–

उपयक्त नाम से कुल ०६, साठसाठसठ प्राप्त होने, विस्तार से सीटों परकी का उद्देश्य विचार अभिवर्धन होगा। उपर्युक्त नाम से कुल ०१, एक सिटिफिकेट प्राप्त होगा। उपयक्त नाम कुल ०२, दोहरी का होगा।

कुलीन भाग में कुल ७८ मकानोंवाला इलाका है, जिनमें से सिर्फ़ इतने ३० मकान बेचना सफल हुए हैं। बाकी ४८ मकान बेचने में असफल हुए हैं। इस इलाके में कुल १२ करोड़ का बीड़ा है।

शुद्धीय भाग में कुल १० अंकीयपुनरीकृतक कोन हई, जवें इन-के का उपा-वेदक अतिबारी होत। एहीउर इ ई शिवे के नमः करि विजयिन
होत। इस उपरांत शुद्धीय भाग कुल २० अंकी का होत।

1. सत्य अभिप्राय में सत्य, मिथ्या, दुर्लभ आ बहुत सारा सच सच (गुप्त) ज्ञान से होते हैं।
2. सत्य ज्ञान सच अधिकारी सत्यिक्त सत्यजन से होता है।

(d) **अथवा, अन्य विषय (अविवेक) जहाँ कोई भी विषय नहीं है** 2 अथवा 3 या दो विषयों में से कोई एक

1. जल, मिट्टी, हवा, सूर्य से प्राप्त ऊष्म का प्रयोग (सूक्ष्म) पौधों में होता है।
2. जल एवं ऊष्म सेवन (अभिव्यक्ति) से प्राप्त ऊष्म का प्रयोग पौधों द्वारा अन्तर्गत है। अन्तर्गत सेवन पौधों में होता है।
3. जल सेवन (अभिव्यक्ति) से प्राप्त ऊष्म का प्रयोग पौधों द्वारा अन्तर्गत होता है। (अन्तर्गत) (Metabolism) का प्रयोग होता है।
4. जल एवं ऊष्म सेवन (अभिव्यक्ति) से प्राप्त ऊष्म का प्रयोग पौधों द्वारा अन्तर्गत होता है। अन्तर्गत सेवन पौधों में होता है।
5. जल सेवन (अभिव्यक्ति) से प्राप्त ऊष्म का प्रयोग पौधों द्वारा अन्तर्गत होता है। (अन्तर्गत) (Metabolism) का प्रयोग होता है।

(x) साथ, लाभ हानि (प्रतिवर्ष) / संचालन में कुल ०५ प्रश्न का हॉल, निर्धारित समय -

1. कभी इस पर मेरा (हृदय) विरग में डूबे।
2. एक दिन यह ही मुझ विरग से कभी-कभी मेरा लेखी होकर आया और कहता है।

(ii) इसका अर्थ है ५५ अधिकारी/मैन बॉडी में कुल ५५० वीयर निर्धारित हों, जिसे जेलों वाले या हार्स (मजदूर) को जेलों प्रदान की जाएगी। अर्थात् को ५५ अधिकारी (मैन बॉडी) में कुल $(55 \times 10) = 550$ वीयर निर्धारित हों, जिसे जेलों वाले या हार्स (जेल बॉडी) (मजदूर को मजदूर) पर ५५ अधिकारी (मैन बॉडी) में कुल $(55 \times 10) = 550$ वीयर निर्धारित हों, जिसे जेलों वाले या हार्स (मजदूरों) को जेलों प्रदान की जाएगी, जेलों।

(4) विद्यार्थी तीन वर्षों में कुल रिजर्वों के कुल क्रेडिट का अनुक्रम ६० सीमा में बनाए रखें। अन्यथा, उन्हें प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक वर्ष की कक्षा में शामिल होना होगा।

(4) एक वा दोहरा या तालीफ करने के पक्ष में निर्णय हो तो केवल 40 रुपये का ही भत्ता मिलेगा।

(3) कुलित एवं मृत्यु से पिछड़ा है जिसका जन्म एक परिवार में हुआ है जहाँ से अधिक और अधिकतर से बेनी में जीवन में कि (विशेष) है, जहाँकि विशेषतः प्राप्त करने के कि विचारों को जो कि विचार से अधिकतर अधिक प्राप्त करने होते।

११-३

1. प्रथम व द्वितीय पत्र का पूर्णतः 100-100 अंशों का होगा जिसमें 25 अंशों की सैद्धांतिक/लिखित परीक्षा होगी। 25 अंशों की आनंशिक परीक्षा जो चरित्र में सम्बंधित विभागों द्वारा एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों का महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।
2. प्रथम व द्वितीय पत्रों के लिये पात्र-पत्र अंशित अल्प-अल्प निर्धारित होगा।
3. प्रथम व द्वितीय पत्र के लिये सैद्धांतिक परीक्षा के लिये 25 अंश एवं आनंशिक परीक्षा के लिये 25 अंश उत्तीर्णक होगा।
4. प्रथम व द्वितीय पत्र की उत्तर-उत्तर उत्तीर्णता के लिये लिखित व आनंशिक सुनवाईयों में 25 अंश सन्तुष्टता रूप से उत्तीर्णक होगा, किन्तु आनंशिक सुनवाईयों में प्राप्त अनुसूचित न हो।
5. तृतीय से अष्टम पत्र का पूर्णतः 80 अंशों का होगा। विज्ञान/प्राकृतिक की ओरकरी, जिसमें 20 अंशों का उत्तीर्णक होगा।
6. नवम एवं दशम पत्र के लिये दो-दो अंशित निर्धारित होगा।
7. प्रथम से अष्टम पत्र के सभी पत्र की उत्तीर्णता स्वतन्त्र पत्र के रूप में निर्धारित होगी।
8. तृतीय, पांच एवं सप्तम पत्र के लिये तीन-तीन अंशित निर्धारित होगा।
9. प्रथम सेमेस्टर के सप्तम पत्र के तीन अंशित तथा अन्य सेमेस्टरों का सप्तम पत्र दो-दो अंशित का होगा।
10. अष्टम पत्र के लिये पात्र 10 अंशित निर्धारित होगा।
11. किसी एक पत्र में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित होने की दशा में मात्र मात्र एक पत्र की परीक्षा के लिये अर्ह होगा।
12. केंपी सुधार की परीक्षा के लिये प्रत्येक सेमेस्टर के लिये पात्र को मात्र एक पत्र अनुसूचित होगा।
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राप्ति को तीन मुख्य विभाग व कई आधुनिक भाषा के अध्ययन का विद्यमान मुक्त है। जिसमें प्रत्येक एक विद्यमान परीक्षा का उपयोग नहीं करता जायेगा।
14. पात्र को एक सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये मुख्य परीक्षा के साथ ही अन्य प्रयास केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अनुसूचित होगा।
15. दो या दो से अधिक पत्र में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित होने की दशा में मात्र सम्बंधित सेमेस्टर की आगामी परीक्षा में भूगर्भ(Ex-emption) प्राप्त के रूप में सम्बंधित होगा।

391

Ad. 10

4

विद्यार्थी नाम :-

100

16. यदि कोई छात्र किसी कारणवश परीक्षाआवेदन भूँसा नहीं कर पाता है तो, छात्र आगामी सेमेस्टर में प्रोन्ता नहीं होगा।
17. गृहविज्ञान / विज्ञान के अतिरिक्त सभी विषयों के लिये छात्र/छात्रा व्यक्तिगत परीक्षा के लिये अर्ह होगी।
18. गृहविज्ञान/विज्ञान विषय में 50 अंकों की सैद्धांतिक परीक्षा तथा 50 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी। समग्र-पत्र के अनुसार निर्दिष्ट विधि से, परीक्षा केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा से प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराया जायेगा।
19. सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और तत्पश्चात् पद्धति के अन्तर्गत आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक अंकों की प्रविष्टि तत्काल निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत करना अनिवार्य होगा।
20. विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के आन्तरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक अंक सम्बन्धित विभागों द्वारा समस्त केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा। उद्युक्त समस्त केन्द्र सर्वोच्चतम संख्या से और तत्पश्चात् पद्धति के अन्तर्गत आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक अंकों की प्रविष्टि करवेंगा।
21. संयुक्त विद्या एवं भाषा विज्ञान का विषय भाषा विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के लिये अवलोकित है, इसलिये महाविद्यालयीय भाषा इन विषयों का समन अन्तर्गत न करे।
22. गठनर लीमों से के पक्ष पर हनु प्रायोगिक विषय जो अन्तर्गत से सेमेस्टर के बाद ही प्रविष्टित किया जा सकेगा।
23. किसी भी का-के पक्ष में केन्द्रों से पुनर्प्राप्ति के अनुमति नहीं होगी।

24. आन्तरिक परीक्षा के मूल्यांकन का आधार-

1. छात्र की समस्त उपस्थिति।
2. महाविद्यालय में छात्र का अध्ययन।
3. महाविद्यालय में छात्र का अनुशासन।
4. सत्र पूर्व महाविद्यालय में छात्र की वैयक्तिक उपस्थिति।
25. विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के लिये संयुक्त अंकों विन्दुओं का सुनिश्चितिकरण सम्बन्धित विषयों के विभागों द्वारा किया जायेगा।

पा. विद्यापरिषद् राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के आलोक में शास्त्री (स्नातक)
परीक्षा के पाठ्यक्रम निम्नवाक्यनी को सर्वसम्पत्ति से स्वीकृति प्रदान की।

विभागीय विषय-3: स्वयम् (SWAYAM) एवं मूक्स (MOOCs) की नियमवली के प्रभाव पर विचार।

मा. निवासीयों के समस्त स्वयम् (SWAYAM) एवं मूकम् (MOOCs) की निव्यापकी अधोलिखित रूप में प्रस्तुत की गयी-

सुखदं हि ज्ञानं यत्पुनस्तदा भवेत्
तत्तुल्यं हि ज्ञानं यत्पुनस्तदा भवेत्

Ex. 2.1.1

Source : SWAYAM and MOOCs के डिजिटली के माध्यम से सीखें

44

[illegible]

[Signature]
Dr. Biju Kumar Pillai
Joint Director, (SWAYAM)

100

[illegible]

1. SWAYAM एवं MOOCs के 2021 एवं 2022 सम्मान विजेताओं को विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकार किया जाए।
2. राज्य से सम्बन्धित विषयों को छात्र/छात्राओं द्वारा समुचित रूप में चुनी जाने वाली पर उनके कठिने क्षेत्रों के सम्बन्धित कक्षा के केंद्रित में जोड़ने का सहयति करी।
3. विद्यार्थीय स्तर पर विद्यार्थी-स्वयं द्वारा अपने-अपने विभाग में सम्बन्धित होने वाली पाठ्यक्रमों के प्रकाशनों के विषय समुदाय के द्वारा राज्य माध्यमिकी की सम्बन्धित पर चुनी उपाध्यक्ष कक्षाओं के विद्यार्थी एवं विश्वविद्यालय की संस्थाओं पर छात्रों तथा जोड़ने अभिनेत्री द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की सम्बन्धित सम्बन्धित जाए।
4. कक्षा के सम्बन्धित माध्यमिकी को स्वीकार करने हुए राज्य (SWAYAM) पौष्टिक के सम्बन्धित से उपाध्यक्ष माध्यमिकी को विद्यार्थी-स्वयं विद्यार्थी एवं सीधार्थीय सम्बन्धित करने की सहयति करी।

[illegible]

Shirley Ann
Mrs. J. L. Lusk

- (c) "course-coordinator" means a faculty member and subject matter expert belonging to an higher education institution, identified and entrusted with the task of developing and delivering SWAYAM Course in a given subject by a National Coordinator,
- (d) "credit" means the unit award gained as a learning outcome by a student by study efforts required to acquire the specified level of learning in respect of the unit and "study effort for one credit" means time required by a student to understand the contents equivalent to fifteen hours classroom teaching,
- (e) "credit course" means a course which follows an academic curriculum and for which credit transfer is permissible under these regulations,
- (f) "four quadrant approach" means the e-learning system that has the following components, namely:-
- Quadrant-I, which shall be an e-Tutorial containing video and audio content in an organized form, animations, simulations, virtual labs;
 - Quadrant-II, which shall be an e-Content containing e-Books or e-journals, case study, frequently asked questions/transcriptions of video lectures and any other study materials;
 - Quadrant-III, which shall be a discussion forum, for discussion of doubts, opinions and comments with course coordinators and others;
 - Quadrant-IV, which shall be a self-assessment process that shall contain multiple choice questions, problems, essays, assignments and solutions;
- (g) "higher education institution" means a university established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or State Act as referred to under clause (b) of section 2 of the Act, institution or college recognised by or affiliated to such university; and an institution deemed to be a university under section 3 of the Act which is offering programmes through conventional mode or through open and distance learning mode or through online mode, in the area of higher education or research fields,
- (h) "Host Institution" means the higher education institution duly recognised or approved by the regulatory authority, to which the course coordinator offering the course belongs,
- (i) "Massive Open Online Courses (MOOC)" means such online courses which are developed as per the pedagogy following the four quadrant approach,
- (j) "National Coordinator" means a National level agency or institution designated as such by the Central Government for the purpose of coordinating the production of the online courses and for overseeing their quality and delivery in a designated discipline or level of learning,
- (k) "parent institution" means the higher education institution where the student is enrolled,
- (l) "proctored examination" means the examination conducted under the supervision of approved person or technology enabled proctoring which ensures the identity of the test taker and the integrity of the test taking environment, either in pen-paper mode or in computer based testing mode or in full-fledged online mode, as may be permissible,
- (m) "programme" includes a diploma, undergraduate or postgraduate degree programme,
- (n) "SWAYAM Board" means the board constituted by the Government of India in the Ministry of Education to oversee Massive Open Online Courses, SWAYAM and SWAYAM Prakash programmes,
- (o) "SWAYAM guidelines" means the guidelines for developing online courses for SWAYAM programmes issued on the 1st June, 2017 by the Government of India in the erstwhile Ministry of Human Resource Development and as amended from time to time;
- (p) "SWAYAM platform" means an Information Technology platform developed and made functional by the Government of India in the Ministry of Education for the purpose of offering online learning courses.
- (2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.



4. **SWAYAM based online credit courses.**—(1) The schedule of the SWAYAM based online credit courses shall be aligned with the conventional education semester commencing in the month of January and July of every year.

(2) The SWAYAM based online credit courses shall be developed, delivered and assessed only by the course-coordinator.

(3) The course and course-coordinator shall be identified by the National Coordinator in accordance with the SWAYAM guidelines with the prior approval of the SWAYAM Board.

(4) The course-coordinator shall offer the SWAYAM based online credit courses through the first institution which shall issue the certificate with grades after the end term practical examination for credit transfer.

(5) The list of SWAYAM based online credit courses for the coming semester shall be notified on the SWAYAM platform before the 1st November for the January semester and before the 1st June for the July semester, every year.

(6) All higher education institutions shall within four weeks from the date of notification of the SWAYAM based online credit courses under sub-regulation (5) shall consider through their competent authority, the online learning courses which may be offered through the SWAYAM platform, and keeping in view their academic requirements shall decide upon the courses which they shall permit for credit transfer.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (6), the higher education institutions may allow only up to forty per cent. of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online credit course, through the SWAYAM platform.

(8) The academic council may expedite the process of transfer of credit earned by the student at their parent institution.

(9) The academic council may allow the Dean (Academic) or Chairman, Board of Studies, to approve the online credit courses of SWAYAM platform for credit transfer on the recommendation of the Head of the Department.

(10) For proper and smooth conduct of the online learning of credit course offered on SWAYAM platform, the parent institution shall ensure that the physical infrastructures i.e. computer facilities, library, etc. essential for pursuing such courses are made available for the said and is adequate resource.

(11) The parent institution shall designate a faculty member as a facilitator to guide the students from registration till completion of the credit course.

5. **Evaluation and certification of credit-based MOOCs.**—(1) The first institution and the course-coordinator shall be responsible for evaluating the student registered for the credit-based MOOCs offered on SWAYAM platform.

(2) The final evaluation of a course shall be based on internal assessment and semester end examination and the original assessment shall be a maximum of forty per cent. marked based on movements such as discussion forum, quizzes, assignments, semester examinations and the complete evaluation scheme of a course shall be announced at the time of launch of the course.

(3) Online semester end examination shall be the preferred mode provided that the course-coordinator shall be authorised to decide on the mode of conducting the final examination, either through online mode or print and paper mode and this shall be announced in the overview of the course at the time of offering of the course.

(4) The term end practical examination for all the SWAYAM based credit courses shall be conducted either by the SWAYAM Board or by any other agency authorised by the Government of India or the Ministry of Education across the country.

(5) After conduct of the examination and completion of evaluation, the course-coordinator, through the first institution, shall award marks or grades, as per the evaluation scheme announced.

(6) A certificate regarding successful completion of the SWAYAM based credit course shall be issued by the National Coordinator and authorised signatory of the first institution and shall be made available on

SWAYAM platform within four weeks from the date of declaration of the semester and examination results.

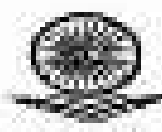
(1) The parent institution shall incorporate the credits or grades obtained by the student in the marks sheet that contains the total award of the degree or diploma by the university or institution deemed to be a university.

6. **Credit Mobility of SWAYAM based Courses.** (1) The parent institution shall give the equivalent credit weightage to the student for the credits earned only under learning credit courses through SWAYAM platform, in the credit plan of the programme.

(2) The university shall refuse any student for credit mobility of courses earned through SWAYAM platform.

7. **Amendments in rules and regulations for seamless integration through SWAYAM based online courses.** Every higher education institution shall within four weeks from the date of publication of these regulations to the Official Gazette make the necessary amendments, as may be required, in their statutes, ordinances, rules and regulations to accept and incorporate the provisions of these regulations for seamless integration through SWAYAM based online courses.

Prof. RAJESH KUMAR, Secy.
(ADP-T, 2019-2020/2556/2019-21)



सरकार भारत, नई दिल्ली

Prof. Manish R. Joshi
(Secretary)



शिक्षण विभाग



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(New Building, New Campus)
(Ministry of Education, Govt. of India)

11/12/2019/SWAYAM/2019

21st August, 2019/UGC/2019, 2019

Subject: Framework for Differentiation and Credit Transfer for SWAYAM Courses.

Dear Sir/Madam,

I would like to inform you that UGC and MoE have organized extensive SWAYAM programme and various credit meetings during November-December 2018 and April-May 2019. UGC has also conducted four online meetings chaired by the Chairman, UGC, with Higher Education Institutions (HETs) on 29 February, 28/3 and 27 March 2019, to deliberate on adopting SWAYAM for credit transfer and gather feedback from HETs.

These meetings were attended by 400+ Chairpersons of Universities, Colleges, Private Institutions and Government and HET SWAYAM cells wherein the participation of students from these institutions in the SWAYAM platform was discussed. The question of the HETs, credit transfer and credit transfer policy and the collection of credit transfer data, online credit transfer system, need a revision of the SWAYAM programme also deliberated during these meetings.

During these meetings, various decisions were taken to start SWAYAM based courses for short certificate/diploma/degree/BA/B.Com courses. Institution by institution was identified a pilot starting the SWAYAM based course by 31 March 2020 to the Ministry of Education. The meetings also decided to start credit transfer through SWAYAM courses and provide an enough opportunity to students, the SWAYAM Board decided that the institutions may conduct examinations for courses offered via SWAYAM, provided the university has adopted SWAYAM Courses for Credit transfer as per the UGC Credit Framework for Online Learning Courses through Study Modes of Online Learning for Higher Learning (Online Regulations, 2019) and approved UGC to issue necessary framework in this regard.

In process the central level procedural guidelines for the SWAYAM courses are developed by the National Testing Agency (NTA) and Ministry of Education, in 10 chapters. Attached I am sending 144 file for addition to share. Institutions may have considered about SWAYAM with some figure the application writing for SWAYAM courses in their university.

In this regard, please find the related documents enclosed.

1. Enclosed find the documents regarding credit transfer for SWAYAM courses.
2. For the adopting SWAYAM courses through the SWAYAM platform, please refer and provide the documents to Colleges.
3. University, Government, Private Institutions may refer and the SWAYAM platform, enclosed to help their benefit from the Framework.

Yours

Manish R. Joshi
Secy.

The Vice-Chancellors of all Universities.

Prof. Manish R. Joshi
(Secretary)

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Framework for Universities to conduct Examinations for SWAYAM Courses

Major Highlights of the Framework:

1. To increase the number of students using SWAYAM Courses for credit accumulation.
2. To enhance student flexibility with respect to SWAYAM Examinations.
3. To permit Universities to conduct SWAYAM Examination provided they have adopted SWAYAM Courses for Credit Transfer as per the UGC (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021.

Purpose of the Framework:

SWAYAM (<http://swayam.gov.in>) is an online platform of the Government of India designed to achieve the three cardinal principles of Education Policy, viz. access, equity, and quality. Through the SWAYAM platform, students can take online courses from leading Higher Education Institutions to fulfil credit requirements for their university's academic programmes, which can be accessed by anyone, anywhere at any time.

As per the UGC Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds Regulations, 2021, an institution can allow students to take up to 40% of their total courses online in a particular programme in a semester through the SWAYAM Platform. The marks/score obtained by the candidate enrolled in universities for SWAYAM Courses, will be awarded in the transcript of the candidate, only if the University has adopted MOOCs Courses offered on SWAYAM Platform for Credit Transfer.

The SWAYAM courses are aligned with the academic semester commencing in the month of January and July of every year. The courses offered on SWAYAM are mapped by the universities to their regular academic calendar.

Currently, the end term semester examination for all the SWAYAM based credit courses are conducted by National Testing Agency (NTA) and National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL) in the best designated centres across the country.

To encourage more students to learn online through SWAYAM Courses and provide an optimal opportunity to students, it has been decided in the 24th SWAYAM Board meeting held on March 8, 2024, that universities who have adopted UGC SWAYAM Regulations, 2021 will be permitted to conduct semester exams of the SWAYAM courses for their students who enrolled and completed Courses from the SWAYAM Platform.

Students who have completed courses on SWAYAM will have the option of writing their semester examination at their own university.

Universities must conduct these examinations during the same semester for their students along with the end-term examinations.

Universities will conduct examinations in the subject and two semesters for their students who could not participate in the end-term SWAYAM Course exam.

All universities shall appoint a Nodal Officer to coordinate with the SWAYAM Technical team in matters related to SWAYAM Courses including registration and credit transfer.

The University shall conduct the examination for students enrolled in SWAYAM courses in alignment with their regular academic calendar.

Eligibility Criteria for Universities to conduct SWAYAM examination: -

All universities which are listed under Section 2 (f) of the University Grants Commission Act, 1956 and have adopted SWAYAM Courses for Credit Transfer as per the UGC Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds Regulations, 2021.

Steps to be taken by the University:

1. If the University has decided to conduct the end-term examination for the SWAYAM Courses, the students in those SWAYAM Courses can take the end-term examination conducted by the university.
2. The number of credits of the SWAYAM courses should be as per listed on the SWAYAM Platform.

3. For conducting the end-term examination, the University shall be responsible for setting the Question Papers, evaluation of answer scripts and declaration of examination results.
4. The University shall ensure that students who have completed the entire SWAYAM course and submitted a minimum of 75% of the assignments and quizzes on SWAYAM shall only be allowed to appear for the end-term examination conducted by the University. The Nodal Officer shall verify this from the SWAYAM Admin dashboard.
5. The University shall give 75% weightage to end-term examination. For the assignments and quizzes component conducted by the SWAYAM Course Coordinator, the weightage will be 25% and shall be available on the SWAYAM portal.

Responsibilities of the University Nodal Officer:

1. To obtain login credentials from the SWAYAM Technical Team and register on the SWAYAM portal to access students details along with progress made.
2. To monitor students' internal assignments and quiz marks from the SWAYAM Portal and prepare a list of students eligible for university exam.
3. To conduct the end-term examination and upload the marks on the SWAYAM portal.
4. To ensure that marks of all students who have appeared in the SWAYAM Examination are mapped with their Automated Permanent Academic Account Registry (APAR) Id and share it to the students with their login credentials.
5. To prepare the list of students who could not participate in the end-term examination and monitor the system accordingly in subsequent semester, as outlined in the Framework.

Contact Persons:

- A. **Dr. Gaurav Singh**
Director EduTech, Department of Higher Education,
Ministry of Education
Phone: 8860300058 Email: gaurav@moe.gov.in
- B. **Dr. Harish Vaidyan Madhav**
Coordinator, EduTech, Department of Higher Education,
Ministry of Education
Phone: 8867827093, Email: harish@moe.gov.in
- C. **Dr. Raksha Rajput**
Deputy Secretary, UGC
Phone: 011-2760414/276105 Email: raksha.ugc@nic.in
- D. **Dr. M. Jayakrishnan**
Head, Education Technology and Research, IT Mission
Phone: 9846980000 Email: jayakrishna@itmi.ac.in
- E. **Dr. Gaurav Khanna**
National Coordinator, AICTE, National e-Governance Division,
Ministry of Communications & Information Technology
Phone: 9891151793
Email: gaurav.khanna@nic.in

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.]

Steps for Adopting MOOC Courses Through the SWAYAM platform (www.swayam.gov.in) for Universities & Colleges

Step-1: Approval of University Statutory Bodies to adopt SWAYAM

1. The University should make amendments in its Ordinances, Rules and Regulations through its Statutory bodies (i.e. Executive Committee, Academic Council, Board of Studies) to incorporate provisions for the transfer of up to 40% of the total courses in a semester to be taken through online learning via the SWAYAM Platform as per University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021.
2. The University should inform its affiliated colleges regarding the adoption of SWAYAM Courses for credit transfer.
3. The University shall constitute a SWAYAM Advisory Committee headed by the Vice-Chancellor or his/her nominee for all SWAYAM-related issues at the University level.
4. The University shall designate a faculty member as the Nodal Officer as a single point of contact for SWAYAM and he/she may also be the Coordinator of the SWAYAM Advisory Committee to ensure seamless access to all SWAYAM-related information.
5. The details of the Nodal Officer should be published on the University website.
6. During the registration process on the SWAYAM platform, the Nodal Officer shall upload the approval document from the University for adopting SWAYAM courses (refer point 1 above). After verification of the approval document by UGC, the login credentials will be sent to the Nodal Officer.

Step-2: SWAYAM Course Selection and Awareness by University

1. The Nodal Officer shall share the details of the SWAYAM courses to be offered in every semester on 1st June and 1st November with the SWAYAM Advisory Committee at the University.
2. The SWAYAM Advisory Committee of the university shall identify SWAYAM courses based on the students' requirements/curriculum and approved on the University Website, Notice Board/Social Media.

Step-3: SWAYAM Course Registration and Registration for SWAYAM Exam

1. The Chairperson of the SWAYAM Advisory Committee shall nominate students as his members (as SWAYAM Monitor) at the Under-graduate Level.
2. The Nodal Officer shall ensure that all SWAYAM monitors shall receive and understand the course requirements.
3. The Nodal Officer shall conduct an awareness and sensitization program related to SWAYAM courses and the registering of every semester (January and July) on the SWAYAM website/APP.
4. The SWAYAM Monitor to facilitate the registration of students for the SWAYAM courses approved by the University.
5. The SWAYAM Monitor shall ensure that students who have registered in the SWAYAM courses participate in discussion forums, quizzes and assignments provided by the SWAYAM Monitor/Coordinator.

Step-4: Examination Process and Declaration of results for SWAYAM Courses

1. The SWAYAM Course Coordinator provides the assessments and updates submitted by students on the SWAYAM Platform, and their marks are reflected in the student accounts on the SWAYAM platform.
2. To pass in a SWAYAM Course, a minimum of 40% passing marks (i.e., minimum 40/100 marks in Assessment & Quizzes & 20/50 Marks in the self-term examination) is required.
3. SWAYAM Examination can be conducted in two different ways:
 - A. The University conduct the end term SWAYAM Examination.
 - B. National Testing Agency (NTA) or National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL) conduct the end term SWAYAM Examination.
4. Universities which fail to conduct the end-term examinations for SWAYAM courses may refer to Provisions for Universities to conduct Examinations for SWAYAM Courses for the detailed procedure.
5. For universities which do not opt to conduct the end-term examinations for SWAYAM courses, the end-term proctored examinations are conducted by the NTA and NPTEL at designated centers across the country. Subsequently, NTA & NPTEL will announce the results.

Step-5: Steps for transfer of Mark/Credits obtained by students through the SWAYAM Platform to their University Transcripts/Marksheet

A. SWAYAM Courses for which the end-term examinations are conducted by Universities:

1. The Nodal Officer of the University shall upload on the SWAYAM platform, the marks out of 70 obtained by the students' in the end-term examination, conducted by the University.
2. The Nodal Officer of the University shall submit the total marks (out of 100) obtained by students from the SWAYAM platform to Controller of Examination (CoE) and the same shall be reflected in the students' University Mark sheet / Transcript.
3. University to ensure that marks of all students who have appeared in the SWAYAM Examination are mapped and visible to the students in their Academic Bank of Credits (ABC) account.

B. SWAYAM Courses for which the end-term examinations are conducted by RTA/NPTL:

1. The students shall receive a certificate from SWAYAM upon successful completion. The certificate includes the student's photo, roll number, course name, Course Coordinator's name, host institute details, marksheet obtained, and credits earned.
2. The Nodal Officer of the University shall compile and submit the list of students along with their SWAYAM Certificates to the CoE and the credits of the Courses as indicated in the SWAYAM Certificate shall be transferred by the CoE to the students' Transcript/Marksheet.
3. The Nodal Officer of the Colleges shall compile and submit a list of students along with their SWAYAM Certificates to the Principal. The Principal of the College shall review SWAYAM Certificates and course names, to ensure that they match the university's list of approved SWAYAM courses. The principal shall then submit the verified list of students and their SWAYAM Certificates to the University CoE.

www.swayam.gov.in



University Dashboard User Guide

Swayam 2.0

This document describes the features of university dashboard on Swayam.

Contents

University Dashboard.....	3
1.1 Prerequisite for SWAYAM Nodal Officer Creation:	4
1.2 University Dashboard Login:.....	6
1.3 University Dashboard View:	7
1.4 Course Details Tab:	8
1.5 Student Details Tab:.....	9

University Dashboard:

- University Dashboard is created for University Nodal Officer to view the data such as enrollments, eligible users and assignment submissions related statistics.
- This dashboard will help universities to get data about course-level student enrollments and their performance to help identify eligible students for end term examination.

1.1 Pre-requisites for University Nodal Officer account creation in SWAYAM:

- University Nodal Officer needs to sign up/ register on swayam
 - For this they can use the Signin/Register button on SWAYAM



- If the id is either Google or Microsoft enabled, then they can just use the social login option available in SWAYAM

Sign in with your social account



Sign in with your user name

A form for signing in with a user name. It consists of two input fields: one for 'Username' and one for 'Password'. Below the password field, there is a checkbox labeled 'Remember me'. At the bottom of the form, there is a 'Sign in' button.

- If the id is under university's custom domain, they can signup for an account in SWAYAM

Sign up for a new account

- Once registered, they need to share the information with UGC using a form ([form link](#)).
- The form will capture details required for SWAYAM Nodal Officer creation:
 1. University ID (as per AISHE)
 2. University Name

3. Nodal Officer Name
4. Nodal Officer Email
5. Nodal Officer Mobile Number
6. Approval letter from the head of the University (or any other competent authority) regarding the appointment of the Nodal Officer.

- An acknowledgement email will be sent from SWAYAM application once the Nodal Officer account gets enabled.
- The email address provided as SWAYAM Nodal Officer should be of the format `swayam-uno-{skhe}@domain`. This ensures continuity of information even if the nodal officer changes. E.g. For University 0456 the generic email id is swayam-uno-0456@gmail.com

1.2 University Dashboard Login:

- SWAYAM Nodal Officers needs to login to the Swayam URL (<https://swayam.gov.in/>) with their SWAYAM Nodal Officer ID.
- Only SWAYAM Nodal Officers can see the university dashboard option under the email drop down menu.
- Once SWAYAM Nodal Officers click on the university dashboard, it redirects them to the university dashboard page.



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

1.3 University Dashboard View:



- On university dashboard, SWAYAM Nodal Officers can view the data such as the enrollments, unique users, course details, total submissions and other information associated with the students from their university who have enrolled in the SWAYAM courses.
- University dashboard consists of 2 tabs – Course Details and Student Details.

1.4 Course Details Tab:

- Course details page consists of all the courses associated with the university.
- SWAYAM Nodal Officers can search and view the course details by using filters such as Course Namespace, Course Title, Instructor Name and Category.



1.5 Student Details Tab:

- SWAYAM Nodal Officers download student's progress information using the Download CSV functionality.



Guidelines for developing Online Courses for SWAYAM

1st June 2017

**Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education**

Guidelines for developing online courses for SWAYAM

[Handwritten signatures and initials]

Contents

BACKGROUND AND PERSPECTIVE	3
1. DEFINITION	3
2. SWAYAM Board	4
3. National Coordinator	5
4. Scope of SWAYAM	6
5. Creation of online courses for SWAYAM	8
6. Notification of Course to all Universities	10
7. Assessment and Certification	10
8. Intellectual Property Rights/ Copy Right handling	11
9. Financing the online courses	11
Annexure-1	14
A. Equipment Setup & Specs for use in development of Online Course	14
1. Camera(s)	14
2. Non-linear editing	14
3. Card reader compatible to the memory Card of Camera's	16
4.(a) Webcam 27" Interactive Pen & Full Touch Display	16
4.(b) Interactive touch screen panel with required computer, Pen and Software	16
5. Laptop Touch Screen 15"	17
6. Video Mixer/ Switcher	17
7. Audio Mixer	18
8. Microphone	18
9. Active speaker (2 way)	18
10. Headphones	19
11. UPS	19
B. Post Production Processes & Standards	19
C. Utilization of equipment/ availability of institutions	19

BACKGROUND AND PERSPECTIVE

Whereas, with a view to providing access to the best quality learning resources across the country, the project named 'Model of Active Learning for MOODS Project by NIPER (SWAYAM)' has been started.

Whereas, SWAYAM provides an integrated platform and access for course courses, using information and communication technology (ICT) covering high school till all higher education subjects and also enables courses to ensure that every student obtains from learning material through ICT.

Whereas, SWAYAM is a:

1. One-stop Web and mobile based interactive system for all courses from High School to University level.
2. High quality learning experiences using multimedia in anytime, anywhere mode.
3. Suite of the art system that allows easy access, monitoring and certification.
4. Peer review, creation and discussion forum to clarify doubts.
5. Hybrid model of delivery that adds to the quality of classroom learning.

Whereas, SWAYAM involves development of various open source courses (MOODS) in computer, e-content (video and text) and building a virtual IP platform.

Whereas, in order to deliver these educational course to masses, the MOODS has provided 23 direct to home (DTH) education in channels named "SWAYAM Prakash" broadcasting education content across India, and the content developed under SWAYAM would be used for transmission in SWAYAM Prakash (DTH) DTH channels.

Whereas, there is a need for upgradation the quality of contents in mass platform, and for standardizing the content delivery.

Now, with a view to systematic development of the course courses for the SWAYAM, the following guidelines which propose to lay down technical and production standards for the e-content have been issued.

1. DEFINITIONS:

1.1 In these guidelines, unless the context otherwise requires, the following words shall have the following definitions:

- a) **Academics Advisory Council (AAC)**: shall mean a group of academicians of repute qualified and appointed as the National Coordinator with the consent of monitoring the DTH, monitoring the course production and approving them.
- b) **Course Development (CC)**: The CC shall be a Subject Matter Expert (SME) belonging to a relevant educational institution/industry or a specialist in the field identified and entrusted with the task of developing online course or a

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.]

- given area by the NC.
- e) **Online Course** shall be of two types: credit courses and non-credit courses.
 - 1) **Credit Course** shall mean a course which is taught for at least one semester or a part of an academic programme.
 - 2) **Non-Credit Course** shall include courses like awareness programmes, short-term education programme for training of people and so on, an independent course, which are not part of any particular course. It can be of shorter duration.
 - f) **Four quadrant approach**: The four quadrant approach means a learning system that has the following components:
 - 1) **Quadrant I** is a video that shall contain video and audio content in an organised form. Animation, illustrations, video demonstrations, virtual labs, etc., along with the transcription of the video.
 - 2) **Quadrant II** is a content, which shall contain: self instructional material, eBooks, Illustrations, case studies, presentations etc., and also contain Web Resources such as further references, Related links, Open source content on Internet, Video, Case Studies, books including e-books, research papers & Journals, Anecdotal information, Statistical development of the subject, Articles, etc.
 - 3) **Quadrant III** is the Evaluation System for testing of doubts and checking them on a real time basis by the Course Coordinator or the team.
 - 4) **Quadrant IV** is Assessment, which shall contain: Problems and Solutions, which could be in the form of Multiple Choice Questions, Fill in the blanks, Matching Questions, Short Answer Questions, Long Answer Questions, Shorter Assignments and projects, Discussion Forum topics and writing on the topic, Classrooms or general discussions.
 - g) **Host Institute**, Educational Institute offering the course, and conducting and administering, assessing credits and certification.
 - h) **MOOCs**: Massive Open Online Courses (MOOCs) are such online courses which are developed as per the pedagogy suited to open and learning the four quadrant approach.
 - i) **National Coordinators (NCs)**: National Coordinators are the institutions that have been designated by the Ministry and assigned a specific sector for preparation of course content for MOOCs.
 - j) **Course Institute**, Institute or other system registered in India is enrolled.
 - k) **'Module'** shall mean a particular level or discipline of learning defined in a NC by the MHRD.
 - l) **Subject Matter Expert Group (SMEs)** shall mean a group of invited academicians in a particular subject identified by the National Coordinator in each subject.
 - m) **Course** shall mean a specific area under a discipline (Example: Physics) taught in an educational institution consisting of specific pre-arranged courses, resulting in the award of a certificate/diploma/degree.
 - n) **SWAYAM Academic Board** shall be a apex academic body that would lay down standards of quality for the courses to be offered through SWAYAM.
 - o) **SWAYAM Board** shall be the Authority that would be vested in charge of the formation of the Boards, process for quality of content and technical content of MOOCs.

Page 8 of 17

2. SWAYAM Board

SWAYAM Board (SB) shall be the Body for managing the SWAYAM and SWAYAM Prashna by coordinating the work of technical and Academic bodies so as to deliver high quality online education.

a) **Composition**: The Board shall have the following membership:

- i) Secretary (Higher Education) - Chairperson
- ii) Chairperson UGC
- iii) Chairperson AICTE
- iv) Two technical experts from the Ministry of HRD (ex-officio) looking after Technical Education, Management Education, Higher Education, School Education, Open Distance Education
- v) All National Coordinators of SWAYAM and SWAYAM Prashna
- vi) 1000s of SMEs
- vii) Member Secretary (HED) (Member Secretary)

b) **Function**: The SB shall discharge the following functions:

- i) Take decisions for smooth running of SWAYAM and SWAYAM Prashna platforms.
 - ii) Lay down policy regarding indemnification where including cost payable for development and delivery of the courses, certification fees, accepting the content from foreign/private institutions/institutes, within parameters laid down by the competent authority.
 - iii) Review the progress of each in pertaining to sanction, progress, development and delivery of various online courses.
 - iv) Any other matter that may arise during the operation and delivery of SWAYAM and SWAYAM Prashna.
- c) Noted that the SB shall have a secretariat located in AICTE which will be heading the Board, composition of which would be decided by the Board.

3. SWAYAM Academic Board (SAB)

(1) There shall be a SWAYAM Academic Board responsible for guiding the National Coordinators and for laying down quality standards. The SAB shall be constituted as follows:

- i) Chairperson UGC - Co Chairperson
- ii) Chairperson AICTE - Co Chairperson
- iii) Two technical experts nominated by the Ministry
- iv) Two invited academicians nominated by the Ministry
- v) Two representatives from the Industry, one each nominated by SME and Ministry of Skill Development
- vi) Director AICTE - Member Secretary

(2) The SAB shall discharge the following functions:

- i) Monitor the quality of the courses on the SWAYAM and lay down quality standards.
- ii) Setting of courses on SWAYAM
- iii) Integration of SWAYAM and SWAYAM Prashna
- iv) Monitor the progress of conduct of the end-term examinations

Page 9 of 17

For signature

6.3. Pre-production activities (13 weeks/online course)

- each CC shall constitute an academic body of representatives with power
abilities for supervision of the teaching learning Material taking into
consideration and the actively engaged individuals for improving the delivery
of the course.
- The CC shall, within 2 weeks from the date of recommendation, prepare a
proposal for HODCC consisting of the following and submit the same to
the NC for approval:
1. Satisfactory criteria: Defining the Course design, qualifications for
taking the course, its delivery mode, assessment system, relation to the
previous, starting deferring state, and associated resources
 2. Scheduling of course: Develop a meeting schedule / assignments /
assignments how to submit and short questions
 3. Intellectual content to be prepared along with the transcript, multi-
media techniques to be used, and the nature of the facilities in the
classroom
 4. Details of reading material such as lecture notes / additional readings to
be provided
 5. Self-assessment modules: The total number of quizzes and assignments
to be provided for the course
 6. Assessment system: Weekly, monthly assessments and assignments
that would be expected to be taken by the students
 7. Reading material: Satisfactory readings
 8. Self-assessment modules: Quizzes and tests
 9. Assessment system: Weekly assessments and assignments
 10. Transfer of credit: List of Learning Objectives for transfering the approved
format and appropriate questions raised for registration transfer to
the CC, which may be for the course, course credits, transfer of credit or
the course may be offered under approval. It is decided by the committee
meeting and all the concerned Institute agreed to have satisfactory and
transfer the results to Registered Students under transfer that are
existing on regular & enrolled students from a recognized
university/college across the country and also follow the UGC & AICTE
transfer framework for Online Learning Course through approval
Regulation, 2016, in Order to facilitate transfer on 1st July 2020 AICTE
Approval, respectively
- Upon approval of the proposal in the above manner, within the given
period there automatically shall be completion of the order transferring
the work
- On receipt of the proposal for HODCC, the NC shall place the same before
the Subject Matter Expert Groups (SMEGs) for its consideration. The
SMEGs shall survey the proposal, recommend an appropriate subject matter
expert, or take the Subject Matter Expert Group (SMEG) members
representations for recommendations. The SMEG shall submit the approved
proposal to the NC within 2 weeks from the date of receipt of the
proposal (SMEG), may the NC, make the final recommendation to the
Academic Advisory Council (AAC).
- Based on the feedback given by the Subject Matter Expert Groups
(SMEGs), the Academic Advisory Council (AAC) shall recommend the
proposal and either approve, suggest changes or reject same within a
period of 2 weeks from the date of receipt of Subject Matter Expert
Groups (SMEG) report. The AAC shall also recommend to the NC the
approved subject for transfering the course.
- The NC shall direct, and without any further delay, recommend the
decision to the CC and also release the funds reserved for starting the
course.

is a revolution in industry in which the quantity of the commodity is not proportional to the MC, the CC and the cost per unit of the commodity. The quantity of the commodity is proportional to the MC, the CC and the cost per unit of the commodity.

- [illegible]

- 4) Transcription of video shall be prepared along with the programme, which may be needed for facilitators of the internet and for submitting to open institutions.

6.4. Post production activities (a week/Online course)

There shall be a week/production team consisting of one video editor, sound editor and other people equipped with video editing software working in 24/7 basis making necessary corrections for:

- a. Video editing the programme using 4K cameras.
- b. Editing, re-recording, and editing the soundtrack if needed.
- c. Related visual/sound effects, multitrack effects and computer generated graphics (CGI).
- d. Related recording or mixing with professional audio equipment.

6.5. Review of the Course content and approvals (a week/Online course)

- a) On completion of the programme, the CC shall submit the HD about the programme for review of the NC.

- b) Immediately on receipt, the NC shall get the course reviewed/checked from members and facilitators experts and thereafter forward the HD for seeking for clearing the course content along with the video and editing materials.

- c) The NC, after clearing the course shall verify the contents and layout of the HD recordings/programme. The NC will place the course before the AAR, which will approve the course for uploading on the SWAYAM portal.

- a. Content issues and structure, clarity.
- b. Sound, language/message clear in keeping with Indian Culture guidelines.
- c. Pedagogy and learning experience.
- d. Formatting of text and images.
- e. Enriching the programme of basic Course Content elements like video/animation, illustrations, figures, interactive elements, assignments, assessment methodology etc.
- f. Visual quality checked.

- d) The NC in consultation with the CC, will also recommend the start date and end date for the course.

- e) Based on these recommendations, the NC will place the course before the AAR, which will approve the course for uploading on the SWAYAM portal.

7. Notification of course to all Universities

As soon as AAR approves a course, the same has to be reported to the Governor Board by the NC. The SWAYAM Secretariat shall request the concerned regulator to communicate to all Universities/Institutions under their jurisdiction to notify the courses to their departments and offering institutions for seeking and transfer of credits for students enrolled with them.

8. ASSESSMENT AND CERTIFICATION

- a) The NC shall decide the suitable assessment system for the course based on the stated learning outcomes, in consultation with the host university.

Page 22 of 27

University offering the course.

- b) Initially, the assessment shall have both formative assessment to promote deeper learning, critical thinking and retention, or summative with summative assessments designed to gauge students' understanding and performance. Both the assessments may include selected content covering all modules, open assessments or structured examinations. Whereas an online assessment would not be possible under the CC, the NC may decide on the mode of conducting the final examination. Effective credit transfer for include, duration or method of taking an exam or in the assessment process the NC may select any of the students, wherever available, wherever need to be of basic standards from the industry related to the content. The design of course contents and problems sets, however, remains in the hands of a given institution and specific positions of participating institutions should not be used as standards.

- c) In case a pen and paper test examination is to be conducted, the same shall be offered through any college/university participating to conduct the same. The decision on the venue will be taken by the host institution.

- d) After completion of the examination and completion of the evaluation, the host institution shall submit transcripts as per the way which is given below, within 4 weeks from the date of completion of the final examination.

- e) On successful completion of whole course, the host institution offering the course should send the transcripts, along with the marks of credits and grades, through which the students can get credits transferred from institution to be certificate issued by the host institution.

9. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS / COPYRIGHT/HANDLELINE

- a) The CC shall follow copyright laws for any readings, images, and video clips used as core and supplementary reading in case of licensed material. Content and material are submitted to that effect to the NC.

- b) All contents, images, reading, videos, animation, and audio developed with the funding of BHARAT, will be the property of SWAYAM.

- c) All contents and materials posted on SWAYAM will be copyrighted to respective regulator with three years for three, knowledge protection for course and content. If any other intellectual and all other policies, regulations, rights, Intellectual Resources policy in consultation with other national and international bodies.

- d) The CC shall the grant explicit permission for seeking books and other distribution materials over the unlicensed permission with the explicit understanding that materials published in SWAYAM shall remain there.

- e) The terms of service should be clearly laid out to all to address the following key points by the NC:

- a. Any intellectual content has clearly rights are.
- b. User community members should be informed about the usage rights on the online portals, website or SWAYAM.

[Handwritten signatures and marks]

Max Resolution:	1920 x 1080
Refresh rate:	60 Hz (min) or more
Contrast ratio:	1000:1 or higher
Response time:	5 ms or better
Touch pen or Finger Interactivity:	Yes, Windows 7 (must) and
Video input:	Yes
Video outputs:	Compatible with the computer
Notes:	Compatible with the computer & Vision System

- B. The interactive panel system should be provided with a computer, having at least one hard disk and one, two USB ports and a touch panel.
- C. The touch panel should have a single projection touch area of at least 3.4 cm or higher and be provided with all other necessary features.
- D. Any digital signature / stamp / signature on projection required with the system should be provided as per the relevant work flow design.

B. Laptop Touch Screen (15.6")

- Processor: Intel Core i7 or processor or better, 3.40 GHz or more
- Operating system: Windows 10, 64-bit
- Display: 15.6" or 15.7"
- Memory: 8GB (RAM) 2GB (Cache) or more
- Hard drive: 500GB or more for laptop, SATA hard drive
- Other office or home network
- Optical drive
- Webcam, LAN, Bluetooth
- Internal touch screen resolution
- Build-in speakers for laptop
- Ports: network connection RJ45, RJ45, USB 2.0, headphone jack, microphone jack, SD card reader
- Battery capacity: 4 hours or more continuous use
- Other features for the PC

B. Vision Panel/Interface

For interacting purposes, interactive panel and Touch, 15.6" or more display with touch screen resolution of at least 1920 x 1080 pixels, supporting 2-CH HD-VIS, 2-CH HDMI inputs, 2-CH HD-VIS & 2-CH HDMI outputs & 1-CH Camera Input, 1x USB.

C. Audio system

- Input channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Output channels: 2 channels, 16 MHz or 32 MHz

Page 15 of 17

Input channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels

Output channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels

Input channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels

Output channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels

Input channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels

Output channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels

D. System Features

- Touch, projection, 15.6" or more display, 1920 x 1080 or more resolution
- Touch, projection, 15.6" or more display, 1920 x 1080 or more resolution
- Touch, projection, 15.6" or more display, 1920 x 1080 or more resolution
- Touch, projection, 15.6" or more display, 1920 x 1080 or more resolution
- Touch, projection, 15.6" or more display, 1920 x 1080 or more resolution
- Touch, projection, 15.6" or more display, 1920 x 1080 or more resolution

E. Microphones

One channel, 15.6" or more display, 1920 x 1080 or more resolution

- Input channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Output channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Input channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Output channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Input channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Output channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels

F. Audio system (15.6")

- Input channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Output channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Input channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Output channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Input channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Output channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Input channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Output channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Input channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels
- Output channels: 2 channels with minimum 8 MHz or 16 MHz channels

Page 16 of 17

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

10. Studio Cool Lights

STUDIO LED Lights- For Day Light

1. LED 5- 50 W with diffuser & Reminders.
 2. Colour temperature: about 5500K & 5700K.
 3. Control: Manual.
 4. Ceiling Mount.
 5. On board system for control intensity from 0-100%.
 6. A last warn door, diffusers, C clamp, safety band.
1. LED Diffused Panel lights, 5- 50 W.
 2. Colour temperature: about 5500K.
 3. Control: Manual.
 4. A last warn door, diffusers, C clamp, safety band.

11. UPS:

Approved Brands Computers UPS MUST with minimum 30 minutes backup. please maintenance from VRLA Battery. If more wattage UPS is required, expert should verify the same by calculating the Power load requirements of the equipment. Some of the features required in UPS are:

- Single Phase IN and Single Phase Out
- Voltage: 0- 240 VAC
- Type (On line) Inverter
- Input power factor: 0.9 min
- Output power factor: 0.9 or higher
- Input power supply: 240 V / 270 V 50Hz AC
- Output 230 V 50Hz, 800 W- 400
- MODER Inverter Battery Bank with Frame/Bank

12) Post Production processes & standards.

- Video recording format: Full HD compressed format.
- Video aspect ratio: 16: 9 (1080x1920)
- Module Delivery: 1080P following H.264 & AAC Compression
- Audio Channel: 1 to three Stereo Audio Track.
- Post work: Rendering: 24 bit Audio rendering: 24- 26bit Audio: 24-26K
- Full screen Video Frame.
- All graphs and diagrams must have clear font.
- The system/master should check continuously as delivery made in case of classroom, online and avoid recording from written material or a teleprompter.
- Video frame to maintain 4-5% headroom.
- Video quality and audio levels should be constantly monitored while recording.

Video manipulation for better work of video clips or audio clips from electronic materials, including shooting, late format, editing etc. work are listed separately.

Page 12 of 12



Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan MOOCs, Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan

Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan MOOCs, Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan

Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan

Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan

Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan MOOCs, Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan

1. Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan
2. Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan
3. Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan
4. Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan
5. Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan

Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan

Page 13

Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan MOOCs, Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan Dr. Bhanu Prakash Swayam Prakashan

निचरणीय विषय :- श्री सुशील कुमार गुप्ता, मैबानियून निदेशक, उ.प्र.राज्य कार्यवाही समूह सीमा निदेशालय, सखनऊ की विधिविहालय कार्यपालिका द्वारा के विल समिति का सदस्य नामित किये जाने पर विधवा

SUSHIL KUMAR GUPTA

UTTAR PRADESH FINANCE AND ACCOUNTS SERVICE OFFICER

Born: 1984

Joined Service in 1988 as Trainee Treasury Officer at Administrative Training Institute National, Lucknow. Retired from the post of Director in U.P. State Employees Group Insurance Directorate, Lucknow in July, 2024.

PROFILE

Sushil Kumar Gupta is an accomplished finance and accounts service officer with about 36 years of experience in strategic financial planning, policy implementation, and team leadership. His expertise covers financial management, budgeting, and forecasting, legal and regulatory compliance, stakeholder engagement, and problem-solving. He has worked in various governmental offices, serving in multiple capacities, including Treasury Officer, Finance and Accounts Officer, Assistant Registrar Society, Assistant Director, Joint Director, Additional Director, Finance Controller, Financial Advisor, and Director.

Professional Experience: Sushil Kumar joined the Uttar Pradesh Finance and Accounts Service Officer in 1988 as a Trainee Treasury Officer, and has since held multiple positions in various government departments. He has completed one-year training in various financial training institutes with subjects including financial rules, financial propriety and Preparation of Budget and Maintenance of Accounts & Finance Sheet.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Positions Held:

- Treasury Officer:** Worked in various district treasuries. District treasuries responsible for budgetary control in all district offices through bill presented by DDOs, maintain government accounts (expenditure & receipt) and send it to State AD office twice in a month. District treasury officer works as assistant of stamp and revenue and as financial adviser of District magistrates.
- Assistant Director:** HMTR organizing training programs for newly appointed U.P. Finance and Accounts service officers and other government servants on financial aspects. Interaction with very senior officers and lecturers for imparting knowledge on various financial topics.
- Joint Director/Additional Director:** Inspecting district treasuries in that division. Ensuring proper functioning & issue of proper payment order upto class II Officers of the division. Organizing and conducting service audit in treasury in chairmanship of divisional commissioner. Working as financial adviser of divisional commissioner & Participate in various government commissions bodies like development authorities, university & other governmental institutions in service of finance department.
- Finance Controller:** Preparing annual budget for the department and after government approved budget allotment for subordinate offices in U.P. state. Ensuring budget control, expenditure control, financial discipline and supervising internal audit program. Compliance with state reports. Advise HMTR on financial aspects of all matters and regular meeting with the secretary in government.

सुशील कुमार गुप्ता

5. **Financial Advisor/ Finance Controller.** Worked in State government organizations like Khadi zone, Doodhghing, Band, Lucknow (Uttar Pradesh), Uttar Pradesh Sahasranya Industrial Development Authority (UPSIDA), UP State Highway Authority (UPSHA), UP RIDA, UP Road Vision Mission, provided expert financial advice to senior management and other similar works as finance controller in government and directly responsible to executive board.
6. **Assistant Registrar Society.** Working as registrar of societies and firms in that Division performing quasi-judicial functions in the matters of the societies.
7. **Finance officer/Director (Finance).** In various state universities as Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University Lucknow, GGS University Meerut, UP Rajbhoj Tarapur Open University Prayagraj, N.E. India University of Agriculture & Technology, Maa Shikharishwari University, Saharanpur, Dr. Ramkrishna Lalita National Law University (NLU) Lucknow, performed all financial activities like budget preparation and presenting before authorities, Financial Committee, and Executive council. Took care control on behalf of university, performed as Drawing and disbursing officer and AQ & Local Fund Audit reports Compliance.
8. **Director Panchayat Raj Lakha Uttar Pradesh** worked as HOD of all district officers of village panchayat (Financial accounts officer) Jila panchayat and regular supervision of activities of other officers of Jila panchayat.
9. **Director in U.P. State Employees Group Insurance Directorate, Lucknow.**

Achievements: Received important assignments, demonstrating exemplary performance and dedication to duty. Also achieved timely promotions, reflecting outstanding contributions to the organizations in which I had served.

Skills: Financial management, budgeting and forecasting, policy development and implementation, strategic planning, legal and regulatory compliance, team leadership and management, stakeholder engagement and communication, and problem-solving and decision-making.

EDUCATION:

Year-	Masters in Business Administration (MBA-FIR)
	Bachelor of Law (LL.B)
	Bachelor of Science (B.Sc.)

LEADERSHIP

Ability to manage multiple projects simultaneously and meet tight deadlines, while maintaining the highest standards of quality.

PERSONAL DETAILS

Phone Number : +91-9415028408
 Email : ashishgupta54@gmail.com
 Address : 5429 Vihar Khair, Gostli Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh, Bharat.

निष्कर्ष-19:

मा. कार्यपरिषद् ने विचार-विमर्श के अनन्तर बिल समिति में मा. परिषद् द्वारा वापिस भव्य के रूप श्री सुशील कुमार गुप्ता, सेक्रेट्रियल निदेशक, उ.प्र. राज्य कार्यकारी समूह वीणा निदेशालय, लखनऊ को बिल समिति का सदस्य वापिस किये जाये में सहर्ष सन्तुष्टि प्रदान की।

वित्तीय विवरण - 30 विश्वविद्यालय कार्यालय ज्ञान सं.सा. 33 /2025, दिनांक 03.03.2025 के द्वारा शिक्षण संघ के कार्मिकों की सेवा सम्पुष्टिकरण के संबंध में (सूचनाएं)

निर्णय - 20 मा. कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय के शिक्षण संघ के कार्मिकों की सेवा सम्पुष्टिकरण किये जाने की सूचना से अवगत हुई।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय ने परिषद् के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विस्तृत करने की घोषणा की।



कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी



कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

सं.सा. 33/2025, दिनांक 03.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सम्बन्धित कार्यपरिषद् के सदस्य तथा
- 2- वैयक्तिक सहायक कुलपति, मा. कुलपति महोदय के अवलोकनाधीन
- 3- सार्वजनिक कुलसचिव/वि. अधिपति/प्रो. निम्नलिखित
- 4- सम्बन्धित दस्तावेज



कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी